मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

शासकीय भूमि पर काबिज़ लोगों को पट्टों का प्रदाय

1. (क्र. 195) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली में शासकीय भूमि पर कई वर्षों से काबिज़ लोगों को पट्टा देने का वर्तमान में कोई कानून/नियम बनाया गया है, इन्हें पट्टा देने के लिए क्या कोई शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? सम्पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या जिला सिंगरौली में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों का सर्वे कराकर पट्टा देने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों के नामांतरण और सीमांकन के लंबित प्रकरण

2. (क्र. 341) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगापुर विधान सभा क्षेत्र-47 के अन्तर्गत कितने किसानों के नामांतरण प्रकरण लंबित है और कितने सीमांकन के लिये लंबित है? किसानों के नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरण लंबित रखने में किस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है? क्या इसकी जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र में किसानों को ऋण पुस्तिकायें किन-किन ग्रामों में बांटी गई एवं कितने ग्रामों में नहीं बांटी गई, ग्रामवार जानकारी सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र खरगापुर की दें तथा जिन किसानों को ऋण पुस्तकायें बांटी गईं उन किसानों के नाम सूचीवार दें, तथा जिन को नहीं बांटी गई उनके नाम भी सूचीवार दें। (ग) क्या इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ओला वृष्टि से पीडित किसानों को मुआवजा

3. (क्र. 342) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह फरवरी 2014 में खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से भारी तबाही हुयी थी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, म.प्र. शासन द्वारा भ्रमण के समय घोषणा की गई थी कि जिन ग्रामों में शत प्रतिशत नुकसान हुआ है उनके किसी भी किसान को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जावेगा? (ख) क्या ग्राम खरो, मनपसार, देवरदा, विजरई, पठराई तथा कई ग्रामों के किसानों को मुआवजा से वंचित रखा गया तथा कई किसानों के नाम राशि स्वीकृत होने पर भी प्राप्त नहीं हो पा रही है? इसका क्या कारण है? (ग) क्या वंचित किसानों को मुआवजा राशि दिलायेंगे? तथा शत प्रतिशत नुकसान वाले किसानों का पुन: सर्वे करायेंगे? यदि हाँ, तो समयावधि बताये यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश पुलिस बल में रिक्त पद

4. (क्र. 958) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान समय में जिलेवार पुलिस अधिकारियों के व पुलिस सेवकों के स्वीकृत पदों एवं इसके विरूद्ध रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों का जिलेवार ब्यौरा क्या है? (ग) प्रदेश में जिलेवार, थानावार स्वीकृत पुलिस बलकर्मी का ब्यौरा क्या है व किस कारण यह कमी पूरी नहीं की जा सकी है? (घ) प्रदेश के पुलिस थानों में कहाँ-कहाँ वाहनों, कम्प्यूटर एवं आधुनिक हथियारों की कमी है, जिसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पटवारियों के लिये शासकीय आवास गृहों का निर्माण

5. (क्र. 960) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पटवारियों को अपने हल्के में सहपरिवार निवास करने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है? (ख) क्या उज्जैन संभाग में उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है? (ग) रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर एवं देवास में कितने हल्कों में अब तक शासन ने योजनानुसार पटवारियों के लिए भवन बना कर आवंटित किये हैं व किन-किन स्थानों पर नहीं? (घ) हल्कों में पटवारियों के उपलब्ध रहने संबंधी क्या नियम निर्धारित किये गये हैं? क्या उनका पालन संभाग में हो रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गांवों में खेल के मैदानों के संबंध में

6. (क्र. 1147) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 9 जुलाई, 2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र 124) के संदर्भ में बताया कि प्रत्येक जिले में किस-किस व कौन से गांव में खेल मैदान के लिए पटवारी रिकार्ड में दर्ज कर दी है या आरक्षित कर दी है, तथा बाकी कौन-कौन से गांव प्रत्येक जिले में बचे हैं, तथा उनमें कब तक खेल के लिए भूमि पटवारी रिकार्ड में दर्ज कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिलों के पास उपलब्ध राशि

7. (क्र. 2067) श्री संजय शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2013 से मार्च 2013 के दौरान ओलावृष्टि तथा असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिए राहत राशि के वितरण हेतु किस-किस जिले को कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) क्या उक्त आवंटित राशि को कृषकों को भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं तो किस-किस जिले में कितनी राशि का भुगतान नहीं हुआ? (ग) विभाग द्वारा जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर बची हुई राशि वापिस क्यों नहीं बुलाई गई? कारण बतायें? (घ) किस-किस जिले के कितनी राशि के मांग पत्र विभाग के पास लंबित है, तथा क्यों कारण बतायें तथा कब तक संबंधित जिलों को राशि आवंटित कर दी जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नलों का उत्खनन

8. (क्र. 2071) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कार्या. विधायक तेंदूखेड़ा, द्वारा दिनांक 26.02.14 को पत्र क्र. A/031 के अंतर्गत, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नरसिंहपुर को नवीन नलों के उत्खनन हेतु पत्र लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो पत्र में उल्लेखित कितने स्थानों पर नलों का उत्खनन किया गया है? कृपया ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? (ग) शेष स्थानों पर नलों का उत्खनन क्यों नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी प्रदान करें? (घ) शेष स्थानों पर नलों का उत्खनन कब तक किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) 15 स्थानों पर। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) शेष 16 स्थानों में से 13 स्थान पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में होने के कारण तथा 3 बसाहटों में चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य न होने के कारण कार्य नहीं किया गया। (घ) 3 शेष आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्य किया जावेगा।

परिशिष्ट – "एक"

हैण्ड रिसीप्ट के भुगतान की नीति में लायसेन्स एवं टेण्डर में अन्तर

9. (क्र. 2282) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. के तकनीकी विभागों के निर्माण कार्यों के भुगतान की निर्धारित नीति है यदि हाँ, तो कौन-कौन सी है जानकारी दें? कौन सी बंद कर दी है जानकारी दें? (ख) क्या गत दो वर्षों से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैण्ड रिसीप्ट भुगतान बंद कर दिया है और अन्य विभागों (लोक निर्माण, जल संसाधान, आर.ई.एस. आदि) में चालू है इन सभी अन्य विभागों में कब से हैण्ड रिसीप्ट भुगतान बंद होगा? (ग) क्या म.प्र. के सभी तकनीकी कार्यों में ठेकेदारी के लायसेंस एवं टेण्डर की कोई एक समान निर्धाति नीति है या विभागवार अलग-अलग, कौन से विभाग में क्या नीति है? (घ) यदि म.प्र. के तकनीकी कार्यों के लायसेंस, टेण्डर एवं भुगतान की एक समान निर्धारित नीति है तो पालन न करने वाले विभागों के कौन से अधिकारी दोषी है उन पर क्या कार्यवाही की है कब तक करेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। भुगतान की नीति कार्य विभाग मैन्युअल एवं मध्यप्रदेश वित्तीय शक्ति अधिकार पुस्तिका भाग-1 एवं 2 अनुसार। सहायक यंत्रियों के आहरण एवं संवितरण संबंधी अधिकार माह नवम्बर 2014 से समाप्त कर दिये गये हैं। (ख) जी नहीं, जी हाँ, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। ठेकेदार के पंजीयन हेतु एक समान विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रचलित है। कार्य विभाग मेन्युअल अनुसार टेण्डर की कार्यवाही की जाती हैं। विभाग की पृथक से कोई नीति नहीं है। (घ) विभाग द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जा रहा है जिस कारण कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आकस्मिक आपदा राशि उपलब्ध कराना

10. (क्र. 2887) श्री महेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा आकस्मिक आपदा राशि जैसे संर्पदंश, आकाशीय बिजली, आग या पानी से परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु व आपदा से फसल हानि की राहत राशि देने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने प्रकरण लंबित है जिन्हें आज दिनांक तक आपदा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, नाम व ग्रामवार जानकारी बतावें? (ग) क्या ऐसे आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा राशि देने का प्रावधान होना चाहिए यदि हो तो इतने लंबे समय से राशि का भुगतान इन परिवारों को क्यों नहीं किया गया है क्या कारण है कारण सहित बतायें? (घ) क्या शासन इन्हें तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध करावेगा यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

11. (क्र. 2961) श्री सचिन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 16.06.2014 को माननीय राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के समक्ष किस-किस संदर्भ में कितने-कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्रीमती रितु पति नीरज सिंगल एवं श्रीमती रूपाली पति लक्ष्मीकांत के द्वारा शिकायती पत्र में बिंदुवार संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों सहित उक्त दिनांक में प्राप्त हुए है? हाँ तो इन पर बिन्दुवार प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त शिकायती पत्रों के संलग्न दस्तावेजों में कौन से सही दस्तावेजों के अलावा कौन-कौन से दस्तावेज गलत पाये गये? गलत दस्तावेजों को जारी करने वाले कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, के पदनाम सहित जानकारी देते हुए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? हाँ तो बतायें, नहीं तो क्यों कारण सहित जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार किस-किस के द्वारा क्या-क्या निर्देश दिये एवं उनके दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? साथ ही शिकायतकर्ताओं द्वारा बिन्दुवार स्पष्ट प्रमाणों के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया? हाँ तो अंतिम निर्णय कार्यवाही प्रतिवेदन के विवरण साथ जानकारी उपलब्ध करायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) दिनांक 16.06.2014 के पश्चात श्रीमती रितू पति नीरज सिंगल एवं श्रीमती रूपाली पति लक्ष्मीकान्त द्वारा विभाग में किसी की शिकायत प्राप्त नही हुई। इन दोनो शिकायतकर्ताओं द्वारा दिनांक 11.06.2014 को श्री बजरंग बहादुर तहसीलदार इन्दौर व अन्य के विरूद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 04.09.2014 जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है। (ख) श्रीमती रितू पति नीरज सिंगल एवं श्रीमती रूपाली पति लक्ष्मीकान्त का इन्दौर का शिकायती पत्र पर बिन्दुवार जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए विभाग के पत्र दिनांक 04.09.2014 आयुक्त संभाग इन्दौर को लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) एवं (घ) के संदर्भ में संभागीय आयुक्त इन्दौर संभाग से जानकारी प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में कृषक आन्दोलन

12. (क्र. 3038) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक की अवधि में 2892 कृषक आन्दोलन हुए है? जैसा कि गृह विभाग के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2013-14 में उल्लेख किया है? (ख) क्या वर्ष 2004 से 2014 तक कृषक आन्दोलन कि संख्या में हर वर्ष वृद्धि हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो वृद्धि का कारण बताते हुए वर्ष 2015 में प्रश्न दिनांक तक कितने कृषक आन्दोलन किन-किन समस्याओं को लेकर किस-किस जिले में हुए है? (घ) उपरोक्त कृषक आन्दोलन में प्रश्नांश (ग) अवधि में पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने अथवा गोली चलाने आदि से कितने कृषकों कि मृत्यु हुई है मृतक कृषक का नाम व पिता का नाम, पता सहित सूची दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2004 में 82। वर्ष 2014 में 260, आंदोलन हुए हैं, परंतु वर्ष 2012 (598) की तुलना में वर्ष 2013 (356) कृषक आन्दोलन हुए हैं, संख्या में कमी परिलक्षित हुई है। (ग) वर्ष 2015 माह जनवरी एवं फरवरी में आन्दोलन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (घ) माह जनवरी-फरवरी 2015 में पुलिस द्वारा कृषकों पर बल प्रयोग किये जाने अथवा गोली चलाने की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

परिशिष्ट – "दो"

नामान्तरण प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब

13. (क्र. 3051) श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि भूमि की ऋण पुस्तिका में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और आवश्यक कार्यवाही करने के बाद उसके वैध उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रिकार्ड में कर दिया जाता है? हाँ, तो इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण की अवधि क्या निर्धारित है? (ख) क्या मन्दसौर जिले की गरोठ तहसील में ऐसे कई प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हैं और उनका निर्णय नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) तहसीलदार अथवा एस.डी.एम. गरोठ के पास 31.1.15 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की सूची देवें? साथ ही कार्यालयों में उनकी प्राप्ति दिनांक भी बतावें और लंबित रखने का कारण स्पष्ट करें? (घ) लंबित प्रकरणों का कब तक नामांतरण हो जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्वालियर जिले में निवासरत बंगाली समाज के लोगों की संख्या

14. (क्र. 3139) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के छावनी परिषद केन्टमेंट वार्ड-4 में बंगाली समाज कब से निवासरत है? क्या इनको म.प्र. के स्थायी/अस्थायी मूल निवासी के प्रमाण पत्र बनाये गये हैं? इनके कितने परिवार निवासरत हैं? संख्या सहित बतायें? (ख) क्या स्थानीय प्रशासन (जिला स्तर पर) इनके जाति प्रमाण पत्र बनाये गये हैं? यह किस जाति वर्ग में आते हैं? क्या इनके बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है? यदि हाँ, तो बतायें कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आबादी क्षेत्र घोषित किया जाना

15. (क्र. 3141) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों, मोहना जारगा, पद्मपुर खेटिया के प्रस्ताव एवं जनप्रतिनिधियों के आवेदन आबादी घोषित करने के लिये प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो कब? (ख) ग्राम पंचायत मोहना के सर्वे नं. 1335,1337, 1379/1, 1379/2, 1379/3 ग्राम पंचायत जारगा के सर्वे नं. 472, 477, 481, 482/1, 483,518, 519, ग्राम पंचायत पद्मपुर खेटिया के सर्वे नं. 132,133,24 एवं 27 क्या उक्त सर्वे नम्बरों की राजस्व अधिकारियों से जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों? (ग) क्या उक्त सर्वे नंबरों पर आबादी /मकान मौके पर बने हुये? यदि हाँ, तो उक्त सर्वे नम्बरों के आबादी घोषित करने की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई? यदि की जायेगी तो समय-सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बकाया राशि की वसूली

16. (क्र. 3406) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यपवर्तित भूमियों का कर निर्धारण और मानक दरें तय करने, बकाया राशि वसूल करने तथा भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण के उपरांत कृषकों के खाता नम्बर छूट जाने, गलत प्रविष्टि के सुधार हेतु क्या-क्या निर्देश है? उनकी प्रति दें? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में व्यपवर्तित भूमियों पर कितनी राशि वसूल किया जाना बकाया है? उक्त बकाया राशि वसूल किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) कम्प्यूटरीकरण के उपरांत कृषकों के छूटे खाता नम्बरों की प्रविष्टि, गलत प्रविष्टि में सुधार के कितने आवेदन पत्र वर्तमान में उक्त जिलों में लंबित है? लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) पटवारी रिकार्ड तथा कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में आ रहे अंतर जमीनों के सुधारने हेतु विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? कारण बताये तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का वितरण

17. (क्र. 3407) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदेश के समस्त खातेदारों को नि:शुल्क प्रदान करने का निर्णय शासन ने कब लिया? उक्त निर्देश की प्रति दें? (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिलों में कितने खातेदारों को नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकायें वितरित की गई तहसीलवार संख्या बतावें? (ग) उक्त जिलों में कितने कृषकों को नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नहीं दी गई है तथा क्यों कारण बतायें? (घ) उक्त कृषकों को कब तक नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका दे दी जायेगी समयावधि बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदेश के समस्त खातेदारों को नि:शुल्क प्रदान करने का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में रायसेन जिले की तह. रायसेन में 22000 गैरतगंज में 27687 बेगमगंज में 28497 सिलवानी में 33062 बरेली में 31540 बाड़ी में 19572 उदयपुरा में 22962 सुल्तानपुर में 7964 तथा गौहरगंज में 31555 देवास जिले में कुल खातेदार एवं सह खातेदारों की संख्या 331777 है। जिले को प्राप्त कुल 327600 नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकायें प्राप्त हुई जो कि तहसीलों से प्राप्त मांग अनुसार 322800 तहसीलों के माध्यम से वितरित कर दी गई हैं। जिले में अभी भी 4800 नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकायें उपलब्ध हैं। यदि तहसीलों से मांग आती है तो उपलब्ध 4800 नवीन एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं से प्रदान कर दी जावेगी। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

जिला गुना के अन्तर्गत सभी विधानसभाओं में नलकूप खनन कार्य

18. (क्र. 3450) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला गुना के अन्तर्गत चारों विधानसभाओं में नलकूप खनन कार्य वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक विभागीय सभी मदों में स्कूल/आंगनवाड़ी/सहरिया/बसाहटो/सांसद निधि/विधायक निधि की जानकारी देवें? (ख) जिला गुना के अन्तर्गत चारों विधानसभा में नलकूप खनन कार्य किस मद में किया गया है? शासन के मापदण्ड के अनुसार प्रतिव्यक्ति को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? (ग) जिला गुना के अन्तर्गत चारों विधानसभा के ग्रामों में स्थापित हैण्डपंपों का जलस्तर न्यूनतम व अधिकतम कितना है जानकारी विकासखण्डवार दी जावें? ग्राम की जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त हैण्डपंप हैं अथवा नहीं? कितने हैण्डपंप वर्तमान में बंद है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या जिन ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 के हैण्डपंप स्थापित है वह ग्राम में खनित किया गया नलकूप के जलस्तर के तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप एवं उपयुक्त है? यदि नहीं तो शासन के द्वारा ऐसे ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार।** वर्तमान में निर्धारित मापदंड अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। (ग) न्यूनतम 5 मीटर अधिकतम 105 मीटर, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार**। 1158 ग्रामों में पर्याप्त हैंडपंप स्थापित है, 60 ग्राम आंशिकपूर्ण श्रेणी के होने से स्थापित हैंडपंपों की संखया अपर्याप्त है। 1603

हैंडपंप बंद है, बंद हैंडपंपों में से 1045 सूख जाने से, 385 नलकूप भरपट जाने से, 69 हैंडपंपों की लाईन गिरने/फंसने से तथा 104 सामान्य खराबी से बंद है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

उद्यानिकी विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

19. (क्र. 3451) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में उद्यानिकी विभाग में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? (ख) कर्मचारियों की सूची (अकुशल/अद्र्धकुशल/कुशल) श्रेणी बनाई गई है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें? (ग) क्या उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शासन द्वारा स्थाई करने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर ली जावेंगी? (घ) क्या कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कुशल श्रेणी में शामिल किया गया है? ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की जनसंख्या एवं कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय का समय पर भुगतान

20. (क्र. 3480) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा में आंगनवाड़ी के कितने केन्द्र संचालित हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के खातों में मानदेय की कितनी राशि जमा कराई गई क्या मानदेय की राशि समय पर जमा कराई गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में क्या कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के खातों में नियमानुसार मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह में नहीं किया जाकर दो-दो, तीन-तीन दिन विलम्ब से किया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त विकास खण्ड से संबंधित परियोजना अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर कर्चुलियान क्रमांक-1 में 216 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परियोजना रायपुर कर्चुलियान क्रमांक-2 में 124 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के खाते में एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर कर्चुलियान क्रमांक-1 में राशि रुपये 2,67,75,710/-एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना रायपुर कर्चुलियान क्रमांक-2 में राशि रुपये 1,88,58,333/-जमा की गई। जी हाँ। (ग) जी हा। शासकीय प्रक्रिया में दो तीन दिन विलंब होना सामान्य है। यथासम्भव समय से भुगतान किया जाता है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निरीक्षक को गृह जिला में पदस्थ

21. (क्र. 3491) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया निरीक्षक थाना ऊमरी जिला भिण्ड का गृह जिला भिण्ड है, यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत गृह जिले में नियुक्ति की गई? क्या निरीक्षक स्तर का अधिकारी गृह जिला में रह

सकता है? यदि हाँ, तो नियम की छाया प्रति सहित जानकारी दें? यदि नहीं, तो किस आदेश से पदस्थ किया गया है? (ख) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया की पुलिस विभाग में किस पद पर नियुक्ति कब की गई थी? सर्विस बुक में क्या-क्या योग्यता विद्यमान है? (ग) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया को कौन सी विशेष योग्यता प्रदान की गई है? इनको आउट आफ टर्न प्रमोशन (क्रम तोड़कर पदोन्नति) देने हेतु किस-किस कमेटी द्वारा कब-कब आदेशित किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में क्या श्री भदौरिया द्वारा नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्नांश दिनांक तक प्रस्तुत अचल सम्पत्ति का विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उज्जैन में पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी

22. (क्र. 3544) श्री सतीश मालवीय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उज्जैन जिले में पशु चिकित्सा विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद में पदस्थ है? यदि हाँ, तो जिले में पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या श्री संतोष श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्हेल द्वारा मूल पद पर कार्य किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनकी जिले में विभागीय कार्य हेतु आवश्यकता नहीं है? यदि श्री संतोष श्रीवास्तव की जिले में आवश्यकता नहीं है तो क्या उन्हें अन्य जिलों में पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) श्री संतोष श्रीवास्तव द्वारा विगत 12 वर्षों से विभागीय कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो उन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है? गलत वेतन भुगतान की वसूली कब तक की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जिला पंचायत उज्जैन में एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी सम्बद्ध है। 1. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा सहायक शल्य 2. श्री आर.के.जैन, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। (ख) जी नहीं। कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश से जिला पंचायत उज्जैन में सम्बध्द है। आवश्यकता है तथा तदानुसार पदस्थापना की जाती है। समय सीमा बताना संभव नहीं। (ग) कलेक्टर जिला उज्जैन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन के आदेशों के अनुरूप डॉ. संतोष श्रीवास्तव द्वारा जिला पंचायत उज्जैन में कार्य किया जा रहा है। शासकीय कार्यों के निर्वहन के फलस्वरूप वेतन भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 197 के अंतर्गत धारा -110 की कार्यवाही

23. (क्र. 3550) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के मुलताई थाना अंतर्गत वर्ष 2015 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-110 की कार्यवाही किन-किन के विरूद्ध करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुलताई को प्रकरण भेजे गये थे? (ख) प्रश्नांकित प्रकरणों में धारा 110 की कार्यवाही का क्या आधार थाना प्रभारी ने माना है? धारा 110 की कार्यवाही किन कारणों पर की गई? प्रत्येक प्रकरण में कारणों एवं दर्ज प्रकरणों की धारा सहित पूर्ण ब्यौरा दें? (ग) क्या प्रश्नांकित कार्यवाही में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों/पूर्व विधायक आदि पर भी धारा 110 की कार्यवाही की गई है? पूर्व विधायक पर कितने प्रकरण विचाराधीन है तथा कितने प्रकरण में खात्मा लगा दिया गया है, पूर्ण विवरण दें? कितने प्रकरणों में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है? (घ) प्रश्नांकित राजनैतिक प्रकरणों में धारा 110 की कार्यवाही कैसे की जा सकती है? क्या शासन

द्वारा संबंधित थाना प्रभारी द्वारा बनाये गये धारा 110 की कार्यवाही की उच्च अधिकारियों से जाँच कराकर जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने/पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने वाले दोषी थाना प्रभारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है**। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है**। (घ) धारा 110 जाफौ की कार्यवाही उन व्यक्तियों पर की जाती है जिनका अपराधिक रिकार्ड होता है और जिनसे परिशान्ति भंग होती है। उक्त कार्यवाही जन प्रतिनिधियों की छवि खराब करने/पक्षपात पूर्ण कार्यवाही किसी भी थाना प्रभारी द्वारा नहीं की गई है।

वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ितों को मुआवजा वितरण

24. (क्र. 3556) श्री प्रहलाद भारती : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी.न./2134/2001 के निर्णय में दिनांक 24.01.2006 को पारित आदेश में वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीडितों को आर्थिक सहायता राशि भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यह भी सही है, कि संबंधित को उक्त आदेशानुसार भुगतान न करने पर अवमानना प्रकरण क्रमांक 881/2007 दिनांक 21.02.2013 में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा पीडितों को पुन: आर्थिक सहायता राशि को 40 प्रतिशत बढ़ाकर ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिये थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या शिवपुरी जिलें में 1984 के दंगा पीडितों को आर्थिक सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण गृह विभाग, म.प्र. शासन में प्रचलित है जिसमें से 11 लोगों को राशि प्रदाय की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कितने लोगों को मुआवजा दिया जाना शेष है स्पष्ट करें? व शेष का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) क्या उक्त प्रकरण में सचिव गृह विभाग म.प्र. शासन को कलेक्टर शिवपुरी के पत्र क्र./69/रा.ले./2015 शिवपुरी दिनांक 03.01.2015 द्वारा श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह को शेष राशि रूपये 780000/- का भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित को उक्त राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 40 प्रतिशत बढ़ाकर उक्त अवधि के ब्याज सहित कर दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के 40 प्रकरण मुआवजा राशि दिये जाने हेतु विचाराधीन थे जिनमें से 11 व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया तथा शेष 29 प्रकरण खारिज किये गये। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रकरण में विचारोपरान्त कलेक्टर कार्यालय में लंबित प्रकरणों को समिति के समक्ष विचारार्थ रखकर निराकरण हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

पशुरोग बांझ निवारण शिविरों की व्यय राशि में अनियमितता

25. (क्र. 3569) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक ऋण सहायता से प्रदेश में यह योजना क्रियान्वत है? क्या पशुपालन सेक्टर का मुख्य उद्देश्य परियोजना के चयनित जलाशय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामों में स्वास्थ्य पशुधन, स्वरोजगार सुलभ करना है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 13-14 में

प्रदेश में परियोजना के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया? (ग) बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया गया तो उसमें किन प्रावधानों के अनुसार व्यय हुआ? (घ) वर्ष 13-14 से 14-15 तक कितना व्यय हुआ तथा उक्त प्रोजेक्ट के तहत छतरपुर जिले को लाभ न देने के क्या कारण रहे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्टक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत जारी की गई विभागीय गाईड लाईन अनुसार व्यय किया गया है। (घ) वर्ष 2013-14 में कुल राशि रू. 5437763.00 लाख एवं वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक राशि रू. 7731853.00 लाख का व्यय हुआ है। छतरपुर जिले में चयनित जलाशयों के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के लिए स्वीक़ृत ''स्कीम मार्डनाईजेंशन प्लान'' के तहत प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो जाने के कारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कार्य नहीं लिए गए है।

परिशिष्ट – "चार''

हत्या, डकैती, गुमशुदी के प्रकरणों में कार्यवाही

26. (क्र. 3571) कुँवर विक्रम सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में हत्या, डकैती, गुमशुदी के कितने प्रकरण वर्ष 2014-15 में प्रकाश में आये? (ख) ऐसे कितने प्रकरण छतरपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के पास आवेदन पत्र शिकायत के रूप में प्राप्त हुए, जिन पर थाना प्रभारियों ने कार्यवाही नहीं की? (ग) छतरपुर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कितने थाना प्रभारियों के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस दिये गये कारण सहित विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2014 तथा फरवरी 2015 तक प्रदेश में हत्या के 2573, डकैती के 134 एवं गुमशुदगी के 30554 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक है।

बंद ट्यूबवेल एवं हेण्डपंपों को चालू करने एवं नवीन स्थापित करना

27. (क्र. 3621) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में कुल कितने ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप संचालित हैं जानकारी प्रत्येक ग्रामवाईज देवें? उनमें से कितने ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप चालू है एवं वर्तमान में कितने बंद पड़े है? (ख) बंद पड़े ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप कब तक चालू करा दिये जावेंगे? इसकी क्या कार्ययोजना बनाई गयी है? (ग) अल्प वर्षा के कारण क्या सूखा राहत योजना में इस क्षेत्र हेतु नवीन ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप स्थापना हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो इस योजना में कुल कितने नवीन ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप स्वीकृत किये जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1244 हैंडपंप संचालित, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वर्तमान में 981 चालू एवं 263 बंद है। (ख) बंद हैंडपंप जलस्तर कमी के कारण बंद है, जो की वर्षा काल में जलस्तर वृद्धि उपरांत चालू हो जायेंगे। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधानों एवं लक्ष्य के अनुसार आंशिकपूर्ण श्रेणी के ग्रामों एवं बसाहटों में कार्य किये जावेंगे। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

पी.एम.टी. फर्जीवाड़े की जाँच

28. (क्र. 3643) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.एम.टी. परीक्षा के किस-किस वर्ष में फर्जीवाडे को लेकर कितने-कितने व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें परीक्षा में चयनित तथा अचयनित छात्र कितने-कितने है उनकी सूची देवें तथा बतावें कि किस-किस छात्र के अभिभावक/पिता पर प्रकरण दर्ज किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रकरण दर्ज व्यक्तियों में से किस-किस को किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया, तथा उनकी जमानत किस दिनांक को हुई शेष की गिरफ्तारी हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में संदर्भित PMT परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, काउन्सलींग कमेटी के चेयरमेन, चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन, संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा चेयरमेन व्यापम से किस-किस दिनांक को पूछताछ की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अधिकारियों से पूछताछ कर उनकी जिम्मेदारी तय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उज्जैन संभाग में निर्मित पोली हाउस तथा दिया गया अनुदान

29. (क्र. 3644) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में पिछले तीन वर्षों में (2012 से 2014) में कितने पोली हाउस निर्मित हुये वर्ष अनुसार, गांव/शहर अनुसार निर्माण की दिनांक बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पोली हाउस के कृषकों ने किस दिनांक को सबसीडी हेतु आवेदन दिया, तथा उन्हें सबसीडी किस दिनांक को दी गई सबसीडी की राशि बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने कृषकों को आवेदन के बाद भी सबसीडी नहीं दी गई नहीं देने के कारण बतावें? (घ) क्या सबसीडी की आधी राशि कार्य प्रारंभ के साथ दी जाती है यदि हाँ, तो बतावें की कितनों को दी गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क), (ख) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) निरंक। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पांच"

ग्राम कपुरदेई में मतगणना के दौरान घटित घटना

30. (क्र. 3655) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कपुरदेई में ग्राम पंचायत चुनाव दिनांक 5-2-2015 को मतगणना के समय कोई घटना घटी थी? यदि हाँ, तो उसमें कितने लोग प्रभावित एवं दुघर्टनाग्रस्त हुए? (ख) उक्त घटना के संबंध में किन-किन लोगों पर अपराधिक प्रकरण किस धारा के अंतर्गत दर्ज किये गये? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या जिन व्यक्ति के ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है वह पूर्व से अपराधिक प्रवृत्ति के है? यदि नहीं तो उन पर किस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया? (घ) क्या जिन व्यक्तियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? दर्ज करने से पूर्व क्या साक्ष्य प्राप्त किये गये? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ, 6 व्यक्ति चोटग्रस्त हुये। (ख) फरियादी की लिखित सूचना पर उदल सिंह गौड़ उदल सिंह के तीनों लड़के, ददन सिंह, बलराज सिंह, रामबहादुर सिंह सहित लगभग 100-150 अन्य अज्ञात लोगों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 14/2015 धारा 147, 148, 149, 353, 332, 186, 307, 427, 506, भा.द.वि. एवं मध्यप्रदेश स्थानीय (निर्वाचन अपराध) प्राधिकरण 1964

संशोधन अधिनियम 2014 की धारा (घ) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। (ग) जी नहीं। मतदान केंद्र पर जाकर शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा करना एवं मतदान दल पर प्राणघातक हमला कर संज्ञेय अपराध घटित करने की लिखित सूचना प्राप्त होने पर द.प्र.सं. की धारा 154 के प्रावधान अनुसार प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। (घ) जी नहीं। अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् प्रकरण की विवेचना के समय साक्ष्य संकलित किये जाते हैं।

राजस्व अभिलेखों मे दर्ज जमीन

31. (क्र. 3728) श्री मुकेश नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कि रायसेन जिले के राजस्व अभिलेखों में बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड के जंगल मद की जिन जमीनों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 (1) में अधिसूचित किया उन जमीनों पर समाज के प्रचलित अधिकारों को समाप्त किए जाने के प्रश्नांकित तिथि तक भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा आदेश पारित नहीं किए गए है? (ख) यदि हाँ, तो रायसेन जिले के किस ग्राम के कितने बड़े झाड के जंगल, कितने छोटे झाड के जंगल, कितनी पहाड़ चट्टान कितनी घांस, चरनोई मद की जमीनों को वन विभाग ने किस दिनांक को प्रकाशित अधिसूचना के तहत धारा 29 एवं धारा 4 (1) में अधिसूचित किया इसमें से कितनी जमीनों की जाँच किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्तमान में लंबित है? (ग) किस ग्राम की कितनी जमीनों को धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित किए बिना ही वन विभाग ने धारा 4 (1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल कर लिया है धारा 5 से 19 तक की जाँच हेतु लंबित जमीनों में से किन-किन को सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज की गई भूमि है? (घ) राजस्व अभिलेखों में विभिन्न मदों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन मानकर आरक्षित वन बनाए जाने की जाँच अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए जाने का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लिंक न्यायालय की स्थापना

32. (क्र. 3750) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले में वर्तमान में कौन-कौन सी तहसील है इसमें से किस-किस तहसील में किस श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थाई न्यायालय एवं किस तहसील में लिंक न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं? (ख) बैतूल जिले में शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं चिचोली तहसील का गठन किस अधिसूचना क्रमांक, दिनांक से किया गया इन तहसीलों में स्थाई न्यायालय या लिंक न्यायालय की प्रश्नांकित तिथि तक भी स्थापना न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) बैतूल जिले के शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं चिचोली तहसील में लिंक न्यायालय या स्थाई न्यायालय की स्थापना हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा हैं? कब तक न्यायालय कार्य प्रारम्भ कर देगें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ब्याज पर पैसा बांटने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

33. (क्र. 3752) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में ब्याज पर पैसा बांटने वालों के विरूद्ध किस थाने में किसका आवेदन किस दिनांक को प्राप्त हुआ इनमें से किस के पास ब्याज पर पैसा बांटने का लाईसेन्स हैं?

(ख) ब्याज पर पैसा बांटनें वालों के विरूद्ध उपरोक्त अवधि में किस थाने में किस दिनांक को किस-किस धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया, किस दिनांक को किसके घर की तलाशी ली जाकर क्या-क्या सामग्री, दस्तावेज आदि किसके द्वारा जप्त किए गए? (ग) ब्याज पर पैसा बांटनें वालों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों में से किस-किस शिकायत पर किन-किन कारणों से प्रश्नांकित तिथि तक भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया? इसमें से कितनी शिकायत अनुसूचित वर्ग के आवेदकों के द्वारा की गई थी? (घ) ब्याज पर पैसा बांटकर मनमाना ब्याज वसूलनें वालों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** समस्त शिकायतों में अपराध पंजीबद्ध किया गया। (घ) शिकायत प्राप्त होने पर विधिवत् कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "छः "

नज़ूल भूमि का आवंटन

34. (क्र. 3787) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गुना के नगरपालिका क्षेत्र गुना एवं अन्य कस्बों में 2000 से 2014 तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी नजूल भूमि है, कितनी भूमि आवंटित की गई शेष कितनी है क्या नजूल भूमि पर कब्जा है? (ख) क्या गुना जिले की अधिकतर नजूल भूमि पर आमजन ने कब्जा कर भवन, दुकानें और मैरिज गार्डन बना लिये यदि हाँ, तो उनका अतिक्रमण कैसे और कब हटेगा? (ग) क्या गुना शहर एवं ग्रामीण अंचल में नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं तो कब करेगें? बजरंगढ़ रोड पर क्या नजूल एवं मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण कर मैरिज गार्डन होटल बनाई है? (घ) क्या नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कोई नीति है? गुना जिले में नजूल भूमि पर अतिक्रमण कब और किस रीति से बेदखल करेगें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तकनीकी पदों की संविदा भर्ती में अनियमितता

35. (क्र. 3791) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में वर्ष 2014-15 में तकनीकी पदों की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव मंगाये थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पदों के लिए, विवरण दें? (ख) क्या विभाग द्वारा संविदा आधार पर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए कोई निर्धारित नीति म.प्र. शासन से स्वीकृत करायी है? यदि हाँ, तो व्यापम से भर्ती क्यों नहीं करायी? कारण बतायें। (ग) यदि विभाग के तकनीकी पदों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं तो क्यों विभाग ने उनकी परीक्षा आयोजित की है या उनके इन्टरव्यू लिये है? यदि हाँ, तो क्या सभी आवेदकों को सूचना दी है या नहीं? कब तक नियमानुसार भर्ती करेगें? (घ) यदि विभाग द्वारा निर्धारित नीति से परीक्षा नहीं करायी तो क्या तकनीकी पदों पर भर्ती में पक्षपात किया है? यदि नहीं तो क्या उक्त भर्ती का तकनीकी विभाग से परीक्षण करायेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि अनियमितता हुई हो तो कार्यवाही करेगें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : जी हाँ। तकनीकी सहायक। (ख) तकनीकी सहायक हेतु म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के भर्ती वर्गीकरण एवं सेवा शर्तो के अनुसार निश्चित मानदेय पर अनुबंध पर रखे जाने हेतु आवेदन मंगाए गए थे जिस हेतु व्यापम से भर्ती कराने का प्रावधान नहीं है। (ग) साक्षात्कार आयोजित किए गए। सभी आवेदकों को सूचना दी गई। समयावधि बताना संभव नहीं। (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ललपुर जल शोधन संयंत्र के रखरखाव में अनियमितता

36. (क्र. 3855) श्री अंचल सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जल शोधन संयंत्र ललपुर (जबलपुर) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगर निगम जबलपुर को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में इसकी सुरक्षा, रख रखाव, मरम्मत व सुधार कार्य हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत हैं, स्वीकृति के विरूद्ध कितने कर्मचारी कौन-कौन से पद पर कब से पदस्थ हैं, सूची विवरण सहित देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जल शोधन संयंत्र के रख रखाव, मरम्मत, सुधार कार्य एवं सामग्री क्रय करने हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? मदवार बतावें। यह भी बतावें कि उक्त व्यय की गई राशि का भौतिक सत्यापन कब किस अधिकारी द्वारा किया गया? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की विस्तृत जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में निर्माण कार्य सुधार कार्य के दौरान शेष बची सामग्री/ कौन-कौन सी है एवं कितनी मात्रा में है, इसका बाजार मूल्य वर्तमान में क्या होगा? क्या शेष बची सामग्री की चोरी हो रही है एवं सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो दोषी कौन है? उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गाडरवारा क्षेत्र में संचालित रेशम केन्द्र

37. (क्र. 3920) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने रेशम केन्द्र ग्रामोद्योग विभाग के संचालित हैं? उनके पास कितनी जमीन है स्पष्ट जानकारी दें? (ख) विभाग के संचालित केन्द्रों में कितना स्टाफ कार्यरत है रेशम केन्द्रवार अलग-अलग जानकारी दें? (ग) कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के हिसाब से स्टाफ पदस्थ है? प्रत्येक रेशम केन्द्र में रेशम केन्द्रवार कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं या कर्मचारी के पास अधिकारी के पद का चार्ज है, अगर हाँ तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 07 विभागीय रेशम केन्द्र संचालित है। उनके पास 221.13 हेक्टेयर जमीन है। जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	रेशम केन्द्र का नाम	उपलब्ध भूमि
1	नांदनेर	66.0 एकड़
2	रहमा	30.0 एकड़
3	पनागर	1.33 एकड़

4	डुंगरिया	30.0 हेक्टेयर
5	ढिगसरा	30.0 हेक्टेयर
6	चीचली	100.0 हेक्टेयर
7	बाबई खुर्द	15.0 हेक्टेयर

(ख)

क्रं.	संचालित रेशम केन्द्र	पदस्थ स्टॉफ	संख्या
1	नांदनेर	प्रवर्तक फील्डमेन	02 01
2	रहमा	फीडल आफीसर	01
3	पनागर	प्रवर्तक	01
4	डुंगरिया	पनागर मे पदस्थ प्रवर्तक को अतिरिक्त प्रभार	-
5	ढिगसरा	पनागर मे पदस्थ प्रवर्तक को अतिरिक्त प्रभार	-
6	चीचली	प्रवर्तक	01
7	बाबई खुर्द	प्रवर्तक	01

(ग) रेशम संचालनालय में राज्य स्तरीय संवर्ग है एवं विभागीय ढॉचा स्वीकृत नहीं है। अत: संचालनालय के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों को अवश्यकतानुसार कार्यालयवार/केन्द्रवार पदस्थ किया जाता है तथा कार्य अनुसार किसी-किसी कर्मचारी को एक से अधिक केन्द्र का प्रभार भी देना आवश्यक हो जाता है। इस कारण डुंगरिया व ढिगसरा केन्द्रों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कलियासोत नदी की भूमि पर अतिक्रमण

38. (क्र. 3935) श्री प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के कोलार क्षेत्र से निकली नदी कलियासोत की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों/ संस्थाओं/ बिल्डरों द्वारा अवैध कब्जा कर भवनों का निर्माण किया गया है? अवैध कब्जाधारियों की जानकारी नाम एवं पते के साथ उपलब्ध करायी जावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के उपरांत भी किये गये भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी है? क्या संबंधितों के विरूद्ध गलत निर्माण की स्वीकृति देने के लिए कार्यवाही की जावेगी? (ग) कलियासोत नदी के अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामूहिक नल-जल योजना

39. (क्र. 3966) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक नल-जल योजना बनाये जाने का

प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर सामूहिक नल-जल योजना बनाया जाना है एवं उक्त सामूहिक नल-जल योजना से कितने ग्राम लाभान्वित होगें? प्रत्येक का विवरण पृथक-पृथक दें? (ग) बेनगंगा नदी से सामूहिक नल जल योजना बनाने के प्रस्ताव में क्या-क्या कार्यवाही हो गयी हैं एवं कितनी, राशि का विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**

परिशिष्ट – "सात''

शासकीय आवासों की जानकारी

40. (क्र. 3987) श्री मधु भगत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर को उसके जिले के अतंर्गत शासकीय भवन जो कि अन्य विभाग के स्वामित्व के हो क्या उन्हें आवंटन करने का अधिकार शासन ने सौंपा है? यदि हाँ, तो उस नियम की शासनादेश की प्रति बताये? (ख) बालाघाट नगर के अतंर्गत कौन-कौन से शासकीय आवास ऐसे है जो कि शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को आवंटित न होकर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था कार्यालय समिति इत्यादि को आवंटित है? उनके नाम, भवन के पहचान चिन्ह को अर्थात क्रमांक, इलाका और आवंटन आदेश की प्रति सहित बताये? (ग) जो भी जिले के अतंर्गत उपरोक्त अनुसार संपित्तयां नियमानुसार एवं विधिवत आवंटित है उनसे शुल्क के रूप में कितनी राशि प्रतिमाह किस-किस से जमा कराया जाना है एवं कितनी राशि किस मद में जमा की जा रही है तथा किससे कितनी राशि लेना शेष है? (घ) किराये की राशि का निर्धारण करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाएं है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पोषण आहार वितरण में अनियमितताएं

41. (क्र. 4123) श्री दुर्गालाल विजय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले को माह अप्रैल 2014 से वर्तमान तक पूरक पोषण आहार हेतु कितनी राशि आवंटित की गई हैं, के विरूद्ध कितनी व्यय की गई? (ख) उक्त अवधि में जिले को प्रतिमाह कितना-कितना पोषण आहार किस-किस दिनांक को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरित करने हेतु प्राप्त हुआ? जिले से संचालित सभी केन्द्रों पर शासन निर्देशानुसार पोषण आहार प्रतिमाह किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी मात्रा में वितरण हेतु भेजा गया? पोषण आहार किस-किस एजेंसी द्वारा प्रदाय किया गया? (ग) क्या यह सच हैं कि मुख्यालय पर स्थित वार्ड क्रमांक 17 के इस्लामपुरा सहित कई केन्द्रों पर उक्त आहार के जो बेग भेजे गये उन पर निर्मित तिथि 21.09.2014 अंकित थी? इनकी एक्सपायरी डेट 21.12.2014 को समाप्त हो गई के बावजूद ये बेग 25.12.2014 को केन्द्रों पर वितरण हेतु भेजे गये? (घ) क्या उक्त केन्द्रों पर एक्सपायरी डेट के इन बेगों में भरे पैकेटों को पात्र बच्चों, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती धात्री महिलाओं को वितरण न करके अपात्र किशोर बच्चों को कुछ घण्टों में अनियमित तरीके से बांट दिये गये? यदि हाँ, तो इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं? यदि नहीं तो क्या शासन इस पूरे मामले की जाँच करवायेगा, यदि नहीं तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) श्योपुर जिले को माह अप्रैल 2014 से 10 मार्च 2015 तक की अवधि में पूरक पोषण आहार हेतु राशि रू. 5,03,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ

है, जिसमें से अप्रैल 2014 से 10 मार्च 2015 तक राशि रू. 2,44,44,949/- का व्यय हुआ है। (ख) जिले को प्रतिमाह प्राप्त पोषण आहार की दिनांकवार प्राप्ति व वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हा। वार्ड क्रमांक 17 के इस्लामपुरा सहित अन्य तीन केन्द्रों पर जो बेग वितरण किये गये थे जिनकी निर्मित तिथि 21.9.2014 थी। उन बेगों की वितरण तिथि पोषण आहार पावती के अनुसार 18.11.2014 है। अतः एक्सपायरी डेट पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं है। (घ) जी नहीं। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पात्र हितग्राहियों को पोषण आहार वितरण किया गया। शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बसाहट स्थलों को आबादी की भूमि घोषित करना

42. (क्र. 4124) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जिनके बसाहट स्थल राजस्व अभिलेखों में आबादी की भूमि घोषित नहीं हैं? उनके नामों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) उक्त क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ददुनी, चिमलका, चैनपुरा (ग्राम पंचायत दांतरदाकला) एवं कोटरा सहित उक्त गांवों के बसाहट स्थलों को आबादी की भूमि घोषित करने हेतु शासन द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) बसाहट स्थलों को आबादी की भूमि घोषित करने के लिये क्या नियम प्रक्रियाए हैं, की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार गांवों की भूमि आबादी घोषित न होने के कारण इन गांवों में कई दशकों से निवासरत ग्रामीणों को इन्द्रा/मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया हैं इस कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा हैं? (ड.) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त/ऐसे सभी ग्रामों का सर्वे कराकर बसाहट वाले स्तरों की नोईयत परिवर्तन कराकर राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि घोषित करने की कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निष्क्रांति सम्पत्ति रिफ्यूजी क्वाटर का निपटान

43. (क्र. 4166) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अवर सचिव, म.प्र. शासन पुनर्वास विभाग के आदेश क्र. एफ-22-143/1/84/1/28 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1991 द्वारा जिला शहडोल के शहडोल नगर वार्ड क्र. 7 स्थित निष्क्रांति सम्पत्ति रिफ्यूजी क्वाटर क्र. 29 का वर्ष 1991 के आधार पर निर्धारित विक्रय मूल्य की राशि रू. 35276/- आदेशानुसार आवंटी श्री सेतराम द्वारा नहीं करने के कारण प्रश्नाधीन शासनादेश निरस्त किया गया अथवा नहीं? यदि हाँ, तो शासनादेश निरस्त करने का क्रमांक दिनांक क्या है और यदि नहीं तो आदेश निरस्त न करने का कारण बतायें? (ख) प्रश्नाधीन क्वाटर क्रमांक 29 का वर्ष 2015 के कलेक्टर गाइड अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन को हो रही वित्तीय हानि का देखते हुए प्रश्नाधीन क्वाटर की बिक्री खुली नीलामी द्वारा की जावेगी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो नीलामी कब तक में की जावेगी और यदि नहीं तो क्यों नहीं? औचित्य के साथ कारण बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जाना कार्य

44. (क्र. 4167) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 1993 से लगातार घाटे में चल रहा म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अब फायदे में चलने लगा है? उत्तर हाँ अथवा नहीं दीजिए? (ख) प्रश्नाधीन निगम के जिलों में कार्यपालिक अधिकारी के पद का कार्य पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा किन-किन जिलों में किया जा रहा है तथा ऐसे अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान पर शासन पशुपालन विभाग द्वारा कार्य प्रभार तिथि से 31 जनवरी 2015 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? (ग) पशु नस्ल सुधार हेतु विभागीय संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कृत्रिम गर्भाधान कार्य में शासन द्वारा प्रभावशील शुल्क से 1 अप्रैल 2012 से जनवरी 2015 तक की अवधि में जिलेवार कितनी-कितनी राशि प्रश्नाधीन निगम में जमा कराई गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) में विभाग द्वारा व्यय की गयी वेतन भत्ते की राशि एवं प्रश्नांश (ग) की जमा कराई गई शासकीय शुल्क की राशि को प्रश्नाधीन निगम की आय में से घटाने के उपरांत निगम का वास्तविक लाभांश क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2013-14 (अनअंकेक्षित) से निगम लाभ की स्थिति में आ गया है। (ख) निगम के रीवा, विदिशा, रतलाम, इन्दौर, जबलपुर, डिण्डोरी, बालाघाट, सिवनी, सीधी, शहडोल, ग्वालियर एवं सागर जिलों के कार्यपालिक अधिकारियों का कार्य पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों द्वारा विभाग में पदस्थ पद के कार्यों के अतिरिक्त कार्य संपादित किया जा रहा है। इसलिए पशुपालन विभाग के द्वारा नियमानुसार राशि रू. 2,23,20,312.00 (दो करोड़ तैइस लाख बीस हजार तीन सौ बारह) का वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है। (ग) वर्षवार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** दी गई है। (घ) प्रश्नांश – ख तथा प्रश्नांश- ग की राशि को आय की गणना में नहीं लिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट – "आठ"</u>

<u>अतिवृष्टि एवं ओला वृष्टि से हुये नुकसान का मुआवजा</u>

45. (क्र. 4192) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिला अन्तर्गत बुधवार 11 एवं 12 फरवरी 2015 के मध्य असमय हुई वारिश एवं भीषण ओलावृष्टि की वजह से रबी मौसम की बोई गई दलहन, तिलहन, गेहूं एवं सब्जी तथा फलों की फसलों को काफी नुकसान हुआ? पाटन, कटंगी, मझौली, शहपुरा, बरगी, बरेला, पड़वार चरगवां, पनागर, सिहोरा एवं अन्य क्षेत्रों में पक कर खड़ी मसूर, चना, बटरा-बटरी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई? तथा गेहूँ की फसल भी पूरी तरह से टूट गई? (ख) प्रश्नांक (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि उल्लेखित फसल हानि के आंकलन हेतु पाटन पनागर बरगी एवं सिहोरा विधान क्षेत्र अन्तर्गत R.B.C.-6-4 के तहत कहाँ-कहाँ किसके नेतृत्व में कितने-कितने सर्वे दल गठित किये गये? राजस्व विभाग की प्रारंभिक सर्वे रिपोर्टों में कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी प्रतिशत क्षति आंकी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में गठित सर्वे दलों द्वारा पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी कितनी फसलों की नुकसानी का आंकलन कर कितने पीड़ित कृषकों को कितना-कितना मुआवजा देने की अनुशंसा की? (घ) क्या शासन फसल हानि के पटवारी सर्वे दल द्वारा किये गये आंकलन को मुआवजा प्रदान करने के पूर्व सार्वजनिक पंचायत भवन, सहकारी बैंकों व समितियों में चस्पा करने एवं सर्वे दलों में कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का प्रावधान करेगा ताकि पारदर्शिता रहे तथा

जिन किसानों का क्षति का कम आंकलन हुआ है अथवा नहीं किया गया है, वे समय रहते शिकायत कर पुन: सर्वे करवा सके?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नलजल योजनाओं के अपूर्ण कार्य

46. (क्र. 4222) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खण्डवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांगरदा, जलवांबुजुर्ग, अटूटखास, चिचलीखुर्द मोहद, गुलगांवरैयत, डूडगांव, में नल जल योजना स्वीकृत हुई है? यदि हाँ, तो उनका स्वीकृत वर्ष क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में बताएं गांवों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम में कितनी नवीन पाईप लाईन डाली गई है? इनमें किन ग्रामों में पाईप लाईन अधूरी है, उसका क्या कारण है? अधूरी पाईप लाईन कब तक पूरी कर ली जाएगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के ग्रामों में नलजल योजना की पाईप लाईन अधूरी रहने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। 01 ग्राम डुडगांव में रोड नवीनीकरण के कारण कार्य अधूरा है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। (ग) कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''नौ''

अरेरा कॉलोनी की नजूल भूमि की भू-भाटक राशि

47. (क्र. 4276) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1974 से 1982 की अवधि में अवधिवार कौन से रकबा मय एकड़ के आवासीय योजनाओं के ई-6 एवं ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कॉलोनी भोपाल के लिये म.प्र. गृह निर्माण मंडल को आवंटित किए गये थे? (ख) आवंटन के समय उन भूखंडो की कितनी-कितनी प्रब्याजी राशि तथा भू-भाटक की राशि कलेक्टर आदेशों से दर्शायी गयी थी अथवा निर्धारित की गई थी? (ग) क्या ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कॉलोनी भोपाल के भूखंड 75 एकड़ क्षेत्रफल की आवंटन आदेश में प्रति वर्ष रू. 548856.00 भू-भाटक दर्शाया गया था? (घ) यदि नहीं तो सही वार्षिक भू-भाटक राशि क्या थी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निस्तार पत्रक में दर्ज जमीन

48. (क्र. 4284) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाये जाने वाले निस्तार पत्रक में किन-किन अधिकारों एवं किन-किन प्रयोजनों के लिए किन भूमियों को दर्ज किए जाने का प्रावधान दिया गया है? (ख) बैतूल जिले के कितने ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज कितनी जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि एवं नारंगी वन भूमि सर्वे डिमारकेशन में किस अवधि में शामिल किया

गया? इनमें से कितनी जमीनों की जाँच वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी बैतूल/मुलताई/भैंसदेही के समक्ष लंबित है? (ग) राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि या नारंगी वन भूमि सर्वे में शामिल किए जाने का प्रावधान भू राजस्व संहिता 1959 की किस धारा में दिया गया है? (घ) अनुविभागीय अधिकारी बैतूल/मुलताई एवं भैंसदेही के समक्ष लंबित निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों की लंबित जाँच कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरण का निराकरण

49. (क्र. 4341) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री अंसारी, निवासी मोहल्ला तरेहटी, तहसील हुजूर, जिला रीवा द्वारा नजूल मोहल्ला घोघर स्थित प्लाट क्र. 1073/09 एवं 1073/10 रकबा 1300 वर्गफिट वर्ष 2011 का नामांतरण कराया गया है? (ख) क्या श्री अंसारी द्वारा उक्त प्लाट का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन दिया गया है? यदि हाँ, तो नजूल प्रभारी तहसीलदार द्वारा सीमांकन नहीं कराया जा रहा है? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? कब तक करा दिया जाकर कब्जा दिलाया जावेगा? (ग) क्या सीमांकन नहीं करने के संबंध में शिकायत मा. मुख्यमंत्री एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, मा.मंत्री को की गई है? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मंदसौर जिले में नोटरी की कमी

50. (क्र. 4349) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में कितने नोटरी शपथायुक्त नियुक्त है? 1 जनवरी 2010 के पश्चात कितने नियुक्त किये गये? इनकी नियुक्ति के क्या मापदण्ड रखे गये? (ख) 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर न्यायालय में कितने नोटरियों ने कितने शपथ पत्र तैयार किये, नोटरी का नाम, शपथ पत्र की संख्या सहित जानकारी देवें? (ग) क्या कम नोटरी होने एवं शपथकर्ताओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण नोटरी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो मंदसौर न्यायालय में नोटरी कब तक बढ़ा दिये जायेंगे? (घ) मंदसौर न्यायालय में प्रश्नांश (ग) से संदर्भित नोटरी की संख्या बढ़ाने हेतु कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए? क्या इनका निराकरण कर नोटरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन

51. (क्र. 4350) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में कितने आंगनवाडी केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित है? इनमें कितने बच्चे रजिस्टर्ड है प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र की जानकारी, आंगनवाडी संचालनकर्ता, सहायिका सहित देवें? (ख) प्रश्नांश के संदर्भित कितनी आंगनवाड़ी शाला शासकीय भवन में है तथा कितनी किराये से लग रही है तथा कितनी ऐसी है जो शासन द्वारा कक्ष निर्माण के बावजूद किराये के भवन में चल रही है, किराये की राशि सहित जानकारी देवें? (ग) क्या विभाग

द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर के लिये कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है? यदि हाँ, तो कौन से रंग की ड्रेस निर्धारित है? (घ) गत 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों में कितना-कितना बजट महिला बाल विकास को आवंटित किया गया तथा उसे कहाँ-कहाँ खर्च किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रतलाम, मंदसौर, नीमच, जिले में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहाँयिका तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में कक्ष निर्माण के बावजूद किराये के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी निरंक है। ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये किराया राशि रू. 200/-प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र के लिये 750/-प्रतिमाह पूर्व में निर्धारित थी, जिसे वर्तमान में पुनरीक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये रू. 750/-प्रतिमाह एवं शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये रू. 3000/-प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। (ग) यह सही है कि विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये ड्रेस कोड निर्धारित है। सुपरवाईजर के लिये कोई ड्रेस कोड निर्धारित नही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये गहरा गाजरी कलर की साड़ी जिसमें नेवी ब्ल्यू बार्डर हो, यूनिफार्म के लिये निर्धारित की गई है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

पटवारियों को मानदेय

52. (क्र. 4360) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब राज्य के समान कार्य करने वाले प्रदेश के पटवारियों को तकनीशियन घोषित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या प्रदेश के समस्त पटवारियों को उनके अतिरिक्त हल्कों का मानदेय दिया जा रहा हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो क्या अतिरिक्त हल्के का मानदेय श्रम मूल्यों के अनुसार सही हैं? यदि नहीं तो क्या इसे पुनरीक्षित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) हरदा जिले की सिराली तहसील जो मकड़ाई स्टेट के समय ग्राम-सिराली (राजधानी) थी? उसका नजूल अभिलेख संधारित किए गए थे? यदि हाँ, तो क्या वह अभिलेख वर्तमान में प्रचलित हैं, यदि नहीं तो क्यों? क्या उक्त अभिलेख कहीं सुरक्षित हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या मकड़ाई स्टेट की नजूल आबादी (सिराली) पुन: रिकार्ड संधारित किए जाकर निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार के पट्टे उपलब्ध करावाए जा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर जिलान्तर्गत चरनोई की भूमि

53. (क्र. 4362) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिला अंतर्गत मझौली तहसील के प.ह.न. 39 ग्राम सेलहटी ग्राम पंचायत टिकरी में राजस्व रिकार्ड में कौन-कौन से खसरा नंबरों की कितनी-कितनी भूमि चरनाई/घास मद में दर्ज है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित जमीन पर वर्तमान समय पर किस-किस खसरा नंबरों पर किसने-किसने अतिक्रमण कर बेजा कब्जा किया है? सूची देवें एवं उन्हें बेदखल करने हेतु शासन ने अभी

तक क्या कार्यवाही की है? (ग) मझौली तहसील अंतर्गत प.ह.न. 39 के खसरा नंबर 02 राजस्व रिकार्ड में क्या चरनोई मद में दर्ज है एवं वर्तमान समय पर उसमें बेजा कब्जा किया गया है? (घ) प्रश्नांक (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो बेजा कब्जा धारी का नाम बतलावें एवं यह भी बतलावें की ग्राम की चरनोई भूमि से कब्जा मुक्त कराने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? उक्त भूमि कब तक बेजा कब्जे से मुक्त करा ली जावेगी? समय सीमा बतलावें? यदि नहीं मुक्त कराई जाती तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजस्व लीज की स्वीकृति</u>

54. (क्र. 4398) श्री विजयपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील पवई जिला पन्ना में जगदीश प्रसाद नगायच पिता राम मनोहर नगायच के नाम खसरा क्रं. 2754,2755 पवई में राजस्व लीज कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वीकृति की गयी? (ख) यदि की गयी तो कब और किस दिनांक को और कितने क्षेत्रफल की? क्या यह स्वीकृत लीज कलेक्टर पन्ना द्वारा निरस्त की गयी? यदि की गयी तो कब किस दिनांक को? (ग) क्या उक्त लीज पर मकान निर्मित हैं? यदि है, तो कितने एरिया में , क्या उक्त निर्मित मकान वैध है या अवैध? यदि अवैध है तो, क्या शासन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भोपाल स्थित पुरात्विक स्थल बैरागढ़ का नाम परिवर्तन</u>

55. (क्र. 4408) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 20-12-2014 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अनुसार ऐतिहासिक लाखों वर्ष प्राचीन स्थान बैरागढ़ का नाम परिवर्तन किया जा रहा हैं? जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में स्पष्ट उल्लेख हैं कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक का स्थान बदलना अनुच्छेद 49 का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो इस पर रोक लगाई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक, समयावधि बतावें? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें? (ख) क्या गोंडवाना सम्राज्य में प्राचीन ऐतिहासिक नाम होने के कारण ऐसे ऐतिहासिक नाम को मिटाने के उद्देश्य से परिवर्ततन किया जा रहा हैं? जिससे आदिवासी समाज के इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कलेक्टर भोपाल इसके लिये जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) बैरागढ़ का नाम परिर्वतन करने के विरोध में किन-किन प्रार्थी/सामाजिक संगठनों द्वारा किन-किन को पत्र/ज्ञापन पत्र दिया गया हैं? उनके पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि नहीं तो उचित कारण सहित जानकारी देवें? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कृषकों के खेतों में इमारती वृक्षों की कटाई</u>

56. (क्र. 4411) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषक के भूमि में लगाये गये इमारती वृक्ष को काटने की अनुमति दिये जाने के प्रावधान शासन

द्‌वारा किस प्रकार दिये गये हैं? (ख) क्या वन विभाग तथा अन्य विभाग से भी अनुमति या अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है? (ग) छिन्दवाड़ा जिले के कृषकों के ऐसे लकड़ी कटाई की अनुमति के कितने प्रकरण संबंधित विभाग में लंबित हैं? तथा इनमें अनुमति कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रीवा जिले में भूमि नामांतरण में अनियमितता

57. (क्र. 4459) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील मनगवां अतंर्गत पटवारी हल्का महमूदपुर 65 के पटवारी द्‌वारा कास्तकारों की भूमियों का नामान्तरण किसी अन्य के नाम खसरे में, किसी अन्य ग्राम के प्रकरण का हवाला देकर कर दिये जाने की शिकायत किसानों द्‌वारा जिलाध्यक्ष रीवा को अक्टूबर 2013 में एवं जून 2014 में अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां जनवरी 2014 में तथा मुख्यमंत्री महोदय को सितम्बर 2014 में आनलाईन शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतों के आधार पर जाँच कब की गई और यदि नहीं तो क्यों? (ख) ग्राम महमूदपुर में पटवारी द्‌वारा बिना पंजीकरण के तथा बिना किसी समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार के आदेश के किये गये नामान्तरण प्रकरणों की जाँच कराकर दोषी पटवारी के विरूद्‌ध कार्यवाही की जायेगी तथा सभी अवैध प्रविष्टि को कब तक निरस्त किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बलात्कार की घटना पर कार्यवाही

58. (क्र. 4475) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या थाना प्रभारी नूराबाद जिला मुरैना के द्‌वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 9/15 दिनांक 19.01.2015 श्रीमती हेमा कुशवाह पत्नी श्री अमरसिंह कुशवाह करहधाम परिक्रमा से लौटने पर श्री अमर शर्मा द्‌वारा बलात्कार किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक विवेचना क्या की गई? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अतंर्गत धारा अ-376 वं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अतंर्गत प्रकरण पंजीबद्‌ध किया गया है? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या मेडीकल परीक्षण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में श्री अमर शर्मा महाराजपुरा जिला ग्वालियर ने सोमवार दिनांक 19 जनवरी 2015 सायं 7.00 (5.30 बजे घटना घटित) की गई किन्तु प्रश्नांश दिनांक तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके किए कौन उत्तरदायी है। क्या आरोपी को बचाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या एक माह से अत्याधिक समय व्यतीत होने के उपरांत पुलिस निष्क्रिय है? पुलिस प्रशासन द्‌वारा समुचित कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस प्रशासन समुचित कार्यवाही कब तक करेगा। समयावधि के साथ जानकारी दे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बालाघाट जिले में दर्ज अपराधिक प्रकरण

59. (क्र. 4485) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2013-14 व 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्रकरण हत्या, लूटपाट, चोरी डकैती, बालात्कार के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) दर्ज प्रकरणों में कितने आरोपियों को गिरफ्तार

किया जा चुका है? कितनों की गिरफ्तारी शेष हैं? अभी तक शेष किन-किन अपराधियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उक्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या वारासिवनी के रायपायली थाना क्षेत्रांर्गत ग्राम अंसेरा निवासी हेमराज पिता पूनाराम चौधरी की हत्या किये जाने के संबंध में किस-किस के द्वारा कब किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई थी? उक्त रिपोर्ट के आधार पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित व्यक्ति की हत्या के संबंध में किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध किस-किस धारा के अतंर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? कब तक अपराधियों की गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जायेगें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है।** (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।**

परिशिष्ट – "दस''

दतिया अंतर्गत नलकूप खनन

60. (क्र. 4491) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग दतिया द्वारा वर्तमान में नलकूप खनन किस-किस एजेंसी से कौन सी मशीन से कितने व्यास के तथा कितनी इंची केसिंग डालकर किये जा रहे है? कौन-कौन सी खनन एजेंसी विभाग में पंजीकृत है तथा कौन सी एजेंसी ने विभाग में कौन सी मशीन के सत्यापन के प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं? (ख) दतिया जिले में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने एवं कहाँ-कहाँ किस एजेंसी द्वारा किस मशीन से कितने ग्रेवल पैक्ड एवं कितने साधारण कितने और कहाँ-कहाँ सफल कितने और कहाँ-कहाँ असफल नलकूप खनन किये गये, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे? (ग) क्या जो मशीन डीटीएच खनन करती है वह ग्रेविल पैक्ड खनन कर सकती है? यदि नहीं तो विकासखण्ड सेंवढ़ा के ग्रेविल पैक्ड एरिया में ग्राम ररूवा फिकाउट के पास डी.टी.एच मशीन से कार्य क्यों कराया गया जिसके परिणाम स्वरूप नलकूल फैल हो गया जबकि आस-पास के सभी नलकूप ग्रेविल पैक्ड होने से सफल है तत्संबंध में खनन एजेंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? यदि की गई तो जानकारी उपलब्ध कराई जावे यदि नहीं की गई है तो क्यों? कब तक की जावेगी? (घ) ग्रेविल पैक्ड एवं साधारण नलकूप खनन की विभाग से क्या दर निर्धारित है? यदि साधारण डी.टी.एच एरिया में ग्रेविल पैक्ड का भुगतान किया गया है तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण उलपब्ध कराये। यदि नहीं तो क्यों कब तक की जायेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**, खनन एजेन्सी के विभाग में पंजीकरण का प्रावधान नहीं है, सत्यापन प्रमाण-पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** (ख) 501 नलकूप, 123 ग्रेवेल पैक्ड तथा 378 साधारण एवं इनमें से 467 सफल तथा 34 असफल रहे, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार**। (ग) जी नहीं, प्रश्नांकित ग्राम के आस-पास के क्षेत्रों में ग्रेवेल पैक्ड एवं डी.टी.एच. दोनो प्रकार की मशीनों से नलकूप खनन हेतु अन्तः - भूस्तरीय परते है, खनित किया गया नलकूप नलजल योजना के स्रोत हेतु किया गया था। नलकूप असफल नहीं हुआ है किन्तु इसमें नलजल

योजना हेतु पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं हुई थी, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में स्वीकृत दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार**, जी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

अपात्र कृषकों को मुआवजा राशि का विवरण

61. (क्र. 4529) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में छतरपुर जिले की तहसील नौगाँव के ग्राम करारा में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से अप्रभावित अपात्र कृषकों को मुआवजा राशि के भुगतान किए जाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा दर्ज कराई गई थी? हाँ, तो तत्संबंधी शिकायत पत्र की प्रति प्रस्तुत करें? (ख) क्या उक्त शिकायत पत्र की जाँच हेतु जाँच दल गठित कर पंचनामा/जाँच प्रतिवेदन तैयार कराया गया है? हाँ, तो पंचनामा/जाँच प्रतिवेदन की जानकारी देवें? (ग) क्या उक्त जाँच निष्कर्ष में क्षतिपत्रक में बोई गई फसल के प्रतिकूल चना-मटर की फसल दिखाकर संयुक्त खातों को तोड़-मरोड़कर रकबा बढ़ाकर मंदिर की भूमि पर भूमिस्वामी दिखाकर अपात्र कृषकों को मुआवजा राशि का लाभ दिया जाना लेख है? हाँ, तो कुल अपात्र कृषकों के नामों की सूची, कृषकवार वितरित की गई मुआवजा राशि, मुआवजा राशि से वंचित पात्र कृषकों के नामों का विवरण लेख करें? (घ) क्या उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त उक्त पटवारी को निलम्बन कर, निलम्बन पश्चात बहाल कर दिया गया है? हाँ, तो निलम्बन व बहाली आदेश की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए निलम्बन/बहाली आदेश करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम उल्लेखित कर स्पष्ट करें कि उक्त बहाली आदेश उचित है या अनुचित? (ड.) यदि अनुचित है, तो शासन वितरित हो चुकी अनियमित राशि को उक्त पटवारी के वेतन से वसूल कर पात्र कृषकों को मुआवजा राशि वितरित कराने की कार्यवाही करेगा तथा अनुचित बहाली करने वाले उक्त अधिकारी के विरूद्ध सकारात्मक कार्यवाही करेगा? हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामूहिक कृषि सह. समिति मर्या. धामची (छतरपुर) की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

62. (क्र. 4530) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या-94 (क्रमांक 4310) दिनांक 21.07.2014 में दिए आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में सामूहिक कृ.स.स.मर्या. धामची को आवंटित शासकीय भूमि परिसमापन की कार्यवाही उपरांत म.प्र. शासन दर्ज की जा चुकी है? यदि हाँ, तो शासकीय अभिलेख खसरा की नकल अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। (ख) क्या शासकीय अभिलेख में उक्त भूमि म.प्र. शासन दर्ज होने के उपरांत उक्त भूमि पर आज (प्रश्न दिनांक तक) भी दबंग सदस्यों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अवैध फसल बोए जाने, अवैध बोर कनेक्शन व अस्थाई विद्युत विभाग में लंबित हैं? हाँ तो उक्त शिकायत-पत्रों की, की गई जाँच का जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवैध अतिक्रमणकारियों के नामों की सूची दें? (ग) क्या उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्न दिनांक तक उक्त अतिक्रमणकारियों के अवैध अतिक्रमण हटाने, अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन विच्छेद करने तथा शासकीय भूमि पर अवैध बोर कनेक्शन को शासन के नाम घोषित करने की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें, यदि नहीं की गई तो क्यों? (घ) शासन, शासन हित में उक्त बहुमूल्य शास. भूमि पर स्थित अवैध बोर को शासकीय घोषित करने, अतिक्रमणकारियों द्वारा बोई गई फसल को राजसात कराने व अस्थाई विद्युत कनेक्शन को त्वरित विच्छेद कराने के निर्देश जारी करेगा। हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अधिकारियों के आहरण के अधिकार से वंचित</u>

63. (क्र. 4545) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग में होने वाली व्यवहारिक परेशानियों को नजर अंदाज करते हुए केवल 27 जिलों में द्वितीय श्रेणी अधिकारियों द्वारा कम राशि आहरण की आड़ लेकर विषयानुसार अधिकार समाप्त किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो चूंकि यह विभाग आम जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ा होने एवं आये दिन हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु राशि की जरूरत जैसी व्यवहारिक परेशानियों को ध्यान में रखकर शासन द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के आहरण के अधिकार पुन: देनें पर विचार करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>ग्राम पंचायतों में संचालित नलजल योजना</u>

64. (क्र. 4546) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ नल-जल योजना का कार्य पूर्ण होने के बावजूद उसे ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डओवर नहीं किया गया है अथवा लेने के बाद बीच में ही योजना बंद कर दी गयी? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या शासन ग्राम पंचायतों द्वारा नल-जल योजनाओं के संचालित एवं संधारण में होने वाली व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए संचालन एवं संधारण का कार्य विभाग को पुन: देने पर विचार करेगा? (ग) ऐसी कितनी नल-जल योजनाएं हैं जिसमें डिजाईन की समयावधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है? नल-जल योजना अनुसार जानकारी दें? डिजाईन की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात क्या प्रावधान होते हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1348 नलजल योजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा हैंडओवर नहीं ली गई हैं तथा 1398 योजनाएं ऐसी हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा लेने के बाद बन्द हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी नहीं। (ग) नलजल योजनाओं की डिजाइन की समयवधि 15 वर्ष नहीं होती है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। डिजाईन अवधि पूर्ण होने पर शासन की नीति अनुसार आवर्धन कार्य करवाये जा सकते है।

<u>परिशिष्ट – "ग्यारह"</u>

<u>आरोपियों की गिरफ्तारी</u>

65. (क्र. 4564) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह विभाग मंत्रालय के निर्देश दिनांक 14.01.2011 द्वारा प्रतिमाह जिला समिति द्वारा कम से कम 5 प्रकरण चिन्हित किये जाने थे जो कि सनसनीखेज/गंभीर अपराध की परिधि में आते हो और उन प्रकरणों में पूर्ण रूप से फालोअप किया जाना था? (ख) सतना जिले में वर्ष 2010 से 2014 के बीच वर्षवार कौन-कौन से सनसनीखेज/जघन्य या गंभीर अपराध जिला समिति द्वारा फालोअप में लिये गये थे? सूची दें। (ग) सतना जिले में प्रश्नांश (ख) में चिन्हित किन-किन अपराधों में आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? आरोपियों की सूची उपलब्ध करावें? इन आरोपियों के पकड़ने में नाकाम रहने वाले पुलिस अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित

अपराधों में लापरवाही पूर्ण विवेचना करने एवं आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा और कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जिले में चिन्हित किसी भी अपराध में अपराधियों की गिरफ्तारी शेष नहीं है। (घ) उपरोक्त सभी चिन्हित अपराधों में फालोअप के दौरान निहित वैधानिक कार्यवाही की गई है। किसी भी अनुसंधानकर्ता अधिकारी की विवेचना में आरोपियों को पकड़ने में लापरवाही नहीं पायी गयी है।

परिशिष्ट – "बारह"

नल-जल योजना का क्रियान्वन

66. (क्र. 4569) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कितने ग्रामें में नल-जल योजना स्वीकृत है? इनमें से कितने ग्रामों में संचालित है व कितने ग्रामों में स्वीकृत होने के उपरांत भी प्रारंभ नहीं हो पाई है? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावे? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कितने शासकीय हैण्डपम्प स्थापित किए गए हैं? इनमें से कितने चालू स्थिति में है, कितनों में मरम्मत/सुधार की आवश्यकता है एवं कितने पूर्णरूपेण बंद हैं? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने पम्प सेट विद्युत मोटर प्रदाय की गई है एवं इनके संचालन की क्या स्थिति है? (घ) सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा विगत 02 वर्ष में नल-जल योजना अंतर्गत कितना व्यय किया गया एवं इससे कितने ग्राम लाभान्वित हुए? विगत 02 वर्ष में कितने प्रकरणों में नल जल योजना से संबंधित विपरीत तथ्य संज्ञान में आए एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 77 ग्रामों में स्वीकृत। 65 योजनाएं संचालित (पूर्ण) तथा 12 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 व 2 अनुसार**। (ख) 1996 हैंडपंप। 1452 चालू एवं 544 बंद, कोई हैंडपंप सुधारयोग्य नहीं है, सभी पूर्ण रूप से बंद है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3, 4 एवं 5 अनुसार**। (ग) 3 मोटरपंप, सभी वर्तमान में चालू। (घ) रुपये 148.04 लाख राशि व्यय एवं 35 ग्राम लाभांवित हुये। कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विभाग को प्राप्त आवंटन/अनुदान

67. (क्र. 4578) डॉ. मोहन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. में महिला एवं बाल विकास विभाग को कुल कितना आवंटन/अनुदान प्राप्त हुआ? उसमें से कितने आवंटन/अनुदान का व्यय किया गया? एवं कितना आवंटन/अनुदान लेप्स हुआ मदवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन/अनुदान में से उज्जैन संभाग में किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन/अनुदान प्राप्त हुआ मदवार जानकारी प्रदान करें? प्राप्त आवंटन/अनुदान किस-किस मद में व्यय किया गया व कितना आवंटन/अनुदान व्यय नहीं किये जाने के कारण लेप्स हुआ? मदवार व्यय एवं लेप्स हुए आवंटन/अनुदान की जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन/अनुदान की योजनाओं को विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जन-जन तक नहीं पहुँचा पाने के

कारण प्राप्त आवंटन/अनुदान लेप्स हुआ है जिसके कारण शासन की महती योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो कौन दोषी है उन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में प्राप्त आवंटन/ व्यय एवं समर्पण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में कोई भी राशी लेप्स नही हुई है। शेष बची राशी कों समर्पित किया गया है। (ग) वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में योजनाओं को विभाग के संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जन-जन तक पहुँचाने के कारण एवं संभाग में शासन की महती योजनाओ का पूरा लाभ समस्त हितग्राहियों समय से मिलने के कारण ही किसी भी योजना की कोई भीराशी लेप्स नही हुई है। शेष बची हुई राशी को समर्पित किया गया है। इस लिये किसी के विरूद्ध कार्यवाही लंबित नही है।

अधिकारियों के भ्रमण संबंधी आदेश

68. (क्र. 4579) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर पर तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण हेतु जनवरी 2010 के पश्चात् कब-कब क्या-क्या आदेश जारी किये गये? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) माननीय मुख्यमंत्री महोदय/शासन के आदेश के पालन में उज्जैन संभाग के किन-किन कलेक्टरों द्वारा जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कहाँ-कहाँ पर भ्रमण किया गया? भ्रमण के दौरान किन-किन स्थानों पर रात्रि विश्राम किया, किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाई व भ्रमण के दौरान किन-किन विभागों में क्या-क्या कमियां पाईं गईं एवं किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या किसी भी कलेक्टर द्वारा जनवरी 2010 के पश्चात् ग्रामीण/तहसील मुख्यालय पर रात्रि विश्राम नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किशोर न्याय बोर्ड में स्वीकृत मानदेय

69. (क्र. 4621) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला बाल विकास विभाग के अतंर्गत संचालित किशोर न्याय बोर्ड के संचालन हेतु सदस्यों को मानदेय एवं विधि विवादित बालकों के हितार्थ माह अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 तक जिलेवार किस किस मद में कितना बजट दिया गया है और कितना व्यय हुआ है कितना लेप्स हुआ? (ख) म.प्र. के किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को प्रति बैठक कितना मानदेय दिया जाता है और प्रतिमाह अधिकतम कितना भुगतान करने का प्रावधान है? (ग) किशोर न्याय बोर्ड के अधीन विधि विवादित बालक बालिकाओं को बोर्ड के समक्ष पेश होने पर भोजन हेतु एवं यात्रा व्यय एवं गवाही भत्ता हेतु जिलेवार माह अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 तक कितना बजट प्राप्त हुआ और कितना व्यय किया गया है? (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किशोर न्याय बोर्ड की जिन जिलों में

पूरे माह बैठक आयोजित हो रही है उन्हें प्रतिमाह अधिकतम कितना मानदेय देने का प्रावधान है आदेश की कापी दी जाए और कितने सदस्यों को कितना भुगतान किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को प्रति माह रू. 1000/- प्रति बैठक दिये जाने का प्रावधान है, भुगतान माह में हुई बैठकों पर निर्भर करता है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) प्रति बैठक रु.1000/- मानदेय भुगतान का प्रावधान है अधिकतम भुगतान बैठकों की संख्या पर निर्भर करता है। अधिकतम भुगतान हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये है।

ओलावृष्टि का मुआवजा भुगतान

70. (क्र. 4648) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में फरवरी 2015 के दौरान ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिए सर्वे कराया गया था यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों को सर्वे किया गया है? विधानसभावार जानकारी देवे? (ख) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने कृषकों की कितने रकबा की कौन-कौन सी फसल थी। कितनी-कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। (ग) प्रश्नाधीन वर्णित प्रभावित किसानों को कितनी राशि जारी की गई तथा ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें प्रश्न दिनांक तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है? (घ) क्या फसल का सर्वे करने के लिये संबंधित विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

71. (क्र. 4649) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के अतंर्गत विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अतंर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में कब-कब कितनी नल जल प्रदाय योजनाओं, स्थल जल प्रदाय योजना मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना एवं अन्य मद की कितनी नलजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं? (ख) उपरोक्त योजनाओं में से कितनी योजनाओं में उच्चस्तरीय टंकी स्वीकृत है कितनी टंकी पूर्ण हैं कितनी टंकियों से जल प्रदाय चालू है जिनसे जल प्रदाय चालू नहीं किया गया है, उसके क्या कारण हैं तथा इनसे कब तक जल प्रदाय चालू किया जायेगा ग्रामवार व योजनावार जानकारी दें? (ग) उपरोक्त उच्च स्तरीय टंकियों के प्रत्येक योजना हेतु कितने-कितने नलकूप खनित किये गये हैं उनमें से कितने सफल व कितने असफल हैं ग्रामवार जानकारी दें? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में बताये गये निर्माण जो अनुपयोगी हैं, उनके विषय में भविष्य में विभाग द्वारा क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं और उन्हें कब तक चालू करा दिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** (ख) 28 टंकियाँ स्वीकृत, 16 टंकियाँ पूर्ण, सभी से जलप्रदाय चालू। 12 टंकियों के निर्माण कार्य अपूर्ण

हैं अतः इनसे जल प्रदाय चालू नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

निधारित मापदण्डों के अतंर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

72. (क्र. 4663) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? (ख) यदि नहीं तो ऐसे ग्रामों में कब तक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जायेंगे? (ग) किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन स्वीकृत किये गये हैं? शेष केन्द्रों में कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (घ) आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की क्या स्थिति है? ग्रामवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र पनागर में निर्धारित मापददंडों के अनुसार संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) जिला पोषण विकास कार्य योजना वर्ष 2015-16 के तहत विधान सभा क्षेत्र पनागर जिला जबलपुर में अतिरिक्त आंगनवाडी केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) विधान सभा क्षेत्र पनागर अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों हेतु स्वीकृत भवनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। आंगनवाडी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर होता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

हैण्ड पम्प सुधार कार्य

73. (क्र. 4664) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर, जिला जबलपुर में वर्ष 2013-14 से आज तक कौन-कौन से ग्रामों में कितने हैण्ड पम्प खनन/स्थापित किये एवं नलजल योजना संचालित की गई है? कितने हैण्ड पम्प बंद पड़े हैं? (ख) प्रारम्भ से आज तक बंद पड़े हैण्ड पम्पों का सुधार कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) कौन-कौन से ग्रामों के कितने हैण्ड पम्प/नलजल योजना के प्रस्ताव लंबित हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' व '2' अनुसार**। वर्तमान में 83 हैण्डपंप विभिन्न कारणों से बंद हैं। (ख) साधारण सुधार योग्य 10 बंद हैंडपंपों को 1 सप्ताह की समय-सीमा में सुधार लिया जावेगा। असुधार योग्य 73 स्थायी रुप से बंद हैण्डपंपों को सुधारा जाना संभव नहीं है। (ग) कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

इजमेन्ट राइट्स की जमीनों हेतु प्रावधान

74. (क्र. 4668) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 1950 में जमींदारीं उन्मूलन, जागीरदारीं उन्मूलन, मालगुजारी उन्मूलन, स्वामित्वाधिकारों के अन्त में कानून के तहत इजमेन्ट राइट्स की जिन जमीनों को राजस्व विभाग ने अर्जित किया उन जमीनों को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित जमीन बताया जाकर प्रावधान किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो 1956 में मध्यप्रदेश में विलीन किए गए किस राज्य में किस कानून के तहत अर्जित की गई इजमेन्ट राइट्स के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में भू-राजस्व संहिता की धारा 234 एवं 237 में क्या-क्या प्रावधान किए गए? (ग) इजमेन्ट राइट्स के लिए दर्ज जिन जमीनों

को 1950 के कानूनों के तहत अर्जित किया जाकर संहिता के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि माना गया उन जमीनों को संरक्षित वन भूमि या नारंगी वन भूमि घोषित या अधिसूचित करने का प्रावधान किस कानून की किस धारा में दिया गया है? ऐसी जमीनों को वन विभाग की कार्य आयोजना में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किस धारा में दिया है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सफल अभियोजन का प्रतिशत

75. (क्र. 4686) श्रीमती रेखा यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग के अंतर्गत सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालयों में गत दो वर्षों में विचारण योग्य अपराधिक प्रकरणों में सफल अभियोजन एवं असफल अभियोजन का क्या प्रतिशत रहा है? (ख) न्यायालय में चालान या आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व पुलिस अनुसंधान की विधि विशेषज्ञ से जाँच करवाए जाने की पूर्व में क्या-क्या व्यवस्था थी वर्तमान में क्या व्यवस्था है? विधि विशेषज्ञ से जाँच करवाए बिना आरोप पत्र या चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसान भाई विरूद्ध गुजरात सरकार के मामले में जारी किए गए निर्देशों के बाद भी पुलिस अनुसंधान के बाद अपराधिक मामले की केस डायरी एवं अनुसंधान का परीक्षण अभियोजन एजेन्सी से करवाए जाने की अनिवार्यता को प्रभारी ढंग से लागू किए जाने के संबंध में वर्तमान में राज्य में क्या व्यवस्था है? यदि नहीं है तो कारण बतावें। (घ) चालान या आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के पूर्व विधि विशेषज्ञ या अभियोजन एजेन्सी से केस डायरी और अनुसंधान का परीक्षण करवाए जाने के संबंध में राज्य शासन क्या कार्यवाही कर रही है? समय सीमा सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2013 में 25 प्रतिशत सफल एवं 75 प्रतिशत असफल एवं वर्ष 2014 में 38 प्रतिशत सफल एवं 62 प्रतिशत असफल रहा है। (ख) पूर्व में अभियोजन कार्यालय से अभियोग पत्र परीक्षण कराने की व्यवस्था थी जो आज भी चालू है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अभियोजन अधिकारी को पैरवी के लिये पुलिस डायरी उपलब्ध कराना

76. (क्र. 4687) श्रीमती रेखा यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या न्यायिक अदालतों में अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी वर्तमान में पुलिस डायरी के बिना ही अदालतों में शासन या पुलिस पक्ष की ओर से पैरवीं कर रहे हैं? (ख) न्यायिक अदालतों में शासन या पुलिस की ओर से पैरवी करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी या अभियोजन अधिकारी या अभियोजन अधिकारी को पैरवीं के लिए पुलिस डायरी उपलब्ध करवाए जाने की वर्तमान में क्या-क्या व्यवस्था है? यदि नहीं है तो कारण बतावें? (ग) न्यायिक अदालतों में अपराधिक प्रकरण की केस डायरी प्रस्तुत करने के पूर्व पैरवी के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी या अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में लेख है कि न्यायिक अदालतों में शासन या पुलिस की ओर से पैरवी करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी, या

अभियोजन अधिकारी को पैरवी के लिये पुलिस डायरी उपलब्ध करवाये जाने की वर्तमान में पुलिस थाने से ही उक्त डायरी उपलब्ध कराई जाती है। (ग) न्यायिक अदालतों में अपराधिक प्रकरण की केस डायरी प्रस्तुत करने के पूर्व पैरवी के लिये सहायक अभियोजन अधिकारी या अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में पुलिस थाने से ही अभियोजन अधिकारी को प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होती है।

सांझा चूल्हा योजना अतंर्गत आवंटित खाद्यान में अनियमितता

77. (क्र. 4721) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तत्कालीन कलेक्टर जिला शिवपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति ने शिवपुरी जिले में 03 महिला मण्डलों राजेश्वरी महिला मण्डल शिवपुरी, दुर्गा महिला मण्डल करैरा एवं भगवती महिला मण्डल बदरवास का चयन कर उन्हें बच्चों एवं गर्भवती माताओं को मीनू अनुसार पोषणहार उपलब्ध कराने का काम सौंपा था? यदि हाँ, तो चयन समिति के निर्णय एवं तद्नुसार जारी आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ख) क्या वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. गेंहू और चावल का कोटा जिले की उक्त 03 संस्थाओं को आवंटित होता रहा है? यदि हाँ, तो कब-कब, कितना-कितना गेंहू, चावल कितने महीनें का किस-किस महिला मण्डल को आवंटित होता रहा? आवंटन आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ग) सांझा चूल्हा योजना के तहत विभाग/शासन ने 2009 में क्या संशोधन आदेश जारी किया था? यदि हाँ, तो पूर्व आदेश एवं संशोधित आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि इस निर्देश के तहत महिला बाल विकास शिवपुरी एवं शासन स्तर पर वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक क्या-क्या पत्राचार किया? प्रकरण में क्या जाँच हुई? जाँच प्रतिवेदन एवं पत्राचार की जानकारी दें। (घ) क्या शिवपुरी जिले में सांझा चूल्हा योजना में कुपोषितों का लगभग 10303 क्विंटल खाद्यान्न उक्त तीनों मण्डलों की ओट में अवैधानिक रूप से आवंटित किया गया? यदि हाँ, तो शासन/प्रशासन ने क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के प्रति की? और यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों? कारण सहित बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (ग) जी हाँ। पूर्व विभागीय आदेश क्र/एफ-3-2/07/50-2, दिनांक 15.02.07 एवं संशोधित आदेश क्र एफ 3-2, /07/50-2 दिनांक 01.10.09 की छाया प्रतिया **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार** है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि का नामांतरण

78. (क्र. 4740) श्री अंचल सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खसरा नं.191/1, रकबा 2.973 हेक्टयर लगभग 5.30 एकड़ भूमि को निजी से शासकीय भूमि घोषित किया गया है? घोषित करने का वर्ष बतावें। क्या वर्तमान में यह जमीन शासकीय अभिलेख में दर्ज हो चुकी है? यदि हाँ, तो अभिलेख उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों कारण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जमीन क्या पूर्व में विघावति यादव के नाम से दर्ज थी जिसे उन्होंने आदिवासी गृह निर्माण सहकारी समिति रद्दी चौकी आधारताल को बेच दी थी? यदि हाँ, तो क्या घोषित शासकीय जमीन को बेचा जा सकता है? ऐसा कोई नियम हो तो बतावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित जमीन

को वर्तमान में श्रीमती विघावति यादव की सुपुत्री श्रीमती आशा बाई ने पुन: श्री हामिद हुसैन पिता श्री साबिर मेहतो निवासी दक्षिण मिलौनीगंज को बेच दी है जिसका नामांतरण शहरी सीलिंग भूमि रा.प्र.क.7/अ-6अ/2003-04 तह.नजूल जाँच रांझी जबलपुर के आ.दि.9.2.04 न्या. तह.नजूल गोहलपुर के रा.प्र.क्र.558/अ-6 13-14 आ.दि.4.4.14 के द्वारा श्री हामिद हुसैन के नाम से नामांतरण कर दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या सीलिंग की शासकीय भूमि को बेचा जा सकता हैं एवं उसका नामांतरण किस नियम के तहत किया जा सकता है? क्या शासन ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगा जिसके द्वारा शासकीय भूमि का नामांतरण भू-माफिया के नाम से कर दिया? यह भी बताया जावे कि क्या शासन उक्त जमीन को श्री हामिद हुसैन से मुक्त कराकर पुन: शासकीय अभिलेख में शासन की जमीन घोषित करेगा? तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्लाइन कमांडर की वरिष्ठता सूची में संशोधन

79. (क्र. 4752) श्री अनिल जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा उप निरीक्षक (जिला बल) के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? क्या चयन सूची के प्राप्तांक इन मापदण्डों में शामिल हैं अथवा नहीं विस्तृत जानकारी दी जावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपनिरीक्षक के पद के समकक्ष अन्य उपनिरीक्षक पदों एवं प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने का मापदण्ड इससे भिन्न हैं? यदि हाँ, तो ऐसी विसंगति क्यों हैं कारण बताया जावें। (ग) क्या विभाग द्वारा सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (वि.शा.) संवर्ग के बैच 1999 एवं 2000 की वरिष्ठता सूची वर्ष 2014 में संशोधित कर चयन सूची के आधार पर संशोधित की गई है? यदि हाँ, तो क्या सीधी भर्ती के प्लाटून कमाण्डर बैच वर्ष 1999 और 2000 की वरिष्ठता सूची भी तदानुसार संशोधित की जा सकेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो कारण बतायें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगरीय क्षेत्रों में शासकीय परिसम्पत्तियों को रिकार्ड में दर्ज किया जाना

80. (क्र. 4756) श्री अनिल जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में शासकीय भूमि एवं परिसम्पत्तियों पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने अतिक्रमण हटाये गये हैं? (ख) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के नगरीय क्षेत्रों के पटवारी हल्कों में 1 जनवरी 2015 की स्थिति में शासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, निगम मण्डल, नगरीय निकाय एवं सहकारी संस्थाओं आदि के कार्यालय, गोदाम, स्कूल, कालेज, खेल मैदान, अन्य प्रकार के भवन, इत्यादि किन-किन खसरा नम्बरों पर कितने रकबे में विद्यमान है अथवा कितना रकबा इसके लिये आवंटित है, नगर पंचायतवार, विभागवार, संस्थावार, संरचनावार जानकारी देवें और साथ ही बताया जाये कि क्या इन संरचनाओं की प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड खसरा खतौनी एवं कम्प्यूटर में है अथवा नहीं? यदि नहीं तो यह प्रविष्टियां अब तक क्यों नहीं हो पाई है और यह प्रविष्टि कब तक कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित संरचनायें जिन खसरा नम्बरों के जिस रकबा में ये विद्यमान है अथवा जो रकबा उनके लिये आवंटित है क्या इस रकबा के किसी भाग पर अथवा संरचना के किसी भाग पर प्रश्न दिनांक तक कोई अतिक्रमण है? यदि हाँ, तो नगर

पंचायतवार, विभागवार, संस्थावार, संरचनावार अतिक्रमित रकबा या भाग की जानकारी व अतिक्रमणकर्ताओं के नाम सहित दी जावे तथा जिन विभागों या संस्थाओं की संरचनाओं या रकबा पर कोई अतिक्रमण नहीं है उनकी जानकारी पृथक से दी जावे? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार जहाँ पर अतिक्रमण है क्या उसे हटाने के लिये कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है और शेष पर से अतिक्रमण कब तक हटा लिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों की अव्हेलना

81. (क्र. 4775) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक सी.3-2/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 12 मई 2014 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गये थे कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके वर्ष में दो बार अर्थात् प्रथम बैठक जनवरी-फरवरी, तथा दूसरी बैठक माह अगस्त-सितम्बर, तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जायें? (ख) यदि हाँ, तो क्या सतना कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें वर्ष 2009 से अब तक कितनी बार आयोजित की गई की तिथिवार जानकारी देवें? (ग) क्या सतना कलेक्टर द्वारा राजस्व स्थापना अंतर्गत पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठकें प्रश्नांश (ख) में पूछे गए वर्षो में एक भी बैठकें आयोजित नहीं की गई? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें? क्या बैठकें आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही अविलम्ब कर ली जावेगी, यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें? (घ) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रदेश के अंदर कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन

82. (क्र. 4783) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल न्यायालय से किसी आराजी के संबंध में स्थगन के बाद राजस्व न्यायालय उसका पालन कराने के लिये बाध्य हैं? अगर हाँ तो क्या म.प्र. शासन से इस सम्बन्ध का कोई आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) क्या किसी भूमि स्वामी की पैतृक आराजी का जिस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय से स्थगन जारी हो सीमांकन कराने का हक पुलिस विभाग को है? अगर हाँ तो उस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं, अगर नहीं तो सतना जिले के चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सतना के न्यायालय से प्रकरण क्र.-74ए/12 जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.09.2012 के बाद अजाक थाना प्रभारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1029/14 दिनांक 15.09.2014 द्वारा तहसीलदार वृत्त रैगांव को किन नियमों के तहत बाके मौजा अमौधाकला की आराजी नं. - 390/1/2 व 391/1/2 के सीमांकन बावत् पत्र लिखा गया था जबकि आवेदक किशोरीलाल द्वारा सिविल न्यायालय के स्थगन का पालन कराने एवं जोयल बेंजामिन द्वारा कराये जा रहे निर्माण को रूकवाये जाने बावत् आवेदन पत्र अजाक थाना प्रभारी सतना को दिया गया था उसका पालन न करवाया जाकर नियम विरूद्ध पत्र जारी क्यों किया गया? (घ) अगर थाना प्रभारी अजाक थाना

सतना का पत्र दिनांक 15.09.2014 जो तहसीलदार वृत्त रैगांव को सीमांकन बाबत् लिखा गया है, यदि नियम विरूद्ध है तो उसे कब तक वापस मंगाया जायेगा, तथा नियम विरूद्ध आदेश करने वाले अजाक थाना प्रभारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही तय की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अजाक थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही</u>

83. (क्र. 4784) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आवेदक किशोरीलाल सूर्यवंशी द्वारा वाके मौजा अमौधाकला के दिनांक 01.03.2014 के इंचार्ज हल्का पटवारी रामकृष्ण तिवारी के विरूद्ध प्रमाणित नक्शा की प्रति फाड़ने एवं अपने कार्यालय से निकालने की शिकायत थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली में दिनांक 01.03.2014 को की गयी थी? (ख) अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो उस संबंध में कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) की गयी है कि नहीं, अगर हाँ तो (FIR) की प्रति उपलब्ध करायें, अगर नहीं तो क्या कारण है या कितने दिन में (FIR) काट दी जायेगी समय सीमा निर्धारित करें? (ग) अगर किशोरीलाल सूर्यवंशी द्वारा की गयी शिकायत पर जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा (FIR) नहीं काटी गयी थी तो क्यों? क्या सिटी कोतवाली सतना में अनूसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती या उन्हें दबाकर रख दिया जाता है, विगत 06 माह में की गयी इन वर्गों की शिकायतों एवं उस पर की गयी कार्यवाही प्रमाण सहित उपलब्ध करायें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच में शिकायत असत्य पाये जाने के कारण प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

<u>उद्यानिकी फसलों का उत्पादन</u>

84. (क्र. 4817) श्रीमती इमरती देवी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में पिछले 3 साल में उद्यानिकी फसलों का रकबा तथा उत्पादन मात्रा की जानकारी दें तथा बतायें कि किस-किस फसल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई उसका कारण भी बताएं? (ख) रतलाम जिले में पिछले 3 साल में कितने हितग्राही को कितना अनुदान दिया गया, वर्षवार एवं योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अनुदान में भारी मात्रा में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी शिकायतें, किस व्यक्ति से प्राप्त हुई उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन किसी उच्च अधिकारी से रतलाम जिले में पिछले 3 वर्षों में दिये गये अनुदान की जाँच करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) एवं (घ) एक शिकायत माननीय विधायक श्री पारस सकलेचा से प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई। शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं पाई गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

<u>पी.एम.टी./प्री.पी.जी. परीक्षा की जाँच</u>

85. (क्र. 4819) श्रीमती इमरती देवी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) STF द्वारा PMT 2006, 2007 एवं प्री P.G. 2008 की परीक्षा की जाँच क्यों नहीं की जा रही है? यदि व्यापमं दस्तावेज नहीं देता है तो क्या जाँच नहीं होगी? संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा महाविद्यालयों से दस्तावेज प्राप्त क्यों नहीं किये जा रहे? (ख) STF ने अपराधियों के बयान में कई नामों का उल्लेख होने के बाद इनसे पूछताछ हेतु CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा CRPC की धारा 161 के तहत पूछताछ की गई या नहीं? (ग) STF द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 21503/14 के तहत कितने आवेदन किस-किस व्यक्ति के किस-किस दिनांक को मिले? प्रत्येक आवेदन पर की गई कार्यवाही की दिनांक सहित तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (घ) क्या STF ने PMT घोटाले में गिरफ्तार व्यापम के अधिकारियों, कर्मचारियों की कॉल डिटेल निकलवाई है? यदि हाँ, तो उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कॉल डिटेल नहीं निकलवाई तो उसके कारण बतावें? STF द्वारा किस-किस परीक्षा के घोटाले की संपूर्ण जाँच हो गई है उसकी सूची देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2006 तथा 2007 की पी.एम.टी. परीक्षा से संबंधित 04 शिकायतें एस.टी.एफ. को प्राप्त हुई थी जिसे जाँच हेतु संबंधित जिले की एस.आई.टी. को वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त जाँच एस.टी.एफ. भोपाल की मॉनिटरिंग में जिला एस.आई.टी. द्वारा की जा रही है। एस.टी.एफ. को प्री.पी.जी. 2008 की परीक्षा के संबंध में अब तक कोई तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जी हाँ। एफ.टी.एफ. द्वारा विभिन्न प्रकरणों की विवेचना में सीआर.पी.सी. की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किये गये एवं धारा 161 के तहत पूछताछ की गई है। (ग) दो आवेदन पत्र 01- दिनांक 11.12.2014 श्री पारस सकलेचा के द्वारा प्रेषित एवं 02- दिनांक 16.12.2014 का गुमनाम व्यक्ति द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उक्त आवेदन पत्रों में दिये गये तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर जाँच की जा रही है एवं जाँच पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रथम आवेदन में एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. द्वारा पूर्व से पंजीबद्ध एवं विवेचनाधीन पी.एम.टी. परीक्षाओं में फर्जीवाड़े से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है तथा आवेदन पत्रों में उल्लेखित तथ्यों को विवेचना की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। द्वितीय आवेदन में उल्लेखित शिकायत के संबंध में आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण जाँच में किया जा रहा है। (घ) जी हाँ। कॉल डिटेल के आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना एस.टी.एफ. के अप0क्र0 16/13 (दुग्ध संघ भती परीक्षा, 2012) की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 6-सी/2015, दिनांक 02.03.2015 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

<u>किसानों को राहत राशि का वितरण</u>

86. (क्र. 4836) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में खरीफ की फसल अन्तर्गत जिला विदिशा में कितने कृषक ऐसे हैं जो फसल क्षति होने के बाद भी राहत राशि प्राप्त नहीं कर सके? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या राशि के अभाव में प्रभावित कृषकों को राशि नहीं दी गई? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दे कि प्रभावित कृषकों को राहत राशि क्यों नहीं दी गई? (ग) क्या शासन राहत राशि से वंचित कृषकों को शीघ्र ही राहत राशि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फ्लोटर मशीन एवं ईटीएस.मशीन का क्रय

87. (क्र. 4877) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर के द्वारा विगत दो वर्षों में म.प्र. के समस्त जिला कार्यालयों के लिए प्लोटर मशीन एवं इसके उपयोग में आने वाली सामग्री जिला कार्यालय को बिना मांग किये क्रय कर सप्लाय की गई? (ख) क्या जिलों में उपयोग न होने से मशीने बंद पड़ी हैं जिसके कारण शासन को अनावश्यक रूप से करोड़ो रूपये की आर्थिक क्षति पहुंची है? बिना मांग के मशीने उपलब्ध कराने के लिए शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? उक्त मशीनों का उपयोग कब तक कराया जायेगा? (ग) प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसीलों के लिये इ.टी.एस. मशीन, कम्प्यूटर प्रिन्टर के माध्यम से कृषकों को बी खसरा की नकले नि:शुल्क प्रदाय करने हेतु क्रय की गई तथा क्रय की गयी मशीने गुणवत्ताहीन होने से अधिकांश जिलों में उपयोग नहीं हो रही हैं? (घ) जिन कार्यालय में मशीने बंद पड़ी है, शासन का करोड़ो रूपये का खर्च बेवजह हुआ है मशीनों के क्रय करने संबंधी प्रक्रिया एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा जाँच करायी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। शासन स्वीकृति उपरांत उपलब्ध कराया गया है। (ख) जी नहीं। डिजिटाइज्ड ग्राम नक्शों के पिन्ट निकालने के लिए मशीनें शासन स्वीकृति उपरांत उपलब्ध करायी गई हैं। इसलिए इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ग) चेन-जरीब पद्धति से सीमांकन कराए जाने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा सीमांकन कार्य कराए जाने हेतु प्रत्येक तहसील में ई.टी.एस. मशीन प्रदाय किए गए हैं। इस मशीन के उपयोग से सीमांकन करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 680 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी जिलों में इस मशीन के उपयोग में सीमांकन किया जा रहा है। खसरा एवं बी-1 की नि:शुल्क नकल इससे नहीं दी जाती है। इस मशीन से केवल सर्वे एवं सीमांकन का कार्य किया जाता ड़है। (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आरक्षित वर्ग की पट्टे की जमीन की बिक्री की अनुमति

88. (क्र. 4890) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2012 से फरवरी 2015 तक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के पट्टे की जमीन बिक्री के कितने प्रकरण अनुमति हेतु प्राप्त हुये कितनों में अनुमति दी गई कितने निरस्त किये गये पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त प्रकरण में अनुमति निरस्त करने के क्या कारण दर्शाये गये अनुमति में क्या शर्ते रखी गई? प्रकरणों में शर्तो के उल्लघंन पर क्या कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। (ग) क्या उक्त विक्रीत भूमि में शर्तों के उल्लंघन पर बिक्री शून्य घोषित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों पर थी पूर्ण जानकारी दी जावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुरैना जिला न्यायालय के वारन्ट की तामीली

89. (क्र. 4891) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के वर्ष 2006-07 के प्रकरण क्र. 4613/6,

5679/06, 1735/06, 1220/07 से जारी वारंट श्रीमती कल्पना पत्नी विनय जैन निवासी मालरोड़, गंजबासौदा जिला विदिशा को जारी हुए उनके बारंट तामील अभी तक क्यों नहीं हुए जानकारी दी जावे? (ख) क्या बारन्ट तामील कराये जाने हेतु स्थानीय विधायक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई दिनांक सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या चेक बाउन्स जैसे आर्थिक अपराधों के वारन्ट तामील कराने में स्थानीय पुलिस (विदिशा) द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है क्यो? इतनी लम्बी अवधि तक वारन्ट तामील न होना क्या कर्तव्य की लापरवाही की श्रेणी में आता है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) मान. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा श्रीमती कल्पना पति विनय जैन निवासी माल रोड गंजबासौदा के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट तामीली हेतु थाना गंजबासौदा जिला विदिशा को प्राप्त हुये थे किंतु वारंट गुम हो जाने के कारण तामील नहीं किये जा सके। (ख) जी हाँ। जाँच आदेशित की गई है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। (ग) वारंट गुम हो जाने से तामील नहीं किये जा सके हैं। वारंट गुमने संबंधी प्रकरण में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

<u>संयुक्त संचालक उद्यान के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

90. (क्र. 4908) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संयुक्त संचालक उद्यान जबलपुर द्वारा बीमारी अवकाश के दौरान राशि आहरण की शासन तथा प्रशासन को किन-किन माध्यम से 1 जनवरी 2014 से फरवरी 15 की अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? (ख) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) 1 जून 2014 से 31.08.15 की अवधि में संयुक्त संचालक उघान कब-कब अवकाश पर रहे तथा अवकाश के दौरान कितनी राशि कब और क्यों आहरित की? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) दो शिकायतें। (ख) शिकायतों की जाँच संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से कराई गई है। (ग) दिनांक 18 से 26 जून 2014 को अर्जित अवकाश पर तथा 30 जून 2014 से 5 अगस्त 2014 तक लघुकृत अवकाश पर। अवकाश अवधि के दौरान आहरित राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र	**बिल क्रमाँक/दिनांक**	**बिल का प्रकार**	**बिल राशि**
1.	32/28.06.2014	दूरभाष बिल तथा बिजली बिल	4620.00
2.	33/28.06.2014	पे-बिल जून 2014	17220.00
3.	34/28.06.2014	पे-बिल जून 2014	166920.00
4.	35/28.06.2014	बिजली बिल	12871.00
5.	36/14.07.2014	अस्थायी अग्रिम	34000.00
6.	37/14.07.2014	बिजली पानी	2927.00

(घ) संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण चाहा गया है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>**राहत राशि का वितरण**</u>

91. (क्र. 4909) श्री वीरसिंह पंवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं विदिशा जिले में 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक - सर्पदंश, पानी में डूबने तथा आकाशीय बिजली गिरने से किन-किनकी कब-कब मृत्यु हुई? (ख) उक्त मृतकों के परिजनों को कितनी सहायता राशि दी गई तथा किन-किनके परिजनों को आज दिनांक तक राशि का भुगतान क्यों नहीं हुआ? (ग) फरवरी 2015 की स्थिति में स्वीकृत किन-किन प्रकरणों में सहायता राशि में विलम्ब का क्या कारण है? कब तक राशि का भुगतान होगा? (घ) शासन के निर्देशों की अवहेलना कर उक्त प्रकरणों में विलम्ब से राशि भुगतान के लिए कौन-कौन जबावदार है तथा शासन ने क्या-क्या कार्यवाही?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**अभियोजन की स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरण**</u>

92. (क्र. 4921) श्री आरिफ अकील : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि जाँच ऐजेंसी जैसे सी.बी.आई., लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. आदि को स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने को दृष्टिगत रखते हुए माह मई 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 6-ए को खारिज कर दिया है? (ख) यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि प्रदेश के कौन-कौन अखिल भारतीय सेवा व प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति राज्य सरकार के पास वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कब-कब से किन-किन मामलों को लेकर लंबित हैं? अधिकारियों के नाम, पद, विभागवार, वर्षवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) - (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण है तथा कब तक स्वीकृति दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डॉ सुब्रमण्यम स्वामी विरूद्ध संचालक केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (रिट पिटीशन (सिविल) 38/197) वाले प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.05.2014 के अनुसार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा-6-क को अवैधानिक घोषित किया है। इस धारा के प्रावधान दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बगैर, उल्लेखित अधिकारियों के विरूद्ध जांच या अनुसंधान नहीं करने के संबंध में है। (ख) अखिल भारतीय सेवा व प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.09.14 के अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा की जाती है। लोकायुक्त संगठन से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु इस विभाग द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभागों को भेज दिया जाता है। इस विभाग में अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

<u>**व्यापमं दोषियों पर कार्यवाही**</u>

93. (क्र. 4923) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितता उजागर हुयी

है और जाँच प्रचलन में है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन परीक्षाओं में अनियमितता करने के लिए कौन-कौन लोग आरोपी हैं? उनके विरूद्ध किन-किन धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं तथा किन-किन को गिरफ्तार किया गया और किन-किन को किन-किन कारणों से गिरफ्तार नहीं किया जा सका है तथा कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा? जिलेवार, वर्षवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन गिरफ्तार आरोपियों ने पूछ-ताछ और किन-किन लोगों की संलिप्तता बताई गई? क्या शासन द्वारा संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार कर उनसे पूछ-ताछ करेगा? यदि हाँ, तो किन-किन से कब-कब पूछ-ताछ की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जुआ/सट्टा संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही

94. (क्र. 4924) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा जुआ/सट्टा कराने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो पुलिस द्वारा समय पर जुआ/सट्टा घरों में दबिश डालकर जुआरियों/सटोरियों व उनके संचालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल के किन-किन थाना क्षेत्रों में कब-कब, कहाँ-कहाँ, किन-किन जुआ/सट्टा संचालकों के द्वारा जुआ/सट्टा कराया जा रहा था उनके नाम पता सहित यह भी अवगत करावें कि कितने जुआ संचालक शासकीय नौकरी में है? उनके नाम पद विभाग सहित आमदनी के मूल स्रोत क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितने जुआरी/सटोरियों के विरूद्ध जिलाबदर एवं धारा 110 की कार्यवाही की गई? थानेवार नाम व पता सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल मतांकन

95. (क्र. 4931) श्री मोती कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.07.2014 के अनुसार वर्ष 2008 से प्रथम श्रेणी अधिकारियों को गोपनीय प्रतिवेदन के प्रकटीकरण तथा मतांकन के विरूद्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को अभ्यावेदन व स्पष्टीकरण देने का अधिकार दिया गया है? (ख) क्या वर्ष 2008 के बाद के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले संबंधित अधिकारियों को उक्त गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित मतांकन व पदोन्नति के संबंध में किन्हीं को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है? (ग) क्या विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2014 को पदोन्नति समिति की बैठक में विचार क्षेत्र में लिये गये अधिकारियों को प्रतिकूल मतांकन के आधार पर और बिना स्पष्टीकरण का अवसर दिये पदोन्नति से वंचित किया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) में से किन्हीं को किन्ही तिथियों को पदोन्नत किय गया है और क्या किन्हीं को वंचित किया गया है? (ड.) विभाग चयन समिति के प्रश्नांश-क,ख,ग विचार क्षेत्र में वरिष्ठता क्रम में अधिक्रमित होने की स्थिति में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान कर पदोन्नति पर पुर्नविचार किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) नियमानुसार आवश्यक नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मछलीघरों का पुनर्निर्माण

96. (क्र. 4932) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भोपाल सहित अन्य महानगरों में मछलीघर (एक्वेरियम) किसी अन्य स्थान में स्थापित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन मछलीघरों में किन उद्देश्यों से किन-किन प्रजातियों की मछलियों को संरक्षित व प्रदर्शित किया जा रहा है और क्या उन्हें देखने वर्ष 2011 से 2014 तक कितने विदेशी और स्वदेशी पर्यटक लाभान्वित हुये हैं? (ग) क्या भोपाल के मछलीघर को अन्यत्र किसी खसरे व रकबे की भूमि पर विकसित स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है? (घ) क्या प्रश्नांश- (क) के लिये अनुमानित लागत के विरूद्ध किसी राशि का प्रावधान किया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश- (ग) , (घ) को भव्य बनाकर देश में गौरान्वित किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) भोपाल में मछली घर (एक्वेरियम) स्थापित है। प्रदेश के अन्य महानगरों में मछलीघर स्थापित नहीं है। (ख) भोपाल में पर्यटकों को मनोरंजन एवं मत्स्य प्रजातियों के पालन संबंधी वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न मत्स्य प्रजातियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जा रहा है। "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक मछलीघर देखकर कुल 3,28,188 विदेशी व स्वदेशी पर्यटक लाभांवित हुए है। "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) भोपाल में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र भदभदा परिसर के खसरा क्रमांक 276/1 रकबा 3.241 तथा खसरा क्रमांक 40/1 में से रकबा 1.00 एकड भूमि में नवीन आधुनिक मत्स्य गृह पी.पी.पी. मोड पर विकसित स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) जी नहीं। नवीन आधुनिक मत्स्य गृह पी.पी.पी. मोड पर बनाने हेतु विभाग प्रयासरत है। (ड.) जी हाँ।

पटवारी हल्को की जानकारी कम्प्यूटर में दर्ज की जाना

97. (क्र. 4937) श्री गोपाल परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आगर विधान सभा क्षेत्र में सभी पटवारी हल्कों पर कम्प्यूटर में डाटा डाल दिया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक कितने हल्कों का डाटा डाला गया है? (ख) क्या जिन पटवारी हल्कों पर डाटा नहीं डाला है उसमें अभी तक क्यों नहीं डाला ऐसी स्थिति में शासन उन कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा एवं शेष रहे पटवारी हल्कों की डाटा एंट्री कम्प्यूटर में कब तक फीड कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। आगर विधान सभा में आने वाली तहसील आगर के 33 पटवारी हल्के एवं तहसील बड़ोद के 45 पटवारी हल्कों के भू-अभिलेख के डाटा को कम्प्यूटर में प्रविष्टि किया गया है। (ख) आगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील आगर एवं तहसील बडोद में किसी भी पटवारी हल्के की डाटा एन्ट्री शेष नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बाल न्यायालय में पदस्थ सदस्यों का मानदेय

98. (क्र. 4961) श्री के.पी. सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में बाल कल्याण समिति और किशोर बाल न्यायालय में पदस्थ सदस्यों के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितनी राशि मानदेय के रूप में दी जा रही है? (ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ा हुआ मानदेय दिनांक 3.04.2014 से दिये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये जबकि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1.10.14 से दिये जाने संबंधी आदेश दिये गये? ऐसा क्यों कारण बतावें? (ग) क्या भविष्य में उक्त बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 का दिये जाने की कोई योजना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ । वर्तमान में प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक हेतु 1000/- रूपए मानदेय दिया जाता है । (ख) केंद्र द्वारा अप्रेल 2014 से पुनरीक्षित स्कीम लागू की गई है । विभाग द्वारा स्कीम का अनुमोदन सितम्बर 2014 से किया गया है । अतः 1 अक्टूबर 2014 से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है । (ग) - प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

शिवपुरी जिले में बालगृह / शिशु गृह से गोद लिये गये बच्चे

99. (क्र. 4962) श्री के.पी. सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में बालगृह और शिशु गृह से वर्ष 1995 से अभी तक किन-किन लोगों को गोद दिए गए? गोद लिए बच्चों का नाम, माता-पिता का नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? क्या गोद लिये गये बच्चे आज किन परिस्थितियों में हैं? इस संबंध में विभागीय स्तर से कोई मॉनीटरिंग की की जाती है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट उपलब्ध करावें? (ख) क्या गोद दिये जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से विभाग या कोई दूसरी संस्था द्वारा यहाँ लालन-पालन किया जाता है या किसी तरह का डोनेशन लेते हैं? यदि डोनेशन लेते हैं तो कितनी राशि वर्ष 1995 से अभी तक प्राप्त की गई? जानकारी दें? (ग) गोद लिए जाने के दौरान बच्चों के माता-पिताओं से किसी भी प्रकार की कोई राशि ली गई? ली गई है तो उसका पूरा ब्यौरा दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) दत्तकग्रहण के अभिशासी मार्गदर्शी सिद्धांत -2011 के नियम-106 (1) , (2) के अनुसार दत्तकग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया, संभावित माता-पिता एवं बच्चो कि जानकारी से सम्बंधित दस्तावेज केवल न्याय व्यवस्था और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों और प्राधिकरण के अतिरिक्त सार्वजनिक नहीं किये जा सकते है। जी नहीं, विभाग स्तर से मानीटरिंग नहीं कि जाती है। दत्तकग्रहण के अभिशासी मार्गदर्शी सिद्धांत -2011 के नियम– 48 अनुसार विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी गोद दिए गए बच्चो का 03 वर्ष तक अनुवर्ती प्रतिवेदन (फालोअप रिपोर्ट) करता है। रिपोर्ट केवल न्याय व्यवस्था और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों और प्राधिकरण के अतिरिक्त सार्वजनिक नहीं कि जा सकती है। (ख) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 24-06-2011 में प्रदत्त दत्तक ग्रहण समबन्धी मार्गदर्शी नियमों कि अनुसूची XVI अनुसार दत्तक माता-पिता से पंजीकरण फीस 1000/-रू. एवं गृह अध्ययन फीस हेतु 5000/- रू. व बाल देखभाल कोष हेतु रू. 40,000/- कि राशि प्राप्त की जाती है। माता-पिता से प्राप्त की गयी राशि का ब्यौरा दत्तकग्रहण के आभिशासी मार्गदर्शी सिद्धांत-2011 के नियम-106 (1) (2) के अनुसार सर्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

नल जल योजना अन्तर्गत गांवों को जोड़ा जाना

100. (क्र. 5006) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत नल जल योजना अन्तर्गत इन्दौर जिले को शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्ष में इन्दौर जिले के कितने गांवों को इस योजना अन्तर्गत जोड़ा जा चुका है, व इन वर्षों में इस योजना अन्तर्गत कितनी राशि का व्यय किया गया है, वर्षवार एवं ग्रामवार सूची उपब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्न (क) अनुसार नल जल योजना का क्रियान्वयन इन्दौर जिले में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है, यदि नहीं तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? इन्दौर जिले के निर्धारित लक्ष्य को कब तक हासिल किया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। 149 ग्रामों को जोड़ा गया एवं रु. 5877.56 लाख व्यय किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। शेष वर्षो में लक्ष्यानुसार योजना पूर्ण की गई है। निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य संपादित किये गये हैं अतः कोई उत्तरदायी नहीं है। शेष बच रही 15 योजनायें प्रगतिरत हैं, इनमें से 07 योजनायें मार्च 2015 तक, 06 योजनायें जून 2015 तक एवं 02 योजनायें मार्च 2016 तक पूर्ण की जाना लक्षित है।

त्रुटिपूर्ण नक्शा/रिकार्ड की दुरूस्ती

101. (क्र. 5009) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में बन्दोबस्त का कार्य वर्ष 1994 में समापन होकर प्रत्येक जिलें मे भू-प्रबंधन कार्यालयों की स्थापना बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिलें में वर्ष 1994 के पश्चात कितने ग्रामों के त्रुटिपूर्ण नक्शा, रिकार्ड में दुरस्ती की गयी है? (ख) तहसील शिवपुरी के कृषकों द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शा, दुरस्ती के लिये कितने आवेदन म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 (5) के अंतर्गत पेश किये गये? उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण किया, कितने शेष हैं व शेष प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? (ग) क्या आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त, म.प्र. ग्वालियर ने पत्र क्र./2191/11भू.प्र./न.वि./2012 ग्वालियर दिनांक 05.11.2012 द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को ग्राम वमनौआ तहसील शिवपुरी का नक्शा दुरस्ती किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो क्या नक्शा संशोधन कार्य अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी द्वारा कर दिया गया है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें व उक्त कार्य कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। 31 ग्रामों के त्रुटिपूर्ण नक्शा रिकार्ड में दुरूस्ती की गई। (ख) 06 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका। 04 प्रकरण शेष हैं, जिनका निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। (ग) जी हाँ। शिकायतकर्ता श्री यशवंत कुमार जैन का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्रेषित किया गया था। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 1/2010-11/अ-5 आदेश दिनांक 28.01.11 द्वारा यशवंत कुमार जैन पुत्र स्व. मोहन चन्द्र जैन निवासी सदर बाजार शिवपुरी का प्रकरण का निराकरण करते हुए उनका आवेदन निरस्त किया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 6/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 04-02-12 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.11 को यथावत रखा गया है। प्रकरण में अपीलीय प्रावधान के तहत आगामी कार्यवाही आवेदक द्वारा की जा सकती है।

कृषकों एवं भूस्वामियों की भूमि कम्प्यूटर में अपडेट की जाना

102. (क्र. 5018) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक मण्डलों के अन्तर्गत कितने कृषकों एवं भूमि स्वामियों की भूमियों का अभिलेख व खसरे में दर्ज भूमि अनुसार कम्प्यूटर में अपडेट किया गया है? (ख) क्या राजस्व अभिलेखों व खसरे में दर्ज भूमि अनुसार कृषकों व भूमि स्वामियों की भूमियों का कम्प्यूटर में ऋण पुस्तिका में दर्ज भूमि से कम अपडेट हो रहा है? (ग) क्या उक्त प्रकरणों की जाँच कराकर पटवारियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड एवं ऋण पुस्तिका अनुसार कृषकों व भूमि स्वामियों की भूमि का अपडेट के समय की गई विभागीय त्रुटि को दुरूस्त करवाकर क्या पुन: कम्प्यूटर में अपडेट करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**आंगनवाडियों में व्यय राशि**</u>

103. (क्र. 5020) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना में कितनी आंगनवाडियां हैं? ग्राम पंचायतवार नाम बताएं एवं एवं कितने बच्चे दर्ज हैं संख्या बताएं? (ख) क्या परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाडियों में हुए संख्या के मान से राशि एवं खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है एवं भ्रमण नहीं किया जा रहा है? विगत दो वर्षों की परियोजना अधिकारी के भ्रमण की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त बंटन, व्यय बंटन एवं शेष बंटन राशि एवं खाद्यान्न की जानकारी आंगनवाड़ी वाइज उपलब्ध करावें? (घ) क्या परियोजना अधिकारी द्वारा निरंतर भ्रमण न करने एवं खाद्यान्न एवं राशि उपलब्ध न कराने के कारण कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी और कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाल विकास परियोजना सबलगढ़ में 207 आंगनवाड़िया हैं ग्राम पंचायतवार आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ियो में लाभन्वित हितग्राहियो की संख्या के मान से राशि एवं खाद्यान्न दिया जा रहा हैं माह अप्रैल 2013 से जनवरी 2015 तक परियोजना अधिकारी द्वारा किये गये भ्रमणो की अनुमोदित दौरा डायरी **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (ग) सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त आबंटन, व्यय आबंटन एवं शेष आबंटन राशि की **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-'स-1' अनुसार** है। खाद्यान्न की आंगनवाड़ीवार **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-'स-2' अनुसार** है। (घ) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स'-1 अनुसार** किये गये भ्रमण एवं **परिशिष्ट-'स'-2 अनुसार** खाद्यान्न तथा राशि उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>**पार्वती नदी आधारित समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति**</u>

104. (क्र. 5033) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु समूह जल प्रदाय योजना के प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से जिले के कितने प्रस्ताव हैं? (ख) क्या काला पीपल विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु पार्वती नदी आधारित समूह जल प्रदाय योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजना को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी हाँ। (ग) प्राप्त योजना के विस्तृत परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट – "चौदह"

कृषि भूमि पर आवागमन हेतु मार्ग निर्माण

105. (क्र. 5063) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम डकांच्या, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास स्थित किसान श्री उमराव सिंह पिता श्री नारायण सिंह को अपने कृषि कार्य हेतु कृषि भूमि सर्वे नं. 159, 160, 161, पर आने जाने हेतु इसी ग्राम के निवासी श्री माखन सिंह पिता श्री देवी सिंह द्वारा रूढिगत (पुस्तैनी) रास्ता बंद कर दिये जाने के कारण श्री उमराव सिंह बगैरह द्वारा विगत 3 वर्षों से अपनी कृषि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करेगी? कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में क्या सरकार रास्ता खुलवाये जाने हेतु विवादित भूमि का सार्वजनिक रास्ते के लिए अधिग्रहण कर अथवा किसान द्वारा निर्धारित मूल्य जमा कराकर उक्त रास्ते का निर्माण कराया जा सकेगा? क्योंकि उक्त भूमि ही किसान के परिवार के जीवकोपार्जन का एकमात्र साधन है, यदि शासन प्रशासन द्वारा रास्ते के प्रबंध कराया जाता है तो निश्चित समय सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनियमितता

106. (क्र. 5079) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड अंतर्गत किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र कब से संचालित हैं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है कृपया केन्द्रवार स्थानवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित केन्द्रों में ऐसे कौन से कर्मचारी हैं, जिनके विरूद्ध अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सिरोंज में 278 आंगनवाड़ी केन्द्र वर्ष 1990-91 से संचालित है, तथा बाल विकास परियोजना लटेरी में 178 आंगनवाड़ी केन्द्र वर्ष 1995-96 से अद्यतन स्थिति तक संचालित है। केन्द्रवार, स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आंगनवाड़ी केन्द्रों में आईसीडीएस की 06 सेवाओं का पुनर्गठन कर 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास, देखभाल एवं पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सामुदायिक गतिशीलता सेवाये प्रदान की जा रही है इसके अतिरिक्त किशोरी शक्ति योजना, मंगल दिवस, बाल चौपाल, स्नेह शिविरों का आयोजन किया जाता है एवं समय समय पर निर्धारित शासकीय कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। (ग) जानकारी निरंक है।

टंकियों से पेयजल का प्रदाय

107. (क्र. 5095) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01/01/10 से 31/01/2015 तक बड़वानी जिले में लागत 5 लाख रूपये या इससे अधिक की कितनी टंकियां स्वीकृत की गई? इनके स्थान नाम, लागत, कार्यपूर्णता दिनांक सहित विधानसभा क्षेत्रवार वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इस समयावधि में संबंधित क्षेत्र के विधायकों द्वारा पेयजल टंकियों के लिए कितनी अनुशंसाए की गई और इस पर कितनी स्वीकृति दी गई? विधानसभा क्षेत्रवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी टंकियों से पेयजल सप्लाई की जा रही है उनकी सूची, जिन टंकियों से पेयजल प्रदान नहीं किया जा रहा है उनकी सूची भी कारण सहित बतावें? (घ) टंकी निर्माण होने के बाद जिन टंकियों से पेयजल प्रदान नहीं हो रहा है इसके दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावे? इन पर कार्यवाही कब तक की जावेगीं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 48 उच्चस्तरीय टंकिया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) 31 अनुशंसाए, 08 स्वीकृत। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (ग) 18 टंकियों से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है एवं 22 टंकियों से पेयजल प्रदाय बंद है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 व 4 अनुसार**। (घ) कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

बड़वानी में भूमि का आवंटन

108. (क्र. 5096) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में दिनांक 01/01/10 से 31/12/2014 तक कितनी भूमि उद्योगो को आवंटित की गई? भूमि रकबा, स्थान नाम, आवंटित फर्म/व्यक्ति नाम, उद्योग प्रकार सहित वर्षवार, विधानसभावार बतायें? (ख) कितने उद्योग भूमि आवंटन होने के बाद अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं? ऐसे उद्योगों की सूची भी देवें?जिन्होंने भू-उपयोग परिवर्तित कर अन्य उपयोग कर लिया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसे उद्योगो का आवंटन कब तक निरस्त कर दिया जावेगा? (घ) इस ओर ध्यान न देकर अनियमितता को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छिंदवाड़ा जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

109. (क्र. 5109) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले में नगरीय आंगनवाड़ी केंद्रो में पर्यवेक्षकों द्वारा वात्सल्य मोबाईल टैबलेट के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का जॉब चार्ट के अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो बच्चे व हितग्राही जो लाभान्वित हुए हैं? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र के शहरी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदान करने वाले समूहों (वार्ड, ग्राम, नगर, तहसील) की जानकारी अलग-अलग नगरवार पूर्ण जानकारी देवें एवं इनके किचन शैड की जानकारी भी? (ग) शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिखित में दैनिक औसत उपस्थिति से अवगत करायेगी? उसकी जानकारी मार्च 2014 से जनवरी 2015 तक की छिन्दवाड़ा जिले के समस्त नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रत्येक केन्द्र व समूहवार देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। छिन्दवाड़ा जिले में नगरीय आंगनवाडी केन्द्रों में पर्यवेक्षकों द्वारा वात्सल्य मोबाईल टैबलेट के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का जाब

चार्ट के अनुसार निरीक्षण किया जा रहाँ है जो एक नवाचार है एवं यह नवाचार प्रायोगिक स्तर पर है। इससे बच्चे के पोषण स्तर पर सतत् निगरानी की जा रही है, जिससे आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज बच्चे लाभांवित हो रहे है। (ख) छिन्दवाड़ा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र के शहरी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहाँर प्रदान करने वाले समूहों (वार्ड, ग्राम, नगर, तहसील) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है (ग) जी हाँ। जानकारी परियोजनावार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है

<u>सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा नल जल योजना के कार्य</u>

110. (क्र. 5122) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में कितनी जगह कितने-कितने लागत से सौर ऊर्जा प्लांट एवं पाईप लाइन विस्तार कर नल जल योजना के कार्य कराये गये हैं? (ख) उक्त कार्य किस योजना मद की राशि से कराये गये हैं? (ग) क्या उक्त कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ, तो किस दिनांक को कौन-कौन से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गयी थी? यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं तो क्यों? (घ) जिले में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा नल जल योजना कितनी जगह चालू है व कितनी जगह कब से बंद है? यदि बंद है तो क्यों? क्या इसकी जाँच करायी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 101 ग्रामों में केवल सौर उर्जा प्लांट तथा 48 ग्रामों में सौर उर्जा प्लांट एवं पाइप लाईन विस्तार, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार।** (ख) गुणवत्ता मद, आई.ए.पी. मद अंतर्गत एवं खनिज विकास निधि से। (ग) सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का समस्त कार्य मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से किया गया है। शेष अन्य कार्य विभाग द्वारा नियमानुसार निविदा कार्यवाही कर कराये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) 142 चालू तथा 07 बंद। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। जिला स्तर पर बंद सोलर पंप की जाँच करवायी गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

<u>पुलिस थाना कटंगी में दर्ज रिपोर्ट</u>

111. (क्र. 5138) श्री के.डी. देशमुख : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनेश मिश्रा अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय कटंगी तहसील कटंगी जिला बालाघाट द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी जिला बालाघाट के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना कटंगी जिला बालाघाट में दिनांक 06.01.2015 को की गई है। (ख) यदि हाँ, तो लिखित रिपोर्ट की जाँच के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई बताया जावे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) रिपोर्ट की जाँच प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>मछुवारा वर्ग के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना</u>

112. (क्र. 5153) श्री मेव राजकुमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केवट एवं कहार समाज जो कि मछली पकड़ने का कार्य करते हैं उनके उत्थान हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित अथवा क्रियान्वित की जा रही हैं? उनके क्या नियम एवं

मापदण्ड है एवं क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? (ख) क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केवट समाज एवं कहार समाज के परिवार नाव संचालन का कार्य करते थे नर्मदा नदी पर सेतु बनने के कारण नाव चलाने का कार्य बंद होने से बेरोजगार हो गये है? यदि हाँ, तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई? (ग) खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत केवट समाज एवं कहार समाज के किन परिवारों को मत्स्य विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है? सूची उपलब करावे? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विभाग द्वारा कहार एवं केवट समाज के परिवारों को मत्स्य पालन हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रथामिकता दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने परिवारों को प्राथमिकता देकर मत्स्य पालन का कार्य दिया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं उनके नियम, मापदण्ड एवं क्रियान्वयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के केवट समाज एवं कहार समाज के परिवार नाव संचालन का कार्य करते थे किन्तु नर्मदा नदी पर सेतु बनने के कारण बेरोजगार होने जैसी स्थिति नहीं है विभागीय योजनाओं में मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट कार्य कर रहे हैं अत: पृथक से कोई कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। विभागीय योजनाओं से लाभांवित हो रहे परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में विभागीय योजनाओं से लाभांवित परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (घ) जी हाँ, 435 परिवारों को मत्स्य पालन योजनाओं से लाभांवित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।

उद्यानिकी हब के अतंर्गत हार्टिकल्चर उद्योग की स्थापना

113. (क्र. 5156) श्री मेव राजकुमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिनांक 29.06.2012 को खरगोन जिले के महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किये जाने हेतु घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो घोषणा के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या घोषणा के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन, सीमांकन, भूमि अधिपत्य इत्यादि कार्यवाही कर ली गई है यदि हाँ, तो भूमि का सर्वे नं. रकबा, ग्राम का नाम, आदि बतावे? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा मुख्ममंत्री जी की घोषणा को कार्य रूप में कब तक परिणित किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

आंगनवाडी भवनों का उन्नयन

114. (क्र. 5171) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन विभाग द्वारा रतलाम जिला अतंर्गत वर्ष 2011-12 से लेकर प्रश्न दिनांक तक आगंनवाडी केन्द्रों के भवन उन्नयन हेतु कुल कितना बजट प्राप्त कर प्रदायित राशि का व्यय किन मापदण्डों के आधार पर किन-किन आंगनवाडी केन्द्र पर किया गया? (ख) साथ ही आंगनवाडी केन्द्रों क भवन उन्नयन हेतु प्रदायित राशि का उपयोग तकनीकी रूप से प्राक्कलन प्राप्त

कर मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है? (ग) उपरोक्त आंगनवाडी केन्द्रों के भवन उन्नयन हेतु प्राक्कलन मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन जिन अधिकारियों के द्वारा किया गया क्या वह इस तकनीकी कार्य हेतु सक्षम होकर उन्नयन हेतु प्रदायित राशि किस सक्षम अधिकारी की सक्षम स्वीकृति से राशि प्रदाय की गई है एवं उक्त राशि का उपयोग किन-किन आंगनवाडी केन्द्रों के भवन उन्नयन हेतु किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जिले में वर्ष 2011-12 से लेकर प्रश्न दिनांक तक आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन उन्नयन सम्बंधित विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है (ख) जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन उन्नयन कार्य हेतु निर्माण ऐजंसी ग्राम पंचायत द्वारा उन्नयन कार्य के लिये प्रदाय राशि का उपयोग सक्षम अधिकारी (क्षेत्रीय उपयंत्री) से तकनीकि स्वीकृति, प्राक्कलन कर मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन उपरांत किया गया है। (ग) जी हां क्षेत्रीय उपयंत्री (सक्षम अधिकारी) द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन उन्नयन कार्य का प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन किया गया है। उन्नयन कार्य के लिये राशि जिला कलेक्टर की सक्षम स्वीकृति से परियोजनाओं को प्रदाय की गई है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

115. (क्र. 5172) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लगातार रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार एवं अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? (ख) क्या उपरोक्त आश्य के दुराचरण के कारण संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाहियां की जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित कर दण्डात्मक कार्यवाहियां भी की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2011-12 से लेकर प्रश्न दिनांक तक म.प्र. में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जाकर उन्हें किस-किस प्रकार दण्डित किया गया है? (घ) साथ ही क्या उपरोक्त आश्य के कतिपय दुराचरण में लिप्त पाये जाने एवं विभागीय जाँच के चलते हुए भी अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य पर पदस्थ होकर कार्यरत है? यदि हाँ, तो वस्तुस्थिति से अवगत कराए?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला श्योपुर में भूमियों का विनिमय</u>

116. (क्र. 5187) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले की श्योपुर तहसील में वर्ष 2003 से 2010 तक कितनी भूमियों का विनिमय किया गया? कृपया नाम, पता, खसरा क्रमांक, पटवारी हल्का एवं भूमियों की स्थिति सहित बतावें? साथ ही यह भी बतावें कि विनिमय के द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि श्योपुर शहर से कितने किलोमीटर की सीमा के अंदर आती है एवं भूमियों के प्रकार भी बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि के विनिमय की अनुमति/ स्वीकृति किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब दी? (ग) प्रश्नांश (क) में विनिमय की जाने वाली भूमियों की वर्तमान में क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नकर्ता के परि.अतां. प्रश्न क्रमांक 996 दिनांक 18.11.2009 में अंकित अनुसार विनिमय की जाने वाली भूमि जो कि मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विनिमय किया गया था, जिसे वन भूमि से विनिमय कर दिया

था? उन विनिमय से प्राप्त की जाने वाली भूमियों की वर्तमान में क्या स्थिति है? उसके संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>व्यापमं फर्जीवाड़े में दोषी पाए गए परीक्षार्थियों की परीक्षा निरस्त किया जाना</u>

117. (क्र. 5188) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यापमं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश एवं शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षाओं में हुई अनियमितता एवं फर्जीवाड़े की जाँच एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो किस-किस वर्ष की किन-किन परीक्षाओं की? कृपया वर्षवार, परीक्षावार बतावें व अभी तक किस-किस परीक्षा के कितने-कितने परीक्षार्थियों के विरूद्ध कितने प्रकरण कायम किए गए? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) की परीक्षाओं की जाँच उपरांत अभी तक कितने-कितने परीक्षार्थियों की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाएँ निरस्त करने की कार्यवाही की गई हैं? कृपया प्रवेश एवं चयन निरस्त हुए परीक्षार्थियों में से प्रवेश परीक्षा के परीक्षार्थियों के नाम संस्थावार तथा रिक्त पदों की भर्ती हेतु चयनित उम्मीदवारों के नाम विभागवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में से अभी तक कितने प्रकरणों में परीक्षार्थियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही उनकी परीक्षा निरस्त की गई है? प्रकरण संख्या व परीक्षार्थी के नाम सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश का पालन</u>

118. (क्र. 5199) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रिमनल अपील नं. 1485/2008 गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई आदि में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी 2014 द्वारा सभी राज्य सरकारों को आदेशित किया गया था कि वे ऐसे प्रकरणों में जहाँ अभियोजन द्वारा चालान प्रस्तुत करने के उपरांत आरोपीगणों पर दोष सिद्ध नहीं होता या उन पर चार्ज नहीं बनते हैं वहाँ दोषपूर्ण विवेचना के लिए विवेचना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के नियम बनाए जाएंगें? (ख) यदि हाँ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में क्या समय में नियम बनाए गए? यदि नहीं तो क्यों? इस विलंब तथा उच्चतम आदेश की अवमानना के लिए कौन दोषी है, उस पर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या ग्वालियर अंचल के किसी पूर्व मंत्री म.प्र. शासन ने माननीय गृहमंत्री महोदय से वर्ष 2014 में उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ पत्र लिखकर नियम बनाने तथा नियम की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नियम बनाकर कब लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय न्यायालय निर्णय के पालनार्थ आदेश क्रमांक एफ-21-16/2014 /दो/बी-1, दिनांक 31.12.14 द्वारा संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु समितियां गठित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जा चुकी है।

<u>नल जल योजनाएं पूर्ण की जाना</u>

119. (क्र. 5207) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सागर जिले के नरयावली विधान सभा में लो.स्वा.यां. विभाग द्वारा कितनी नल जल योजना, बुंदेलखण्ड पैकेज, मुख्यमंत्री पेयजल योजना एवं अन्य मद से स्वीकृत की गई थी, सभी नल जल योजनाओं की भौतिक वि.ख. वार जानकारी दें? (ख) इनमें से कितनी योजना पूर्ण कर, चालू अवस्था में हैं? कितनी बंद हैं? बंद होने के क्या कारण हैं? कब तक बंद नल जल योजना पुन: चालू कर दी जावेगी, अपूर्ण योजनाएं कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) क्या यह बंद पड़ी नल जल योजना कहीं घटिया सामग्री के उपयोग से बंद तो नहीं है? इसकी जाँच वरिष्ठ अधिकारी से कराएंगे एवं दोषियों अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, 107 योजनाएं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) 99 पूर्ण योजनाओं में से 67 चालू एवं 32 बंद है। बंद योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। स्रोत से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा तथा अन्य कारणों से बंद योजनाओं को संबंधित पंचायतों द्वारा चालू किया जावेगा। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

रायसेन जिले में शस्त्र लायसेंस का प्रदाय

120. (क्र. 5209) श्री रामकिशन पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन जिले में शस्त्र लायसेंस देने की शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये जा रहे हैं? शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विवरण दें? (ख) विगत 05 वर्षों में रायसेन जिले में विकासखण्डवार कितने आवेदकों को शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये गये हैं? हितग्राही की ग्रामवार/नामवार/दिनांकवार सूची प्रस्तुत करें? ऐसे कितने आवेदक हैं जिनके आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये हैं? कारण सहित सूची प्रदाय की जावें? (ग) रायसेन जिले में ऐसे कितने लायसेंस धारी शस्त्र धारक है, जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज किये गये एवं उनके विरूद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में संचालित बोतल बंद पानी के प्लांट

121. (क्र. 5217) श्री जितू पटवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ऐसे कितने प्लांट संचालित है, जिन्हें शासन द्वारा मान्यता प्रदान की जाकर पानी की शुद्धिकरण करके बोतलबंद पानी विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है? कंपनी का नाम एवं पते सहित जानकारी देवें? (ख) पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? इनका पालन करवाने हेतु शासन द्वारा कौन से कदम उठाये जाते है एवं इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) क्या भाभा अनुसंधान केन्द्र के शोध उपरांत यह रिपोर्ट जारी की गई कि बोतल बंद पानी में क्लोराईड एवं क्लोरेट जैसे रसायनों की मात्रा अत्याधिक होने के कारण ये रसायन मनुष्य के आंतो, लीवर, एवं किडनी पर विपरीत असर डालते है? (घ) क्या प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाकर बोतल बंद पानी की कंपनियों के लायसेंस निरस्त कर इनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

न्यायिक अधि. कर्म. हेतु शेट्टी कमीशन की अनुशंसा

122. (क्र. 5218) श्री जितू पटवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1022/1989 के पारित निर्णयानुसार न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शेट्टी कमीशन की अनुशंसाएं दिनांक 1/4/2003 से लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रदेश में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा शेटटी कमीशन की अनुशंसाएं दिनांक 8/10/2010 से लागू की गई हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1/4/2003 के स्थान पर दिनांक 8/10/2010 से शेटटी कमीशन की अनुशंसाएं लागू करने का क्या कारण था? जबकि अन्य प्रदेशों में इन अनुशंसाओं को जस का तस नियत तिथि से लागू किया जाकर लाभ प्रदान किया गया है? (घ) क्या यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिनांक 8/10/2010 के स्थान पर दिनांक 1/4/2003 से लाभ प्रदान करने का कोई निर्णय लेकर अपने आदेश में संशोधन करेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां। (ख) जी नहीं। न्यायिक अधिकारियों को शेट्टी पे कमीशन की अनुशंसाओं का लाभ दिनांक 01.11.1999 से प्रदान किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, अभिलेखागार एवं मालखाने में कार्यरत स्टाफ को देय अतिरिक्त भत्ता, चतुर्थ श्रेणीं (ग्रुप डी) वाहन चालकों को विशेष भत्ता, आदेशिका वाहक/सेल अमीन को यात्रा भत्ता तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 01.04.2003 से प्रदान किया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 06.10.2010 द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/क्लर्क ऑफ कोर्ट, रीडर ग्रेड-1, रीडर ग्रेड-2, आदेशिका वाहक के वेतनमान का उन्नयन तथा स्टेनो क्लर्को के 685 पदों में से 330 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 वेतनमान रूपये 4500-7000 तथा 355 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 वेतनमान रूपये 4000-6000 में उन्नयन उक्त आदेश जारी किये जाने की दिनांक से किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) तथा (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। जी नहीं।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण

123. (क्र. 5244) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में संभाग स्तर पर संचालित आयुक्त राजस्व के न्यायालयों में प्रचलित अपील अथवा अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? इन न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों के निराकरण व लंबित प्रकरणों की समीक्षा क्या कभी की जाती हैं? इन न्यायालयों के निरीक्षण व समीक्षा करने के लिए कौन सक्षम हैं तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की कब-कब समीक्षा की गई, क्या निर्देश दिये गये? (ख) कमिश्नर, राजस्व जबलपुर के न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने अपील प्रकरण कितने अन्य प्रकरण कब से प्रचलित है? (ग) क्या कमिश्नर राजस्व जबलपुर के न्यायालय में विगत 5 से 10 वर्षों के प्रकरण अभी भी लंबित हैं? कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में प्रकरणें में सुनवाई न करते

हुए केवल तिथियाॅ बढ़ाई जाती है जिसके चलते पक्षकार हताश व निराश होकर पेशियों में उपस्थित होना छोड़ देते है और इसका लाभ उठाकर अदम पैरवी में प्रकरण को निरस्त कर निराकरण बता दिया जाता है? (घ) कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में विगत 3 वर्षों में कुल कितने प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किये गये? खारिज किये गये प्रकरण किस संबंध में कब से प्रचलित थे? विगत तीन वर्षो की अपील व राजस्व प्रकरण पंजी में मदवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी दें क्या शासन कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में प्रचलित उक्त प्रकार की प्रवृत्ति की समीक्षा कर उस पर अंकुश लगाने तथा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संस्था के विरूद्ध धोखाधडी का दर्ज प्रकरण

124. (क्र. 5245) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1252 दिनांक 10.12.2014 के उत्तर में बताया गया है कि एकीकृत आदिवासी परियोजना सौंसर जिला छिन्दवाड़ा अतंर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद से हितग्राहियों का चयन कर उपकरण क्रय हेतु उनके बैंक खातों में जमा करायी गई राशि चित्रांचल बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष द्वारा हितग्राहियों से आहरण पत्र पर हस्ताक्षर कराकर राशि का आहरण किया गया किन्तु हितग्राहियों को उपकरण या टूल किट प्रदाय नहीं हुआ? (ख) प्रश्नांश (घ) के उत्तर में क्या यह भी बताया गया कि संस्था अध्यक्ष और कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक प्रकरण दायर करने की कार्यवाही प्रांरभ है, प्रकरण में कोई शासकीय सेवक लिप्त नहीं है? यदि हाँ, तो क्या संबंधितों के विरूद्ध हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया, यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि जमा करा देने मात्र से संबंधित शासकीय सेवक अपने दायित्ववों से मुक्त हो गये क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि हितग्राहियों के द्वारा उपकरण या टूल किट खरीदे गये अथवा नहीं? राशि का सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं का सत्यापन करते अथवा जानकारी प्राप्त करते है? (घ) हितग्राहियों के द्वारा उपकरण या टूल किट क्रय किये गये अथ्वा नहीं, का सत्यापन न करना, संबंधितों के विरूद्ध अभी तक धोखाधड़ी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराना क्या यह प्रदर्शित नहीं करता कि इसमें सबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी संबंधित संस्था से मिले हुए हैं? क्या शासन संबंधित संस्था के विरूद्ध स्थानीय थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण शीघ्र पंजीबद्ध कराने तथा निरंकुश अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। संस्था के अध्यक्ष एवं संस्था के कर्मचारियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना सौंसर में दिनांक 21.11.2014 को अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। (ग) जी नहीं। शासन निर्देशानुसार हितग्राहियों के व्यक्तिगत खातो में राशि जमा कराई गई है। उपकरण व टूल किट क्रय करने हेतु हितग्राही को ही अधिकृत किया गया है। टूल किट क्रय उपरांत हितग्राही द्वारा विभाग को सूचना देने के पश्चात उनका सत्यापन किया जाना प्रस्तावित था। (घ) जी नहीं। प्रकरण पुलिस थाना सौंसर के विवेकाधीन है। प्रकरण में पुलिस थाना सौंसर के कार्यवाही के पश्चात ही दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विदिशा जिले में संचालित नल जल योजनाएं

125. (क्र. 5255) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत कितने ग्रामों में विभाग की नल जल योजनायें है एवं कितने ग्रामों हेतु नल जल योजनाओं का कार्य स्वीकृत है? ग्रामवार विकास खंडवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में से कितनी नल जल योजनायें संचालित है एवं कितनी नल जल योजनाएं बंद है? बंद रहने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत नल जल योजनाओं पर कब तक कार्य पूर्ण किया जायेगा? साथ ही अपूर्ण नल जल योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 361 ग्रामों में। 105 ग्रामों में स्वीकृत होकर प्रगतिरत तथा 20 स्वीकृत/अप्रारंभ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) 236 पूर्ण योजनाओं में से वर्तमान में 164 योजनाएं संचालित (चालू) तथा 72 बंद है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

कैदियों का पुर्नवास

126. (क्र. 5265) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की जेलों में कुल कितने विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदी कैद हैं? जेल की क्षमता सहित बंद कैदियों की जानकारी जेलवार प्रदान करें? (ख) शासन जिलों में बंद कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम स्वयं अथवा गैर सरकारी संगठनों की मदद से संचालित कर रहा है? (ग) वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 में शासन द्वारा उल्लेखित कार्यक्रमों पर कितनी राशि का व्यय किस-किस मद में किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में, जेलवार इन कार्यक्रमों की सफलता दर गत 05 वर्षों में क्या रही?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

127. (क्र. 5278) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत कितने थाने एवं चौकियों स्थापित हैं, जिनमें कुल कितना पुलिस बल, नगर निरीक्षक, निरीक्षक उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, एवं आरक्षकों के पद स्वीकृत हैं? (ख) उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? जिले में बढ़ते अपराध व कानून व्यवस्था की दृष्टि से स्वीकृत पुलिस बल की पूर्ति अत्यावश्यक है? (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजगढ़ जिले के थानों में नवीन वाहनों का प्रदाय

128. (क्र. 5279) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ जिले में पुलिस विभाग एवं थानों के लिये कुल कितने वाहन आवंटित है तथा क्या आवंटित सभी वाहन तकनीकी दृष्टि से पूर्ण फिटनेस युक्त हैं? (ख) क्या पुलिस विभाग द्वारा उपरोक्त वाहन के फिटनेस की दृष्टि से कितने कि.मी. चलाये जाने तक उपयुक्त माने जाते हैं? क्या राजगढ़ जिले की पुलिस के पास ऐसे सभी वाहन तकनीकी मापदण्ड पूरा करते हैं? यदि नहीं तो क्या

ऐसे वाहनों से पुलिसकर्मी अपराध घटित होने की सूचना मिलने व कोई दुर्घटना होने की सूचना पर समय रहते अपने कर्तव्य का पालन कर पाने में समर्थ हैं? (ग) क्या राजगढ़ जिले में अपराधियों की त्वरित धरपकड़ न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तथा क्या पुलिस प्रशासन को चुस्त और दुरूस्त करने हेतु शासन कंडम हो चुके वाहनों के स्थान पर नवीन वाहन प्रदान करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) भारी वाहन-10, मध्यम वाहन-6, हल्के वाहन-47, मोटर साईकिल-24 कुल 87 वाहन। वाहन के निर्धारित मायलेज पूर्ण होने पर भी अच्छी स्थिति में है। (ख) भारी वाहन 2,50,000 कि.मी. मध्यम वाहन 2,00,000 कि.मी., हल्के वाहन 1,80,000 कि.मी., कार 1,50,000 कि.मी. एवं मोटर साईकिल 1,00,000 कि.मी. तक चलाऐ जाने हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। मायलेजपूर्ण वाहन अच्छी स्थिति में होने से उपयोग किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। राजगढ़ जिले में अपराधों के नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। बजट उपलब्धता के अनुसार कंडम वाहनों के बदले नए वाहन क्रय किए जाते हैं।

उद्यानिकी फसलों के रोग निदान की व्यवस्था

129. (क्र. 5303) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कहाँ-कहाँ प्लाट पैथोलॉजी लेब कार्यरत है? यदि नहीं है तो उद्यानिकी फसलो के रोग निदान हेतु क्या व्यवस्था है? क्या प्रदेश की किसी नर्सरी में पौधे रोग विशेषज्ञ है यदि है तो कौन-कौन नर्सरी में? (ख) शाजापुर जिले की कालापीपल एवं जायनेर नर्सरियों में किन-किन फल, सब्जी, फूल एवं मसालों के पौधे किसानों को प्रदाय किये जाते हैं? क्या नर्सरी में तैयार पौधे किसानों को प्रदाय किये जाते हैं अथवा बाहर से बुलवा कर? (ग) क्या जायनेर नर्सरी में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कब-कब प्रशिक्षण दिया गया? किसानों की सूची उपलब्ध करावें? (घ) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या योजना एवं कार्य किये गये?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जबलपुर तथा ग्वालियर में कृषि महाविद्यालयों में पैथालॉजी लैब की तथा आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर उद्यानिकी फसलों के रोग निदान हेतु व्यवस्था है। विभाग की नर्सरियों में पौध रोग विशेषज्ञ नहीं है। (ख) फलदार पौधों में अमरूद, संतरा, जामुन, आम, निंबू, आंवला, कटहल, सीताफल तथा फूलवाले पौधों में चांदनी, मधुकामनी, बोगन-विलिया, गुडहल, कनेर आदि प्रदाय किये जाते हैं। जी हाँ, शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

गौसेवकों की चिकित्सा की अनुज्ञा

130. (क्र. 5328) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. शासन पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव की टीप क्रं. 8 भोपाल दिनांक 8/8/2013 को जारी संचालक पशुपालन के पत्र क्रं. 11306/मु.ग्रा.यो./35/वे.प्र./2013 जारी कर समस्त उपसंचालकों को सात बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया? यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) गौ सेवकों को म.प्र. राजपत्र 15 मई 2012 के अनुसार किसी रजिस्ट्रिकृत पशु चिकित्सा व्यवसाय के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन लघु पशु चिकित्सा देने की

अनुज्ञा दी गई है? गौ सेवक ऐसे पशु चिकित्सकों से परामर्श कर पशु चिकित्सा कार्य मौके पर कर सके इसलिए पशुपालन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं की भांति, निशुल्क मोबाईल सिम गौ सेवकों को कब तक वितरित की जावेगी? (ग) क्या विभाग की ई-वैट योजना का पायलट प्रोजेक्ट बैतूल एवं सीहोर जिले में चलाया गया था? जिसके परिणाम सही न आने पर भी विदिशा जिले में लागू किया गया? कारण बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। वर्णित पत्र के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है। जिलों के उप संचालकों द्वारा पालन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। गौ सेवक योजना अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा गौ सेवकों को निशुल्क मोबाईल सिम वितरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। योजना से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है तथा विदिशा जिले में योजना मध्यप्रदेश वॉटर रिस्टक्चरिंग योजना अंतर्गत सम्राट अशोक सागर जलाशय क्षेत्र की ग्राम पंचायतों हेतु प्रारम्भ की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>डायल 100 योजना का क्रियान्वयन</u>

131. (क्र. 5329) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डायल 100 योजना क्या है? क्या इस योजना को क्रियान्वयन करने हेतु पृथक बल पुलिस भर्ती कर किया जाएगा? यदि नहीं तो मौजूदा बल से यह कार्य कैसे लिया जाएगा? (ख) एक जिले में कितने पॉइंट लगाये जाएंगे? हर पॉइंट पर कितना बल लगेगा? पॉइंट पर क्या साधन मुहैया कराए जाएंगे? (ग) पॉइंट पर तैनात बल के क्या अधिकार रहेंगे? इस बल की क्या कानूनी वैधता रहेगी? (घ) इस योजना के लागू होने से प्रदेशवासियों को क्या लाभ मिलेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) 1. डायल-100 योजना किसी घटित घटना/अपराध के संबंध में पुलिस के त्वरित रेस्पांस की योजना है। 2. योजना के क्रियान्वयन हेतु पृथक से पुलिस बल भर्ती का प्रस्ताव नहीं हैं। जिलो/थानों में स्वीकृत बल के द्वारा ही फर्स्ट रिस्पांस वाहन से ड्यूटी की जावेगी। 3. जिलों में उपलब्ध पुलिस बल द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। 4. डायल-100 योजना के अन्तर्गत भोपाल में राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विभिन्न चरणों में 1000 फर्स्ट रिस्पांस वाहन सतत रूप से चौबीसों घण्टे उपलब्ध रहेंगे एवं अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर आमजन द्वारा 100 नम्बर पर जब भी फोन लगाया जायेगा तो फोन राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल रूम में लगेगा। केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल रूम द्वारा प्राप्त जानकारी को दिया जाएगा। फर्स्ट रिस्पांस वाहन में लगा बल शीघ्रातिशीघ्र घटना स्थल पर पहुंचकर समस्या का विधि अनुसार समुचित निराकरण करेगा। (ख) 1. जिलो के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न जिलो को फर्स्ट रिस्पांस वाहन आवंटित किये जावेंगे जो कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में चौबीस घण्टे ड्यूटी पर रहेंगे। 2. प्रत्येक फर्स्ट रिस्पांस वाहन पर प्रति पाली न्यूनतम 2 पुलिस कर्मचारी तैनात किये जावेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जावेगा। 3. नोडल पॉइन्ट पर फर्स्ट रिस्पांस वाहन एवं पुलिस बल ड्यूटी पर रहेगा। वाहन में एम.डी.टी. (मोबाईल डाटा टर्मिनल) वायरलेस सेट, सीयूजी फोन, पी.ए.सिस्टम (मय सायरन) , जीपीएस उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, फ्लेशर बीकन लाइट, इत्यादि उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार ड्यूटी स्टाफ बलवा परेड सामग्री जैसे हेलमेट जाली, लाठी,

आवश्यक फार्म एवं स्टेशनरी भी रखेगा। एम.डी.टी. (मोबाईल डाटा टर्मिनल) एवं सीयूजी सिम के माध्यम से राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल रूम से संचार सतत् संचार संम्पर्क किया जा सकेगा। (ग) पॉइन्ट पर तैनात बल जिला पुलिस/थाना का कार्यकारी बल है अतः उसे पुलिस थाने में तैनात बल के अधिकार यथावत् है। पृथक से कोई अन्य अधिकार की वैधानिक आवश्यकता नहीं है। (घ) इस योजना के लागू होने से प्रदेशवासियों को निम्न लाभ होंगेः- 1. प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जावेगी। 2. घटना की सूचना देने हेतु आमजन को थाने आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फोन पर सूचना देने से पुलिस स्वयं मौके पर पहुंचेगी। 3. पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जायेगा। 4. आमजन बेहिचक बिना डरे हुए फोन के द्वारा अपनी समस्या पुलिस कन्ट्रोल रूम को बता सकेंगे। 5. जनता के कॉल को व्यवसायिक रूप से दक्ष स्टाफ द्वारा रिसीव किया जावेगा। 6. कन्ट्रोल रूम में प्राप्त सूचनाओं एवं इन पर की जा रही कार्यवाही की सतत मॉनिटरिंग उच्च तकनीकी मदद से कन्ट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों द्वारा की जावेगी जिससे कि पुलिस के मैदानी बल की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी। 7. पर्याप्त वाहनों के सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध होने पर पुलिस की ''विजिबिलिटी'' बढ़ जावेगी जिससे आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। 8. डायल-100 योजना से पूर्व प्रचलित 108 एम्बुलेंस, 101 फायर सेवा तथा 1090 महिला हेल्प लाइन भी जुडी रहेंगी। जिससे आपदा के समय राज्य की अन्य एजेंसियां भी तत्परता से आमजन की सहायता के लिये उपलब्ध हो सकेंगी।

<u>**हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी**</u>

132. (क्र. 5340) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के थाना मऊगंज अन्तर्गत ग्राम हर्रई प्रताप सिंह हाल मुकाम पिपराही निवासी, हनुमान दास गुप्ता आ.श्री राम गोपाल गुप्ता की दिनांक 08.03.13 को दुकान के अन्दर घुसकर निर्दयतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में इस जघन्य हत्या करने वाले आरोपियों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? हत्या दिनांक से आज तक पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सन्दर्भ में हत्या के आरोपियों द्वारा स्वयं मृतक के घर में जाकर सुराग देने, तदुपरांत मृतक के परिवार जनो द्वारा पुलिस को सूचित करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही हैं? क्या पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने की कार्यवाही की जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें एवं यदि नहीं तो कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 75/13, धारा 452, 302 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु विधि अनुरूप विवेचना में सभी प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रकरण वर्तमान में विवचना में है। (ग) मृतक के परिवारजनों द्वारा 02 माह बाद एक आवेदन इस आधार पर दिया था कि मृतक के लड़के शिवम् गुप्ता को बृजेन्द्र पाठक ने थप्पड़ मार दिया था एवं एक बार जितेन्द्र पाठक द्वारा मृतक की मार्सल गाड़ी बुकिंग की थी तो कम पैसा दिया था इन्ही एवं अन्य कारणों से बृजेन्द्र एवं जितेन्द्र द्वारा हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी परन्तु इस बात के लिए कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी का बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

<u>**असफल हैण्ड पम्पों की संख्या में वृद्धि**</u>

133. (क्र. 5349) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले में ग्रामीणजनों को पेय-जल प्रदाय हेतु सिविल एवं यांत्रिकी खण्ड के द्वारा विगत् 3 वर्षों में विकास खण्डवार कितने हैण्ड पम्पों का खनन कराया गया? खनन कराये गये हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्प असफल थे या ड्राई थे? विकास खण्डवार बतायें? उपरोक्त अवधि में खनन किये गये हैण्ड पम्पों असफल एवं सफल नलकूपों पर कुल कितना व्यय मदवार किया गया? पूर्ण विवरण दें। (ख) विभाग द्वारा जल उपलब्धता का परीक्षण कराये जाने के बावजूद असफल हैण्ड पम्पों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? असफल हैण्ड पम्पों एवं धन की बर्बादी के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या शासन असफल हैण्ड पम्पों के मद में व्यय की गयी राशि की जाँच करायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' व '2' अनुसार**। (ख) असफल हैण्डपंपों की संख्या अत्यंत कम है। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट – "पंद्रह"**</u>

<u>शहडोल जिले में पशु चिकित्सा कार्य की व्यवस्था</u>

134. (क्र. 5361) श्री जय सिंह मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल जिले के विभागीय चल चिकित्सा इकाई सोहागपुर (शहडोल) एवं विरूजालय जयसिंह नगर के स्वीकृत अमले पर अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2015 तक की अवधि में वेतन-भत्ते, यात्रा देयक, वाहन व्यय एवं औषधि आदि तथा अन्य मदों में कितनी धनराशि व्यय की गई, तथा इन इकाईयों द्वारा कितना कार्य किया गया? (ख) जिले की अनुबंधित चल चिकित्सा इकाइयों सोहागपुर एवं जयसिंह नगर को कितना भुगतान किया गया तथा इन इकाइयों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कितना कार्य किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक आधार पर मितव्ययी एवं बेहतर परिणामदायी विभागीय चल चिकित्सा इकाईयां है अथवा अनुबंधित चल चिकित्सा इकाईयां? यदि अनुबंधित चल चिकित्सा इकाईयां मितव्ययी एवं बेहतर परिणामदायक है तब विभागीय इकाईयों के अमले को ऐसी संस्थाओं में पदस्थ क्यों नहीं किया गया, जहाँ लम्बी अवधि से पद रिक्त हैं? (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार जिले के पशु चिकित्सालय जैतपुर में पशु चिकित्सक की नियमित पदस्थापना क्यों नहीं है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) शहडोल जिले की विभागीय चल चिकित्सा इकाई सोहागपुर नहीं अपितु जिला चल पशु चिकित्सा इकाई शहडोल के नाम से स्वीकृति है। इस इकाई हेतु सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के दो एवं वाहन चालक का एक पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध एक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदस्थ है। इकाई में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं वाहन चालक न होने के कारण इकाई क्रियाशील नहीं है एवं इकाई में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए शहडोल में कार्य लिया जा रहा है। जिनके वेतन भत्ते पर रूपए 4,26,940/- का व्यय हुआ है। चल विरूजालय, जयसिंह नगर में वेतन भत्ते, यात्रा देयक, वाहन व्यय एवं औषधि आदि में कुल रूपए 17,78,652 का व्यय हुआ है। चल विरूजालय जयसिंहनगर द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 742 उपचार, 2306 औषधि वितरण, 6800 टीकाकरण 117 बधियाकरण एवं 10 लघु शल्य क्रियाए की गई हैं। (ख) अनुबंधित चल चिकित्सा इकाई सोहागपुर को रूपए 573796/- तथा जयसिंह नगर को रूपए 573876/- का भुगतान किया गया

है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) विभागीय इकाईयों एवं अनुबंध के आधार पर संचालित इकाईयों का उद्देश्य एवं कार्य का स्वरूप भिन्न होने के कारण तुलना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12/30/2008/35, दिनांक 04.10.2008 द्वारा डॉ. ओ.पी.सिंह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ की पशु चिकित्सालय जेतपुर में पदस्थापना की गई थी। **परिशिष्ट - "सोलह"**

फलदार वृक्षारोपण कार्यक्रम

135. (क्र. 5368) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ विकासखंडों में फलदार वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में कितने व कौन-कौन हितग्राहियों का चयन किया जाकर लाभान्वित किया गया है? (ख) हितग्राहीवार ग्राम सहित जानकारी दें? (ग) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कब-कब, कहाँ-कहाँ (ग्रामों में) किसानों के समक्ष प्रदर्शिनी आयोजित की गई है? (घ) इस कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। (घ) 162 हैक्टर।

दमोह जिले के हैंड पम्प का सुधार

136. (क्र. 5369) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकासखंड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ के ग्रामों में हैंड पंप सुधार कार्य हेतु पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित हुई? कितनी राशि शेष है? वर्तमान में कितने हैंडपंप बंद पड़े है? ग्रामों की सूची एवं व्यय वर्षवार बतायें? (ख) उक्त विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी नल जल प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत हैं कितनी अपूर्ण हैं? कितने ग्रामों में पाइप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण है, कितनी अपूर्ण हैं? (ग) कितनी व कौन-कौन से ग्रामों में नल जल योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? स्वीकृति कब तक होगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विकासखंडवार धनराशि आवंटित नहीं होती है, जिले को प्राप्त कुल आवंटन रूपये 646.75 लाख। कोई राशि शेष नहीं। 132 हैण्डपंप। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' व '2' अनुसार**। (ख) 199 नलजल योजनाएं स्वीकृत। 27 योजनाएं अपूर्ण। 181 ग्रामों मे पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण एवं 18 ग्रामों में अपूर्ण। (ग) 4 समूह योजनाएं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार**।

नलकूप खनन में अनियमितता

137. (क्र. 5420) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड कटनी के अतंर्गत विगत 3 वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने हैंडपंप/नलकूप किन-किन से कब-कब ग्रेविल पैक तथा कितने डी.टी.एच. खनित कराये गये? उपखंडवार संख्या सहित खनन कार्य किये जाने वाली एजेंसी के नाम सहित सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रति हैंडपंप/नलकूप क्रमश: ग्रेविल पैक एवं डी.टी.एच. हैंडपंप के खनन उपरांत कितनी-

कितनी राशि खननकर्ता एजेंसी को दिये जाने का प्रावधान है? विभागीय परिपत्रों की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन वर्षो में उक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनित डी.टी.एच. हैंडपंप/नलकूप को ग्रेविल-पैक बनाकर राशि का भुगतान खननकर्ता एजेंसी को किया जाकर शासन की राशि का अनियमित बँटवारा किया गया? यदि नहीं तो क्या विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुये नलकूपों की शासन हित में जाँच कराई जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार**। (ख) स्वीकृत निविदा दरों के अनुसार खनन एजेन्सी को भुगतान किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (ग) जी नहीं शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नलकूप खनन में अनियमितता</u>

138. (क्र. 5421) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागी कटनी द्वारा वर्ष 2014-15 में कितने नलकूप/हैंडपंप खनित कराये गये? ग्रामवार उपखण्डवार सूची दें? (ख) क्या कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करते हुये जिले में पदस्थ अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014-15 में उक्त क्षेत्र की एक भी बसाहटों पर हैंडपंप खनन कार्य नहीं कराया जाकर वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना तथा स्लिप बैक की सूची में दर्ज खनित कराये जाने वाले नलकूपों को 2014-15 में खनन किया जाना दर्शाया जाकर राशि की हेराफेरी की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र की वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना तथा स्लिप बैंक की सूची में दर्ज नलकूपों को पूर्णत: खनित न कराने वाले तथा 2014-15 में ग्रामों की बसाहटों में एक भी नलकूप खनन न करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 178 नलकूप हैंडपंप स्थापना हेतु। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>ओला-पाला पीड़ित किसानों के मुआवजा वितरण में अनियमितता</u>

139. (क्र. 5431) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत वर्ष कटनी जिले के बहोरीबंद एवं सतना जिले के विरसिंहपुर तहसील में ओला,पाला, अतिवृष्टि व चने की फसल में आकलन किसानों को मुआवजा के लिए आंकलन न कर पक्षपातपूर्ण तरीके से आंकलन पटवारियों द्वारा मनमानी मुआवजा बनाने तथा कई गरीबों के नाम सूची में छोड़ने की कितनी शिकायत प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई? (ख) कटनी जिले के विधान सभा क्षेत्र बहोरीबन्द एवं सतना जिले की विरसिंहपुर के किसानों को तहसील में ओला,पाला, मुआवजा वितरण के जो चेक जारी किए गए है उन चेको को बैंक में जमा करने पर बाउन्स हो रहे हैं? बाउन्स चेको की जानकारी प्रदाय करें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन कृषकों के द्वारा बैंक में जमा चेक बाउन्स हो रहे हैं, दुबारा उसे पुन: बैंक में लगाने पर 40 रूपया पेनाल्टी कृषक से वसूली जा रही है,

जबकि गलती शासन की हैं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में विधि के प्रावधान अनुसार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध धारा 148 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण बताए? (ड.) मुआवजा वितरण के संबंध में जो शिकायतें शासन एवं जिला प्रशासन को प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई है उन पर क्या कार्यवाही की गई शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुर्नवास भूमि एवं नजूल भूमि का नामान्तरण

140. (क्र. 5432) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक नजूल एवं पुनर्वास भूमि के नामान्तरण के प्रकरण प्रस्तुत हुए? प्रकरण क्रमांक सहित विवरण दें? (ख) प्रश्नाश (क) के प्रकरण में कितने नामांतरण प्रकरण स्वीकृत हुए कितने अस्वीकृत हुए प्रकरणवार बताए? प्रकरण अस्वीकृत क्यों हुए उसका विवरण दें? (ग) नामांतरण किस प्रक्रिया, नियम से किया जाना है? क्या पट्टे पर आवंटित भूमि का नामांतरण मूल पट्टीधारी के जीवित रहते किसी अन्य अपात्र व्यक्ति के नाम पर नामान्तरण किया जा सकता है, या नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिपत्र में प्रश्नांकित अवधि में किन-किन जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की गई है? शिकायतवार कार्यवाही वार विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मक्सी-गोधरा रेल्वे लाईन हेतु भूमि का अधिग्रहण

141. (क्र. 5439) श्रीमती नीना वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर-दाहोद (मक्सी-गोधरा) रेल्वे लाईन जो धार जिले में से होकर निर्मित होगी के लिये भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो किस तहसील के कौन-कौन से गांव में कितनी भूमि की आवश्यकता है? रकबा बतायें? (ग) यदि हाँ, तो इसमें कितनी शासकीय भूमि है तथा कितनी भूमि किसानों की निजी स्वामित्व की हैं? पृथक-पृथक जानकारी दें? (घ) अभी तक उक्त भूमियों के अधिग्रहण की क्या कारवाई की गई, कितनी भूमि अधिग्रहित की जाकर रेल्वे विभाग को दी गई? ग्रामवार जानकारी दें? (ड.) उक्त भूमि की कृषकों को मुआवजा राशि किस मान से दी जा रही हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय तालाब की भूमि का विक्रय

142. (क्र. 5440) श्रीमती नीना वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धार के ग्राम भोडिया-पीथमपुर (नगर पालिका) में स्थित शासकीय संजय जलाशय तालाब की भूमि खसरा नं. 236 में से 1.191 हेक्टेयर जमीन जो शासकीय भूमि है, को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 29.12.11 से पवन एण्ड सोहन पिता लक्ष्मीनारायण खाती के नाम दर्ज कर दी गई? जिसे उक्त व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाकर विक्रय कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो किसको रजिस्ट्री करवाई गई? उस क्रेता का नाम बतायें? (ग) क्या उक्त भूमि का भी तालाब की अन्य भूमियों सहित 1984 में जल संसाधन विभाग द्वारा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन किया जाकर विधिवत आवार्ड पारित किया गया था, तथा किसानों को धनराशि का भुगतान भी किया जा

चुका था? (घ) क्या माह सितंबर 2013 में उपरोक्त अवैध विक्रय के खिलाफ SDM, धार व कलेक्टर धार को प्रश्नकर्ता द्वारा विधिवत शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, तथा क्या उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कर शासन द्वारा उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया या नहीं? (ड.) यदि नहीं तो भूमि अधिग्रहण किया जाकर, फर्जी क्रेता एवं विक्रेता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सांसदों/विधायकों के पत्रों का उत्तर देने की समय-सीमा

143. (क्र. 5446) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 16 वि.दि./पी.एच.डी./2014, मुरैना दिनांक 11/2/14 को नलकूप खनन से संबंधित जानकारी हेतु प्रस्तुत पत्र का उत्तर पी.एच.ई.डी. खण्ड मुरैना के पत्र क्र. 5157 तक/का.य./लो.स्वा.यां.वि.खण्ड/2014-15, मुरैना दिनांक 9/12/14 का मुझे दिनांक 11/2/15 अर्थात ठीक एक वर्ष के बाद उत्तर प्राप्त हुआ है? उत्तर के प्रमाण हेतु मुझे प्राप्ति पत्र की फोटो प्रति भी उपलब्ध करावें? (ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश निर्देशों के अनुसार माननीय सांसद व विधायकों के पत्रों का उत्तर देने हेतु समय-सीमा 01 वर्ष निर्धारत है? यदि हाँ, तो आदेश/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) यदि नहीं तो क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्र का उत्तर ठीक 01 वर्ष पश्चात् देने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार जवाबदार होकर उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जोवगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। प्रथम पत्र की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1** एवं द्वितिय पत्र प्राप्ति की **छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2** में है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश के प्रथम भाग के उत्तर के सन्दर्भ में निरंक। (ग) जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, कार्यावाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "सत्रह"

थानों में जप्त की गई सामग्री

144. (क्र. 5451) श्री मधु भगत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत कौन-कौन से थानों में क्या-क्या सामग्री और कौन-कौन से वाहन जप्त किये गये? 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक कि स्थिति बतायें? (ख) क्या जप्त की गई सामग्री / वाहन का अभिलेख रखा जाता है? यदि हाँ, तो किस रजिस्टर पंजी में? उसकी प्रति बतायें? (ग) वाहन जब्त करने और छोड़ने में पुलिस मेन्युअल में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो उसका क्या प्रमाण है? किस प्राधिकारी ने वाहनों को छोड़ा उसका नाम पद बतायें? (घ) जिले के थाने के मालखाने में कौन-कौन सी सामग्री इत्यादि भौतिक रूप से जमा है? उसका निरीक्षण एवं सत्यापन कब-कब किया गया? यदि माल कम पाया गया तो कौन जिम्मेदार है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संकलित की जा रही हैं। (ख) जी हाँ। अभिलेख मालखाना **पंजी की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) जी हाँ। वाहनों को भा.द.वि. एवं द.प्र.सं. तथा माईनर क्रिमिनल एक्ट, 25 पुलिस एक्ट की कार्यवाही में जब्त किया जाता है तथा वाहनों को सक्षम न्यायालय के आदेश उपरान्त वाहन मालिक को सुपुर्द किया जाता है। (घ) जानकारी संकलित

की जा रही है। जिले के थानो का पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्षिक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि मालखाने में किसी जप्त माल की कोई कमी होती है तो इसके लिए जाँच के बाद जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट – "अठारह"

दोषी अधिकारियों की नियम विरूद्ध पदोन्नति

145. (क्र. 5457) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आदेश दिनांक 08.01.2015 अनुसार उप संचालक से संयुक्त संचालक पद पर पदोन्नत किये गये अधिकारियों में से कुछ पर लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तथा संचालनालय व शासन स्तर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं संबंधी शिकातयों की जाँच चल रही हैं? नामवार/प्रकरणवार जानकारी दें? यदि हाँ, तो इन अधिकारियों को पदोन्नति हेतु पात्र किस आधार पर माना गया है? (ख) क्या पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 26.12.2014 की कंडिका (8) में लोकायुक्त तथा ब्यूरों में कार्यवाही विचाराधीन होने से अधिकारियों के संबंध में समिति की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी जाना बताया है? (ग) सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला तथा श्री संजय सिसोदिया व सुश्री शशि उइके के संबंध में प्रश्न दिनांक तक वित्तीय अनियमितता की शिकायतों व जाँच प्रतिवेदनों की जानकारी दें? (घ) यदि उक्त अधिकारी वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त थे या इनके विरूद्ध जाँच प्रचलित थी तो उक्त अधिकारियों की पदोन्नति किन कारणों से किन नियमों के आधार पर किस मापदण्ड के अनुसार की गयी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ख) जी हाँ (ग) तीनो अधिकारियों के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं संबंधी नामवार जाँच लंबित नहीं है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

146. (क्र. 5458) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी 3-7/2002/1/3 दिनांक 03.11.2009 (एनेक्जर/9) द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के नियम-2002 के नियम-6 (3) (4) एवं नियम 7 (4) (5) में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना किये जाने एवं पदोन्नति समितियों की बैठके प्रति वर्ष आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है? (ख) क्या प्रतिवर्ष उक्तानुसार माह जनवरी के प्रारंभ में ही पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिये? (ग) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत दिनांक 26.12.2014 अर्थात वर्षांत पर उप संचालक से संयुक्त संचालक हेतु पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर 09 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया? (घ) क्या उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जनवरी 2015 के स्थान पर दिसम्बर 2014 में आयोजित की गयी? यदि हाँ, तो कारण दें, नियम बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) पदों की उपलब्धता होने पर ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 24/4/2013 द्वारा वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश है। (ग) जी हाँ। (घ) नियमानुसार वर्ष 2014 में रिक्त/संभावित रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 26/12/2014 को उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है।

नवीन पुलिस चौकी की स्थापना

147. (क्र. 5466) श्री विष्णु खत्री : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बढ़ती आबादी एवं अपराध को देखते हुये नजीराबाद क्षेत्र के थाना अंतर्गत कितनी पुलिस चौकी वर्तमान में स्थापित है? (ख) क्या विभाग बढ़ती आवादी एवं अपराध को रोकने हेतु ग्राम रूनाहा जोड़ पर पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) नजीराबाद थाना क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में कोई पुलिस चौकी स्थापित नहीं है। (ख) नवीन पुलिस चौकी ''रूनाहा जोड़'' स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं होने से अमान्य किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाला से नष्ट फसलों पर राहत राशि का वितरण

1. (क्र. 166) श्री मोती कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कटनी की किन्हीं तहसीलों के किन्हीं ग्रामों में दिसम्बर 2014 व जनवरी 2015 की किसी अवधि में दलहन, गेहूं व साग-सब्जी की फसलों में पाला की मार पड़ी है? विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) पर प्रश्नकर्त्ता ने माह जनवरी में कलेक्टर व तहसीलदारों को कोई कार्यवाही करने का लेख किया है? (ग) प्रश्नांश (क) तहसीलों में किनके द्वारा सर्वे कराया गया है? विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के द्वारा किन ग्रामों के किन कृषकों के प्रकरण बनाये हैं और राशि का वितरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रीवा संभाग के अपराधों की जानकारी

2. (क्र. 577) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01.04.14 से 25.01.15 तक रीवा संभाग में हत्या/ हत्या के प्रयास/ डकैती/ बलात्कार के कितने प्रकरणों में आरोपी चिन्हित नहीं किये जा सके है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित समयानुसार एवं संभाग में उक्त गंभीर प्रकरणों की विवेचना किस-किस नाम/ पदनाम के द्वारा कब से की जा रही है? थानावार/ प्रकरणवार/ जिलेवार विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं संभाग में किन-किन थाना क्षेत्रों में हत्या/ हत्या के प्रयास/ डकैती/ बलात्कार के आरोपी चिन्हित है? लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

जेलों में कैदियों की जानकारी

3. (क्र. 578) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किन-किन केन्द्रीय जिला एवं उप जेलों में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 प्रश्नतिथि तक बंदियों से घातक हथियार, मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुयें बरामद होने, कैदियों के जेल से फरार होने, कैदियों की जेल में मृत्यु होने, कैदियों एवं सुरक्षा प्रहरियों में भिड़ंत होने की कौन-कौन सी घटनायें कब-कब प्रकाश में आई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समय अनुसार केन्द्रीय जेलों जिला एवं उप जेलों के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध उनके द्वारा क्या किये जाने पर विभागीय जांचें शासन द्वारा अपने किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से जारी की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

4. (क्र. 1261) श्री हरवंश राठौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष, 2013-14 एवं 2014-15 में कितने आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए एवं कितने भवनों के कार्य स्वीकृति पश्चात् किन कारणों से प्रारंभ नहीं किये गये हैं? (ख) स्वीकृत एवं अनिर्माणित आंगनवाड़ी भवनों के कार्य कब तक प्रारंभ हो सकेंगे? (ग) बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य विभाग के शासकीय भवनों में तथा कितने किराये के भवनों में चल रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे 40 आगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये है। जिनमें से 25 भवनों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष 15 भवनों हेतु पंचायत निर्वाचन होने के कारण मनरेगा योजना से अभिसरण की राशि जारी न होने से निर्माण कार्य प्रारंभ नही किये जा सकें हैं। (ख) स्वीकृत एवं अनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों के कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जायेंगे। समय-सीमा दिया जाना संभव नही है। (ग) बण्डा

विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 309 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र में से 104 अन्य शासकीय भवनों में तथा 120 किराये के भवन में संचालित हो रहे है।

<u>नामांतरण के लंबित प्रकरण</u>

5. (क्र. 1264) श्री हरवंश राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बण्डा के बण्डा/शाहगढ़ में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा 2014-15 में ऐसे कितने प्रकरण नामान्तरण के लिए लंबित है? जिनमें एग्रीमेंट में धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराने की शिकायतें है? नाम शिकायतकर्ता, पटवारी हल्का नं., रकवा एवं खसरा क्रमांक सहित पृथक-पृथक जानकारी बताएं? (ख) दस्तावेजों के साथ जालसाजी करने पर संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जल आवर्धन योजनाओं की जानकारी</u>

6. (क्र. 1717) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी स्थायी/अस्थायी तथा जल आवर्धन योजनाएं संचालित हैं, कितनी असंचालित हैं? असंचालित जल योजनाएं किन कारणों से बंद पड़ी हैं, इनके शीघ्र संचालन हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो बंद योजनाएं कब तक प्रारंभ हो जावेगी, समय-सीमा बतलावें? (ख) वर्ष, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए जल आवर्धन योजनाएं एवं स्थायी नल-जल योजनाएं कहाँ-कहाँ प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं? इनके जल स्त्रोत की स्थिति क्या है? प्रेषित प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, तथा उनके प्रारंभ किये जाने हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? कार्य प्रारंभ है अथवा अप्रारंभ हैं? कार्य जहाँ प्रारंभ हैं, वहाँ की ग्राम पंचायत तथा स्थान का नाम बतावें? (ग) वर्तमान में अवर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन/प्रशासन द्वारा जिले में उत्पन्न पेयजल समस्या से निपटने की लिए शहर/ग्रामीण क्षेत्रस्तर पर क्या कार्ययोजना तैयार की गई हैं? यदि हाँ, तो बतलावें? (घ) प्रश्नांश (ख) में दर्शाये वर्षों के लिए नवीन नलकूप खनन हेतु जिले को कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है? लक्ष्य के अनुरूप कितने नवीन नलकूप खनन किये जा चुके हैं, कितने शेष हैं? पुराने बंद पड़े हुए नलकूपों की शीघ्र मरम्मत एवं राईजर पाईप आदि संसाधन जुटाने के लिए शासन से कितने बजट की मांग की थी, तथा उसके विरूद्ध कितना आवंटन प्राप्त हुआ है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 108 योजनाएं संचालित (चालू)। 12 योजनाएं असंचालित (बंद)। 6 योजनाएं स्रोत सूखने से, 3 योजनाएं डी.पी. खराब होने से, 01 योजना मोटर पंप खराब होने से, 01 योजना विद्युत तार टूटने से तथा 01 योजना मोटरपंप चोरी हो जाने के कारण बंद है। स्रोत से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा तथा अन्य कारणों से बंद योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चालू किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। (ख) एक समूह योजना का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इस योजना का जलस्रोत व्यारमा नदी है एवं योजना क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त जलराशि उपलब्ध है। योजना प्रारंभ करने हेतु रुपये 250.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। समूह योजना का कार्य प्रारंभ होकर योजनान्तर्गत ग्राम पटेरा ग्राम पंचायत

पटेरा में पाईप का प्रदाय किया गया है। (ग) वर्तमान में पेयजल संकट की स्थिति नहीं है। निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से आंशिकपूर्ण श्रेणी के संकटग्रस्त ग्रामों में प्राथमिकता से पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जावेंगे। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

लीज पर दी गई भूमि की शर्तें

7. (क्र. 2052) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रासयेन जिले के कस्बा उदयपुरा में एग्रो सर्विस सेंटर-कृषि सेवा केन्द्र के नाम से किस व्यक्ति को कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर कितने वर्ष के लिए लीज पर दी गई? (ख) उक्त भूमि की लीज जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु दी गई उस हेतु उसका उपयोग न करके अन्य प्रयोजन हेतु उसका उपयोग किया जा रहा है यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या उक्त लीज की भूमि पर बने भवन को परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय हेतु किराये पर देकर शासन से किराया भी वसूल किया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के लिए कौन-कौन दोषी है, तथा शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बन्द पेयजल योजनायें

8. (क्र. 2053) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी के किन-किन ग्रामों में नलजल योजनायें बन्द/खराब है, तथा क्यों योजनावार कारण बतायें? उक्त योजनायें प्रारंभ करवाने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास-कार्यवाही की? (ख) किन-किन ग्रामों में पेयजल योजनाओं का कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? योजनावार कारण, स्वीकृत राशि दिनाँक बतायें? उक्त योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) विगत 3 वर्षों में किस-किस योजना में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कराये तथा किस व्यक्ति-संस्था को कितनी राशि का भुगतान कब किया? (घ) विभाग द्वारा उक्त विकासखण्डों के किन-किन ग्रामों में कितने हैण्डपम्प स्थापित किये? उनमें से कितने हैण्डपम्प बन्द है, तथा क्यों, ग्रामवार कारण बतायें? उक्त हैण्डपंप कब तक सुधरवाये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'4' अनुसार**। असुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार संभव नहीं।

नि:शुल्क भू-अधिकार पुस्तिका का वितरण

9. (क्र. 2542) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग द्वारा कृषकों को नि:शुल्क भू-अधिकार पुस्तिका दिऐ जाने का कार्यक्रम बनाया गया है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस दिनाँक तक पूर्ण किया जाना तय किया गया है? (ख) प्रदेश में अभी तक कितने कृषकों को भू-अधिकार पुस्तिका वितरित कर दी गई है, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? क्या यह भी सच है कि शासन द्वारा निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत भी ऋण पुस्तिका वितरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख), यदि हाँ, तो यह कार्य

निर्धारित अवधि में पूर्ण क्यों नहीं किया गया, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं, तथा इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 1126/1962/07/सात/शा-8 दि. 31/12/2007 द्वारा नि:शुल्क भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका बांटे जाने का कार्य 26 जनवरी 2008 से प्रारंभ किया जाकर दो माह में पूर्ण किया जाना था। राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ 2-3/08/सात/शा.6 भोपाल दि. 24/07/2009 द्वारा पुन: नि:शुल्क वितरण 15 अगस्त 2009 से प्रारंभ किया गया। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। निर्धारित समयावधि में भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं का वितरण शतप्रतिशत खातेदारों को कर दिया गया है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "उन्नीस"</u>

अशोकनगर जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

10. (क्र. 2610) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 01. ग्राम मारूप में खाता क्रमांक 438 में 1.118-1.49 क्षेत्रफल का एक प्लाट। 02. ग्राम मारूप में खाता क्रमांक 444/3 में 0.226-1.79 क्षेत्रफल का एक प्लाट। 03. ग्राम मारूप में खाता क्रमांक 444/4 में 0.226 क्षेत्रफल का एक प्लाट। 04. ग्राम कस्वारेज में सर्वे नं. 24 रकवा 0.240 नोईवत-कास्ट कमिनल टाईव क्षेत्रफल का एक भवन। 05. ग्राम पिपरई में सर्वे नं 779/2/1 मि. रकवा 0.011 नोईवत-शासकीय कदीम। 06. ग्राम अथाई खेड़ा में सर्वे नं. 696/1 रकवा 1.000 नोईवत-शास. भूमि स्कूल अस्पताल पंचायत भवन आदि। 07. ग्राम कस्वारेज पट्टी में सर्वे नं. 50, 50/1084 रकवा 4.996, 20320 नोईवत-कास्ट कमिनल टाईव। 08. ग्राम समर खेड़ी (फजलपुर) में सर्वे नं. 59,62,73 मि. रकवा 4.431, 4.243, 25.252 नोईवत-अभ्यता अपराधी सेटलमेंट, आदिमजाति कल्याण विभाग। 09. ग्राम महुआखाड़ी में सर्वे नं. 135/2 रकवा 0397 में से 0.017 नोईवत-रतन सिंह, पुत्र इन्दर सिंह जाति सिख भूमि स्वामी। 10. जिला अशोकनगर में सर्वे नं. 555/5 रकवा 1.564 नोईवत-राजस्व निरीक्षण पटवारी आवास। 11. जिला अशोकनगर में सर्वे नं. 555/2 मि.1 रकवा 1.045 नोईवत-भालचंदराव वगैरह के नाम थी। ये सभी सर्वे नंबर की भूमियां वर्तमान में किसके नाम एवं किसके कब्जें में दर्ज हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण

11. (क्र. 2676) श्री दिव्यराज सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत-विकासखण्ड सिरमौर/ जवा/ गगेव में क्या सभी पंचायतों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पंचायतों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- उक्त विकासखण्डों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण न होने के कारण क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा समुचित रूप से

शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना संभव हो रहा है? यदि नहीं, तो आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतवार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से सम्बंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन नही है वे आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय स्कूल के अतिरिक्त कक्ष तथा अन्य शासकीय भवनों एवं किराये के भवन में सुव्यवस्थित संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नही है।

मुआवजा वितरण में देरी के संबंध में

12. (क्र. 2801) श्री कमलेश शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा वि.स.क्षेत्र में वर्ष 2014 में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की सूची देवें? (ख) इनमें से कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया? व कितने शेष हैं? पृथक-पृथक बतावें? (ग) शेष रहे किसानों को कब तक मुआवजा दिया जावेगा? बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नामांतरण/बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण

13. (क्र. 2890) श्री महेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील गुनौर, अमानगंज, देवेन्द्रनगर के तहत कितने पटवारी हल्का है? उनमें कितने पटवारी पदस्थ व प्रभार में हैं हल्कावार बतावें? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक पटवारी हल्का में कितने आवेदन नामांतरण/बंटवारा व सीमांकन के प्राप्त हुये? कितनों का निराकरण किया गया, हल्कावार बतायें? (ग) अभी तक कितने प्रकरण लंबित हैं उन्हें कब तक पूर्ण करने का प्रावधान रखा गया है? उक्त पटवारी हल्कों में कितनी शासयकी राजस्व भूमि है इसमें से कितनी भूमि में कब्जा है? (घ) कितने में कब्जा नहीं है यदि कब्जा है तो संबंधित विभाग को जानकारी दी गई व कब्जाधारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हल्कावार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंदौर संभाग के जिलों में गुम हुये बालक-बालिकाएं

14. (क्र. 3072) श्री राजेश सोनकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर संभाग के जिलों में केलेण्डर वर्ष 2012-2013 -2014 में कई बच्चे गुम हुवे या अपहरण हुवे? हाँ तो वर्षवार बालक-बालिकाओं के अलग-अलग जिलेवार ऑकड़े बतावें? (ख) 2012, 13, 14 में अपहरण से छुड़ाये अथवा मिले बच्चों की संख्या भी बतावें? (ग) क्या 31.1.15 की स्थिति में विगत वर्षों में अपहृत अथवा गुमे हुवे जो बच्चे नहीं मिल पाये वह संख्या भी जिलेवार बतावे कि इतने अभी भी शासकीय रेकार्ड में गुमशुदा है? लड़के-लड़की अलग-अलग बतावें? (घ) 2012, 13, 14 में जिलेवार कितने गुमशुदा के प्रकरण बंद कर दिये गये और ये अनुमानत: कितने वर्षों पुराने है जिन्हें खोजा नहीं जा सका?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (घ) जानकारी निरंक है। प्रकरण बंद नहीं किये गये, खोज जारी है।

परिशिष्ट – "बीस"

नल-जल योजनाओं की पूर्णता और ओव्हरहेड टैंकों निर्माण

15. (क्र. 3118) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के विकासखण्डों के किन जनसंख्या के ग्रामों हेतु किस प्रकार की नलजल योजनायें विगत 3 वर्षों में कब स्वीकृत हुई है और किनमें कितने मीटर पाईप लाईन बिछाई गयी है तथा कितने मीटर बिछाई जाना शेष है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की कितनी आवश्यकता पर कितने नलकूपों का खनन किये गये है और उनमें से कहाँ के असफल हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में से कौन से ग्राम नलजल योजना के पात्र हैं और उन्हें अभी तक भी लाभान्वित नहीं किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) के किन ग्रामों में किन्हीं अवधियों में ओव्हरहेड टैंकों का निर्माण हो चुका है और उनसे अभी जलप्रदाय प्रारंभ नहीं किया गया है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) की समस्याओं का निवारण कब तक कर दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट नुसार**। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) उत्तरांश "क" अनुसार 3 ग्रामों क्रमशः कछारी विकासखंड बड़वारा, बरोदा तथा गोपालपुर विकासखंड ढीमरखेड़ा में नलजल योजना कार्य प्रगति पर है योजना की पूर्णता उपरांत उपरोक्त ग्राम लाभाविन्त हो सकगें। (घ) ऐसा कोई ग्राम नहीं है। (ड.) निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

परिशिष्ट – "इक्कीस"

नियम विरूद्ध शासकीय हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण

16. (क्र. 3149) श्री तरूण भनोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड के हैण्ड पंप प्लेटफार्म निर्माण हेतु क्या ठेकेदारों को ठेका दिये जाने व निजी तौर पर उक्त कार्य कराने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति देवें? (ख) प्रश्नांक (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय स्तर पर कार्य ना कराते हुए प्राइवेट ठेकेदार/व्यक्तियों से कार्य वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कराए गये है? यदि हाँ, तो स्थानवार, कार्यवार एवं भुगतान की राशिवार पूर्ण विवरण देवें? (ग) प्रश्नांक (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या किसी व्यक्ति/ठेकेदार, अन्य के द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल परिक्षेत्र भोपाल, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर को कराये गये निर्माण कार्य का भुगतान ना मिलने अथवा प्राइवेट तौर पर नियम विरूद्ध तरीके से शासकीय हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण कराये जाने की शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो शिकायत व कार्यवाही वार विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रावधान है, किन्तु निजी तौर पर कार्य कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यपालन यंत्री, लोक

स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड जबलपुर को एक शिकायत दिनाँक 22.1.2015 को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता श्री मनोहर साहू द्वारा बताया गया कि श्री एम.एल.सोनी, उपयंत्री, कार्यालय सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखंड कटनी द्वारा उनसे हैंडपंप स्थापना तथा प्लेटफार्म निर्माण के कार्य वर्ष 2012-13 में कराये गये थे। उक्त शिकायत पर कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट – "बाईस"

तीन वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण

17. (क्र. 3239) श्री गोपाल परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने विभाग हैं इन विभागों में विभागवार कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? (ख) जो अधिकारी/कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है जिनको शासन द्वारा हटाने की योजना बनाई गई है तो कितने कर्मचारियों को हटा दिया गया है सूची देवें जिन कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है तो शासन कब तक हटाने की कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम रूरई में राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

18. (क्र. 3281) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील लहार जिला भिण्ड के मौजा रूरई में राजस्व विभाग म.प्र. शासन की कितनी-कितनी भूमि किस-किस प्रयोजन हेतु सुरक्षित है? सर्वे नं. एवं रकबा सहित सम्पूर्ण विवरण दें? (ख) उक्त शासकीय भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब से अतिक्रमण कर रखा है एवं अतिक्रमणकर्ता द्वारा उस भूमि का किस प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है? अतिक्रमणकर्ता का नाम, पता सहित विवरण दें? (ग) क्या अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ अतिक्रमण हटाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अतिक्रमण न हटाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा? समयावधि बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गुमशुदा बच्चों की संख्या

19. (क्र. 3371) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कितने बच्चें/व्यक्ति लापता या अपहरण हुए हैं? उनमें से कितनों का पता चल चुका है व कितने आज दिनाँक तक लापता हैं? क्या कारण है कि उनका आज दिनाँक तक पता नहीं चल पाया?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : विगत तीन वर्षो में कुल 38 बच्चे व 125 व्यक्ति लापता/अपहरण हुए हैं। 34 बच्चे व 89 व्यक्तियों का पता चल चुका है। 04 बच्चे व 36 व्यक्तियों का पता नहीं चला है। तलाश हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

योजनाओं का क्रियान्वयन

20. (क्र. 3381) डॉ. मोहन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं लागू हैं? (ख)

उज्जैन जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ कितने हितग्राहियों को दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से उज्जैन जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितना आवंटन किस-किस मद में प्राप्त हुआ एवं उक्त आवंटन को किस-किस मद में व्यय किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) * राज्य पोषित योजनाएं : 1. फलपौध रोपण अनुदान योजना 2. अंगूर की खेती 3. बाड़ी (किचन गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम 4. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना 5. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 6. प्रदर्शन एवं मिनिकिट की योजना 7. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम 8. प्रदर्शनी, मेला एवं प्रचार-प्रसार योजना 9. निजी रोपणियों के माध्यम से उद्यामिता विकास 10. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना 11. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना 12. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना 13. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार 14. कौशल विकास। * केन्द्र पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं 1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2. नेशनल मिशन फार सेस्टेनेबल एग्रीकल्चर (माइक्रो इरीगेशन योजना) 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 4. नेशनल वेजीटेबल इनीसिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर योजना 5. मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन 6. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 7. मौसम आधारित फसल बीमा। * विश्व बैंक द्वारा संचालित मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रचरिंग प्रोजेक्ट। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र'ब' अनुसार** है।

<u>राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनांतर्गत अनुदान</u>

21. (क्र. 3507) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनांतर्गत भिण्ड जिले में विगत पाँच वर्षों में मॉडल नर्सरी बड़ी और छोटी कहाँ-कहाँ पर स्थापित की गई? शासकीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कितना-कितना अनुदान दिया गया? (ख) भिण्ड जिले में विगत पाँच वर्ष में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम/बीज अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कौन सी इकाई स्वीकृत की गई और कितना अनुदान दिया गया? कितनी लागत आई? इकाईवार जानकारी दें? (ग) भिण्ड जिले के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में पुष्प विकास/मसाला विकास/पुराने बगीचों की जीर्णोद्धार कौन सी इकाई पर कार्य किया गया? कितनी जमीन पर कितना व्यय किया गया? कितना अनुदान दिया गया? जानकारी दें? (घ) भिण्ड जिले में मानव संसाधन विकास द्वारा कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण राज्य के भीतर एवं बाहर 1 जनवरी 2014 से प्रश्नांश दिनाँक तक किस-किस कृषक को कहाँ पर भेजा गया? इससे क्या लाभ हुआ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत भिंड जिला शामिल नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

<u>नेशनल मिशन ऑनलाइन माइक्रो इरीगेशन इकाई लागत का अनुदान</u>

22. (क्र. 3509) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों के अन्तर्गत नेशनल मिशन ऑनलाईन माइक्रो

इरीगेशन योजनान्तर्गत बड़े कृषक समस्त वर्ग/ अनुसूचित जाति लघु सीमांत, लघु सीमान्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत कितने कृषकों को कितना अनुदान दिया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत भिण्ड जिले के अन्तर्गत ड्रिप/स्प्रिकलंकर इरीगेशन सिस्टम अनुसार लाभ हुआ? (ग) भिण्ड जिले के अन्तर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना को भौतिक रूप से लागू नहीं किया गया है क्या कृषकों को इस योजना की जानकारी नहीं है यदि हाँ, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनानुसार भिण्ड जिले के किस-किस विकास खण्ड में कितने कृषकों के आवेदन विचाराधीन है भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में कितने कृषक लभान्वित हुए है? कितने कृषक के आवेदन पत्र विचारणीय है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 129 बड़े कृषक (समस्त वर्ग), 07 अनु. जाति लघु-सीमांत कृषक तथा 27 सामान्य लघु-सीमांत कृषकों को क्रमशः रूपये 35.19 लाख, रूपये 1.50 लाख तथा रूपये 11.68 लाख अनुदान दिया गया। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) भिंड विधानसभा क्षेत्र में 13 कृषक लाभान्वित हुये है। वर्ष 2014-15 के भिंड विधानसभा क्षेत्र (भिंड विकासखण्ड) के पाँच प्रकरण विचाराधीन है।

<u>शिवपुरी जिले में नवीन बाल संप्रेक्षण गृह की स्थापना</u>

23. (क्र. 3560) श्री प्रहलाद भारती : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शिवपुरी जिलें के लिये नवीन बाल संप्रेक्षण गृह स्वीकृत हुआ था यदि हाँ, तो कब और वर्तमान में उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? यदि नहीं तो नवीन बाल संप्रेक्षण गृह बनाये जाने हेतु शासन की कोई योजना है, यदि हाँ, तो विवरण दें? (ख) बाल संप्रेक्षण गृह शिवपुरी के नवीन भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा जिला स्तर पर कोई राशि प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें? क्या विगत वर्षों में इसके निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने कोई टेंडर किये थे, यदि हाँ, तो विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शिवपुरी जिलें में बाल संप्रेक्षण गृह का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जावेगा? जिससे जिलें के अपचारी बालाकों को गुना न भेजना पड़ें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) - प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के गुम होने के संबंध में</u>

24. (क्र. 3583) कुँवर विक्रम सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिलान्तर्गत बगौता ग्राम के आवेदक ने दिनाँक 28/10/2008 को थाना कोतवाली दमोह को अपने पिता श्री राजेन्द्र सिंह (दैनिक वेतन भोगी) के गुम की सूचना दी गई? (ख) यदि हाँ, तो अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की? आवेदक द्वारा अब तक कितनी बार विभाग को आवेदन दिये गये? (ग) शासन ने कोई आर्थिक मदद की घोषणा दुखी परिवार को की गई यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। (ख) गुमशुदा की पतारसी के हर संभव विधिक एवं आवश्यक प्रयास किये गये है। आवेदक द्वारा कुल 3 आवेदन पत्र दिये गये है। (ग) जी नहीं। गुमशुदगी के फलस्वरूप राहत राशि भुगतान का प्रावधान नहीं है।

औषाधालयों का उन्नयन तथा हितग्राहियों को लाभ

25. (क्र. 3584) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नवीन पशु औषधालय की स्थापना तथा पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन हेतु छतरपुर जिले में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक कितना व्यय हुआ? (ख) ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना के तहत जिले छतरपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? वर्ष 10-11 से वर्ष 14 तक की संख्या बतायें विधानसभा क्षेत्रवार बतायें? (ग) गौशालाओं को जारी की गई राशि के संबंध में उप संचालक द्वारा गौशालाओं के कितनी निरीक्षण किये गये?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक नवीन पशु औषधालय की स्थापना नहीं हुई है तथा पशु औषधालय से पशु चिकित्सालय में उन्नयन हेतु कुल रू.153.5; लाख व्यय हुआ है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तेईस"

मुख्यमंत्री पेयजल एवं अधोसंरचना के कार्य

26. (क्र. 3603) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर, नीमच जिले में 1 जनवरी 2011 के पश्चात् मुख्यमंत्री पेयजल योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ पर, किस-किस ठेकेदार द्वारा किए जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत कार्य के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो कौन से कार्य ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में तथा कौन से समय-सीमा में नहीं हुए? कार्यवार, जनपदवार जानकारी ठेकेदार के नाम सहित देवें? क्या समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार से पेनाल्टी व वसूली की गई? यदि हाँ, तो कितनी राशि की? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भित कार्यों को लेकर कब-कब, किस-किस व्यक्ति द्वारा ठेकेदार की अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई? जाँच अधिकारी का नाम, जाँच की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ख) से संदर्भित समय-सीमा में कार्य न करने वाले ठेकेदारों से उक्त कार्य कब तक करा लिया जाएगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अन्तर्गत कार्य नहीं करवाये गये है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) कोई शिकायत दर्ज नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

गांधी मेडिकल कॉलेज के फर्जी छात्रों की जाँच

27. (क्र. 3651) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा वर्ष 2009 तथा 2010 में P.M.T. परीक्षा से चयनित फर्जी विद्यार्थीयों के संदर्भ में मई-जून 2011 को थाना कोहेफिजा भोपाल को लिखे गये पत्र में उल्लेखित विद्यार्थीयों की सूची प्रस्तुत करें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यार्थीयों में से किस-किस विद्यार्थी द्वारा कौन-कौन से दस्तावेज थाने में जमा कराये गये तथा किस दिनाँक को जमा कराये

गये? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस विद्‍यार्थी पर किस धारा में किस दिनाँक को प्रकरण दर्ज किया गया प्रकरण क्रमांक तथा चालान प्रस्तुत करने की दिनाँक सहित जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रकरणों की अद्‍यतन स्थिति से अवगत करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

28. (क्र. 3665) श्री अशोक रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले में परियोजनावार कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं इन केन्द्रों को किन-किन संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई/कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है? बतलावें वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की जनपद पंचायतवार जानकारी दें? (ख) जनपद पंचायत जबलपुर के तहत संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में किन-किन योजनान्तर्गत कितने बच्चों/बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं को लाभांवित किया गया है एवं आयोजित किन-किन कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) में किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रो को मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्री कब-कब प्रदाय की गई? इसकी जाँच कब-कब किसने की है? (घ) प्रश्नांश (ख) में किन-किन स्व सहायता समूहों से कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा पोषण आहार किस दर पर कितनी-कितनी राशि का क्रय किया गया? किन-किन स्व-सहायता समूहों को ग्रेडिग के अनुसार कार्य दिया गया और इनके खाते में कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जबलपुर जिले मे कुल 2101 आंगनवाड़ी केन्द्र 280 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इन आंगनवाड़ी केन्द्र में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई से संबंधित वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार** है। (ख) जनपद पंचायत जबलपुर के तहत संचालित आंगनबाडी केन्द्रों में 305 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 38 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''घ'' अनुसार** है।

ऊन उत्पादन एवं भेड़ पालकों को सहायता

29. (क्र. 3739) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में ऊन देने लायक कुल कितनी भेड़ हैं और मध्यप्रदेश में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कुल कितना ऊन उत्पादन हुआ? (ख) मध्यप्रदेश में ऊन उत्पादन बढ़ाने और भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये राज्य सरकार ने कौन से कार्यक्रम लागू किये है, तथा उनके क्या नतीजे प्राप्त हुये है? (ग) भारत सरकार द्‍वारा ऊन उत्पादन बढ़ाने तथा भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल की भेड़े उपलब्ध कराने के लिये जो विशेष सहायता कार्यक्रम बनाये गये हैं, उनको मध्यप्रदेश राज्य में किस प्रकार लागू किया गया है? (घ) भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के

अंतर्गत राज्य के भेड़ पालकों को वर्ष 2013-14 में कुल कितनी आर्थिक सहायता, अनुदान राशि का भुगतान किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मध्यप्रदेश में ऊन देने लायक कुल 3,08,953 भेड है और मध्यप्रदेश में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में क्रमश: 442 हजार किग्रा. और 466 हजार किग्रा. ऊन उत्पादन हुआ है। (ख) मध्यप्रदेश में ऊन उत्पादन बढाने एवं भेड पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु जिला टीकमगढ, मन्दसौर एवं शिवपुरी में स्थापित भेड प्रजनन प्रक्षेत्र से स्थानीय पशुपालकों को उन्नत नस्ल के नर भेड, नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध कराए जाते है जिससे उन्नत संकर भेड की संतति उत्पादित होकर भेड के ऊन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार आता है। (ग) भारत सरकार द्वारा ऊन उत्पादन बढाने एवं भेड पालकों को उन्नत नस्ल की भेड़ें उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रदेश में कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। (घ) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य भेड पालकों को कोई भी आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मानव तस्करी रोकने के उपाय

30. (क्र. 3740) श्री मुकेश नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में फरवरी 2012 से जनवरी 2014 तक मानव तस्करी, महिलाओं और बालिकाओं के गायब होने, अपहरण होने के कुल कितने मामले पुलिस थानों में दर्ज किये गये और इनमें से कितने मामलों में गुमशुदा/गायब महिलाओं और बालिकाओं को पता लगाने में सफलता मिली? (ख) क्या पुलिस को सूचना है कि राज्य के गरीब और आदिवासी इलाकों में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को शहरों में अच्छा रोजगार दिलाने, विवाह कराने का लालच देकर उनकी मानव तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय है? यदि हाँ, तो मानव तस्करी रोकने के लिये शासन ने क्या उपाय किये है? (ग) सस्ते श्रम के लिये बालिकाओं और बालकों को अवैध रूप से बंधुआ मजदूर के रूप भी मानव तस्करी के जरिये राज्य के बाहर ले जाने वाले कितने मामले पुलिस की जानकारी में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुनर्वास क्षेत्र चोपना के कर्मचारियों का संविलियन

31. (क्र. 3765) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुनर्वास क्षेत्र चोपना जिला बैतूल का सामान्यीकरण कब हुआ? (ख) पुनर्वास चोपना क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों का किस विभाग में संविलियन किया गया है? तत्कालीन शिक्षकों की श्रेणीवार जानकारी देवें? (ग) क्या शिक्षकों को पदस्थापना में वरीयता दी गई है? (घ) क्या स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है? (1) यदि हाँ, तो संख्या देवें? (2) यदि नहीं, तो कोई प्रकरण लंबित है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

32. (क्र. 3766) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र (बैतूल) में कितनी परियोजनाएं संचालित हैं? क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं? (ख) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता/सहायिका है एवं आंगनवाड़ी केंद्र में आहार हेतु कितने स्वसहायता समूह गठित है? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का मानदेय वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव है? (घ) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र (जिला बैतूल) में कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है? कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण अधूरे हैं, जिनकी राशि आहरित की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बैतूल जिले की विधानसभा क्षेत्र घोड़डोंगरी के अंतर्गत 04 (चार) एकीकृत बाल विकास परियोजनाए-घोड़ाडोगंरी, शाहपूर, चिचोली एवं बैतूल ग्रामीण संचालित है, जिनमे विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 663 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 20 मिनी आंनवाडी केन्द्र स्वीकृत है। (ख) विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी मे कुल 658 कार्यकर्ता, 659 सहायिका एवं 18 मिनी कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी मे आहार देने हेतु 454 स्व सहायता समूह गठित है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका मानदेय वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव नहीं हैं। (घ) विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी में 188 आंगनवाड़ी केन्द्रो के स्वयं के भवन नही हैं (भवन विहीन) तथा 40 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण अधूरे हैं बैतूल जिले में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं यह निर्माण कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बीआरजीएफ योजना एवं परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की आदिवासी उपयोजना से किया जाता हैं। विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण

33. (क्र. 3797) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना-अशोकनगर जिले के राजस्व न्यायालयों एवं जिलों के सिविल एवं क्रिमनल जिला अदालतों में गत तीन वर्षों में न्यायिक निर्णयों में जिरह के बाद भी आदेश पारित नहीं हुये? यदि हाँ, तो कब तक होगें? (ख) क्या गुना-अशोकनगर जिलों में नवीन न्यायालय (कोर्ट) खोलने की कोई योजना है? क्या अशोकनगर की जिला न्यायालय का भवन पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो उसमें कब से अदालतें शिफ्ट होगी कारण सहित विवरण दें? (ग) क्या गुना जिले की बमोरी में एवं अशोकनगर के ईसागढ़ में सिविल न्यायालय एवं क्रिमनल न्यायालय के गठन का प्रस्ताव है? यदि नहीं तो क्या खोले जाने की कोई कार्य योजना है? यह भी बतायें कि नवीन न्यायालय के गठन का क्या प्रावधान और नियम है? (घ) क्या गुना-अशोकनगर के समस्त न्यायालयों में वर्षों से पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो जो प्रकरण राजस्व एवं जिला न्यायालयों में पेंडिंग है जिनमें न्यायिक अधिकारियों की रूचि कम है, तो क्या विभाग कोई समय-सीमा निर्धारित करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषकों के राजस्व खसरों में बिना आदेश के विक्रय वर्जित दर्ज करने बावत्

34. (क्र. 3798) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले की समस्त तहसीलों के भू-स्वामी कृषकों के कृषि खातों खसरों में वर्ष 1997 से 2003 तक या प्रश्न दिनाँक तक किसी सक्षम अधिकारी के आदेश, बिना पटवारियों एवं कम्प्यूटर

ऑपरेटरों द्वारा विक्रय वर्जित दर्ज कर दिया? (ख) प्रश्नांक (क) में ऐसे कितने भू-स्वामी कृषक है जिनके खसरों में विक्रय वर्जित लिखा है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ग) यदि बिना सक्षम अधिकारी के पटवारियों या कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा विक्रय निषेध खसरों के कॉलम नं. 12 में दर्ज किया है, तो उनको कैसे हटायेंगे? (घ) क्या गुना-बमोरी तहसील में ऐसे भूस्वामी कृषकों के खाते हैं जिनके पटवारी खसरों में विक्रय वर्जित नहीं लिखा है इसके लिए कौन दोषी है? कैसे सुधारेगें? पटवारी हल्कावार जाँच कर कारणों सहित विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गाडरवारा क्षेत्र में संचालित गौशालाएँ</u>

35. (क्र. 3923) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा क्षेत्र में कितनी गौशाला संचालित हैं जो पंजीबद्ध है? नाम सहित जानकारी दें। (ख) गाय संवर्धन हेतु शासन की क्या योजना है? गौ शालाओं को विभाग की तरफ से क्या अनुदान (राशि) प्रदान की जाती है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) गाडरवाड़ा क्षेत्र में 3 क्रियाशील पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं :- 1. दयोदय गौसेवा समिति, गौशाला, गाडरवाड़ा। 2. पंचवटी गौशाला, गोटी टोरिया। 3. मां नर्मदा गौशाला, सांईखेड़ा। (ख) गौवंश के संवर्धन हेतु म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं की समितियों के सदस्यों को कार्यशालाओं के माध्यम से गौवंश के संवर्धन हेतु गौ मूत्र औषधि, जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य गतिविधियाँ संचालित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। गौशालाओं को म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से गौवंश संख्या के आधार पर गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

गाडरवारा में उप जेल खोलने

36. (क्र. 3925) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गाडरवारा में ए.डी.जे. कोर्ट एवं विभिन्न न्यायालय संचालित है? तहसील मुख्यालय में उप जेल न होने के कारण मुल्जिमों को नरसिंहपुर ले जाना पड़ता है? (ख) क्या विभाग गाडरवारा मुख्यालय में उप जेल खोलने पर विचार करेगा यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ, तहसील मुख्यालय गाडरवारा में उप जेल न होने के कारण मुल्जिमों को केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में रखा जाता है। (ख) भारत शासन की जेल प्रशासन की आधुनिकीकरण की योजना पर्सपेक्टिव प्लान के द्वितीय चरण में गाडरवारा में जेल के निर्माण का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। भारत शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

गाडरवारा क्षेत्र में उद्यानिकी की योजनाएं

37. (क्र. 3926) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी के क्षेत्र में विभाग की क्या योजनाएं है? (ख) क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की जो यूनिटें डाली गई है वह ठीक तरह से कार्य कर रही है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग की योजनाए विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होती है। जिले में निम्न योजना लागू है :-

* फलपौध रोपण योजना।
* सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना।
* मसाला क्षेत्र विस्तार योजना।
* उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा दने की योजना।
* प्रदर्शन एवं मिनिकिट योजना।
* व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना।
* बाड़ी (किचन गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम।
* प्रदर्शनी, मेला एवं प्रचार-प्रसार योजना।
* कृषक भ्रमण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम।
* नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अन्तर्गत ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट (माइक्रो इरीगेशन योजना)। (ख) विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की कोई यूनिट नहीं डाली गई है। दाल मीलिंग की एक यूनिट पूर्व से स्थापित होकर चालू है।

फोर लेन सड़क के प्रभावित लोगों को मुआवजा

38. (क्र. 4038) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सेलार नदी से हनुमना पहुँच मार्ग तक कितने ऐसे हितग्राही हैं जिनके मकान बने हुये हैं परन्तु जमीन के उस रकवे का पट्टा नहीं है? उनका विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में फोर लेन सड़क निर्माण के दौरान ऐसे कितने लोगों

को मुआवजा प्रदाय किया जा चुका है? सूची देवें एवं ऐसे कितने लोगों का शेष है? सूची देवें? तथा इन पर क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुलिस थानों में जब्त वाहनों की नीलामी

39. (क्र. 4083) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के समस्त पुलिस थानों में जब्त वाहन कितने है? वर्ष 2012 से 2014 तक जानकारी देवें? (ख) जब्त वाहनों के निराकरण की प्रक्रिया क्या है? यदि नीलामी की प्रक्रिया है तो क्या नीलामी वर्ष 2012 से 2014 के बीच की गई है? यदि की गई है तो गृह विभाग को कितनी आय हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वाहनों के निराकरण की क्या समयावधि तय की जावेगी? की जावेगी तो कब तक? (घ) क्या भविष्य में जब्त वाहनों को कंडम होने से पूर्व ही निश्चित समयावधि की नीति बनाकर नीलाम किये जावेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जप्त वाहनों का निराकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस अधिनियम 1861 में निहित प्रावधानो के तहत सम्बंधित न्यायालय के आदेशानुसार किया जाता है। जिला शाजापुर में वर्ष 2012 से 2014 तक की नीलामी संबंधी जानकारी निरंक है। (ग) न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) नीलामी की प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित है अतः नयी नीति की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट – "चौबीस"

श्योपुर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

40. (क्र. 4147) श्री दुर्गालाल विजय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में से किन-किन केन्द्रों में 01 दिसम्बर 2014 से वर्तमान तक किन-किन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षणवार जानकारी देवें? (ख) उक्त निरीक्षण के दौरान उक्त केन्द्रों में क्या-क्या अनियमिततायें मिली? इसके लिये दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? निरीक्षणवार बतावें? यदि नहीं तो क्यों? इन अनियमितताओं को रोकने के लिये विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ग) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक कहाँ-कहाँ व कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन वर्षवार किस-किस योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं? इनमें से वर्तमान तक कितने पूर्ण/अपूर्ण व अप्रारंभ पड़े है व क्यों? कारण बतावें? इन्हें कब तक पूर्ण/प्रारंभ करवाया जावेगा? (घ) उक्त क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कौन-कौन से केन्द्र ऐसे हैं जो खुले में अथवा किराये के भवन में अथवा किसी अन्य शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं? इन केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं? कब तक स्वीकृत किये जावेगें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) श्योपुर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का 01 दिसम्बर 2014 से वतर्मान तक विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। (ग) श्योपुर विधान क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों के सम्बंध में विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय**

में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। इन अपूर्ण एवं अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों को शीघ्र पूर्ण कराया जावेगा। समय सीमा दिया जाना संभव नही है। (घ) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी आंगनवाड़ी केन्द्र खुले में संचालित नही हो रहा है। कुल 372 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 83 किराये के भवनों में एवं 148 अन्य शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय सीमा दिया जाना संभव नही है।

पाली क्लीनिक का निर्माण एवं चिकित्सालय का संचालन

41. (क्र. 4178) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल जिला मुख्यालय में स्वीकृत पाली क्लीनिक भवन का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ तथा निर्माण एजेन्सी द्वारा भवन को कब सौंपा गया? (ख) क्या प्रश्नाधीन भवन का अधिपत्य ग्रहण किया गया? यदि हाँ, तो अधिपत्य कब ग्रहण किया गया और यदि नहीं तो भवन का अधिपत्य ग्रहण क्यों नहीं किया गया? तथा इस सर्व सुविधायुक्त भवन में पशु चिकित्सालय संचालित नहीं करने का कारण पूर्ण औचित्य के साथ बतायें। (ग) जिला अनूपपुर में पोली क्लीनिक एवं पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला खोलने का लक्ष्य किस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में सम्मिलित किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) पॉलीक्लीनिक भवन का निर्माण कार्य माह दिसम्बर 2013 में पूर्ण हुआ है और निर्माण एजेंसी संभागीय पिरयोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. क्र. 09 शहडोल द्वारा उक्त भवन का हस्तांतरण पृक दिनाँक 30.12.2013 को सौंपा गया। (ख) जी हाँ। सिविल सर्जन पशु चिकित्सा सेवाएं शहडोल के नेतृत्व में पॉलीक्लीनिक के विशेषज्ञों के साथ दिनाँक 17.1.2014 को पॉलीक्लीनिक भवन का निरीक्षण कर भवन में पाई गई खामियों के संबंध में पत्र क्रमांक 1921 दिनाँक 20.1.2014 द्वारा जिला परियोजना अभियंता, लोक निर्माण विभाग, परियोजना इकाई क्रमांक 9 शहडोल को सुधार हेतु अवगत कराया गया था। दिसम्बर 2014 में भवन पूर्ण होना पाया गया। (ग) जिला अनूपपुर में पोली क्लीनिक एवं पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की स्थापना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में आर.के.व्ही.वाय. योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड के पदाधिकारी का मनोनयन

42. (क्र. 4181) श्री रामलाल रौतेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) किशोर न्याय बोर्ड के पदाधिकारी तथा सदस्यों के मनोनयन हेतु क्या प्रक्रिया है? तथा किन लोगों को नामांकित किया जा सकता है? नियम की जानकारी प्रदान करें? (ख) अनूपपुर जिले में गठित समिति में कोई पदाधिकारी किसी राजनैतिक दल का भी पदाधिकारी है? यदि हाँ, तो किस दल का? (ग) क्या किसी पार्टी के पदाधिकारी को उक्त समिति में रखा जा सकता है? यदि नहीं तो क्या पद से पृथक किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) किशोर न्याय बोर्ड के पदाधिकारी तथा सदस्यों के मनोनयन हेतु प्रक्रिया :- नियम 4 (1) के अंतर्गत बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :- (अ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ब) जिला कलेक्टर, (स) पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक (2) समिति द्वारा चयनित जिले के इच्छुक तथा सक्षम व्यक्तियों में से अभिज्ञापित 5 नाम से अनधिक नाम की एक

पैनल होगी। (3) सरकार, चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से ही बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को नियुक्त करेगी। कोई भी व्यक्ति नियुक्त किये जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि चयन समिति द्वारा उसकी सिफ़ारिश नहीं की जाती। नियम (5) सामाजिक कार्यकर्ता की अर्हताएं- (1) बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा व्यक्ति होगा, जो- (अ) बाल अधिकारों संबंधी विषयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या अन्य कल्याणकारी कार्यकलापों की योजना, क्रियान्वयन तथा प्रशासन में कम से कम पाँच वर्षों से सक्रिय रूप से लगा हो. (ब) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो. (स) कोई शिक्षक, कोई चिकित्सक, सेवा निवृत्त लोक सेवक या कोई व्यवसायी, जो किशोर से संबंधित कार्य में लगा हुआ हो. या (द) कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से सलग्न हो। उक्त तथ्य मध्य प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2003 के नियम 4 और 5 में वर्णित है (ख) समिति के गठन के पश्चात प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। (ग) समिति में किसी सदस्य का किसी पार्टी का पदाधिकारी होना न होना म.प्र. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2003 की धारा 14 अनुसार चयन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उत्तर के सन्दर्भ में शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।

<u>अनूपपुर ब्लॉक मुख्यालय को बदरा स्थानांतरित किया जाना</u>

43. (क्र. 4230) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर विकासखण्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? विकासखण्ड के गठन का विषय केन्द्र, राज्य या समवर्ती सूची में से किस सूची के अंतर्गत आता है? यदि उक्त विषय केन्द्रीय सूची या समवर्ती सूची में आता है तो म.प्र. शासन द्वारा अनूपपुर विकासखण्ड मुख्यालय के परिवर्तन की अनुमति/अनुमोदन केन्द्र सरकार से लिया गया? यदि हाँ, तो विवरण दें? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जिला योजना समिति अनूपपुर की बैठक दिनाँक 24.06.2014 के तहत अनूपपुर मुख्यालय को बदरा स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था, जबकि बदरा से कोतमा ब्लॉक मुख्यालय की दूरी मात्र 7 कि.मी. है? (ग) क्या जिला पंचायत के उक्त प्रस्ताव पर अनूपपुर से ब्लॉक मुख्यालय बदरा स्थानांतरित किए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा दावे आपत्ति बुलाई जाकर एवं दावे आपत्ति का निराकरण कर ब्लॉक मुख्यालय परिवर्तन के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो दावे-आपत्ति का पूर्ण विवरण दें? (घ) क्या अनूपपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पूर्व में जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी व पुष्पराजगढ़ विकासखण्डों के पुनसीमांकन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) यदि केन्द्र सरकार से अनुमति/अनुमोदन नहीं लिया गया तो फिर जिला योजना समिति द्वारा अनूपपुर ब्लॉक मुख्यालय को बदरा स्थानांतरित करने के आदेश निरस्त यथावत ब्लॉक मुख्यालय अनूपपुर रखा जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तों क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजपुर वि.स. क्षेत्र में लंबित प्रकरणों का निराकरण</u>

44. (क्र. 4283) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र की राजपुर एवं ठीकरी तहसीलों में नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारे, किसानों की ऋण पुस्तिका बनाने के कितने प्रकरण दि. 10.02.15 तक लंबित है? पटवारी हल्कावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रकरण किस कारण से लंबित है एवं कब से लंबित हैं प्रत्येक प्रकरण के विषय में पटवारी हल्कावार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>दखल रहित जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित करना</u>

45. (क्र. 4291) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कितनी-कितनी दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन, खंड नारंगी वनखंड मानकर वर्तमान वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है, यह जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों में दर्ज जमीन है? (ख) राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में भी दर्ज दखल रहित जमीनों व वर्किंग प्लान, पी.एरिया रजिस्टर, वनकक्ष, इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में सम्मिलित कराने का अधिकार या अनुमति म.प्र. शासन राजस्व विभाग ने किस दिनाँक को दी है, कलेक्टर बैतूल ने किस दिनाँक को दी है? (ग) वन विभाग के द्वारा वर्किंग प्लान में संरक्षित वन एवं नारंगी वनखंड बताकर सम्मिलित कर ली गई भूमियों को वर्तमान राजस्व अभिलेख, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दखल रहित भूमि दर्शाये जाने का क्या कारण है? इन जमीनों को संरक्षित वन या नारंगी वन न दर्शायें जाने का क्या कारण हैं? (घ) राजस्व विभाग या कलेक्टर की अनुमति के बिना दखल रहित निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित किए जाने पर राजस्व विभाग ने कब और क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं की गई तो कारण बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीन</u>

46. (क्र. 4292) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा 14.05.1996 को जारी आदेशानुसार बैतूल जिले के कितने राजस्व ग्रामों में से कितनी जमीनों की सूची राजस्व विभाग ने नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किए जाने हेतु वन विभाग को सौंपी, कितने ग्रामों के कौन-कौन से अभिलेख की प्रति वन विभाग को दी गई? (ख) वन विभाग को सौंपी गई सूची में बताई गई भूमि या वन विभाग को सौंपे गए राजस्व अभिलेखों की प्रतियों में भूमियों को किन-किन मदों एवं किन-किन प्रयोजनों की दर्ज होना बताया गया है? (ग) बैतूल जिले के कितने राजस्व ग्रामों की कितनी जमीनों को वन विभाग ने किस अवधि में नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया, इनसे कितनी जमीनों के कितने वनखंड बना दिए, उनमें से कितने वनखंडो को वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया? (घ) राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि सर्वे में शामिल करने, वनखंड बनाने तथा वर्किंग प्लान में सम्मिलित करने की कार्यवाही भू राजस्व संहिता 1950 भा. वन अधि. 1927, वन संरक्षण कानून 1980 के किन प्रावधानों के तहत की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निस्तार पत्रक में गौण खनिज के लिये प्रावधान

47. (क्र. 4295) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गौण खनिज के संबंध में म.प्र. राजस्व संहिता 1959 की धारा 284 के तहत बनाये जाने वाले निस्तार पत्रक में किस-किस गौण खनिज के लिए क्या-क्या प्रावधान है? (ख) ग्रामीण कारीगरों, गरीबों एवं श्रमिकों को म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 एवं म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 में किस-किस गौण खनिज के संबंध में क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं व क्या-क्या छूट दी गई है? (ग) बैतूल जिले की बैतूल तहसील के कितने राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में गौण खनिज की कितनी एवं कौन-कौन सी खदानों के ब्यौरे वर्तमान में दर्ज हैं? क्या निस्तार पत्रक में किसी दूसरे ग्राम के संसाधनों पर अधिकार के संबंध में प्रावधान हैं, यदि हाँ, तो क्या है? (घ) क्या निस्तार पत्रक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गौण खनिज खदानों के विवरण निस्तार पत्रक में दर्ज किए जाने के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है?यदि हाँ, तो कब तक खदानों के विवरण निस्तार पत्रक में दर्ज कर दिए जावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शमशान व स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण

48. (क्र. 4312) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिलान्तर्गत, तहसील बेगमगंज के, ग्राम करहौला में शमशान घाट, शा.माध्यमिक शाला के समीप खेल मैदान हेतु कहाँ-कहाँ, कितनी भूमि निश्चित/चिन्हित है? शासकीय स्कूल के समीप कितनी शासकीय भूमि है? शमशान घाट व स्कूल के समीप की शासकीय भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग है? (ख) क्या शमशान घाट हेतु आरक्षित भूमि पर गांव के ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? साथ ही स्कूल व खेल मैदान के समीप की शासकीय भूमि पर किन्हीं अतिक्रामकों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है? किन-किन के द्वारा बतावें? यह तथ्य कब-कब तहसीलदार बेगमगंज के संज्ञान में लाये गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये? कब तक उक्त भूमि को अतिक्रामकों से मुक्त कराया जाकर स्कूली छात्रों की समस्या का निराकरण व दाह संस्कार हेतु भूमि सुरक्षित की जावेगी? स्पष्ट समय-सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भोपाल की प्रेरणा झा की हत्या के संबंध में

49. (क्र. 4313) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिले के मिसरोद थानांतर्गत दिनाँक 01/02/2015 की प्रेरणा झा पुत्री अवधेश झा की गुमशुदगी की सूचना दर्ज की गई थी? उक्त प्रकरण में प्रश्न दिनाँक तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी? क्या भोपाल पुलिस द्वारा समय पर समुचित कार्यवाही की गई? नहीं तो, क्यों? इस हेतु कौन-कौन उत्तरदायी है? (ग) अपराध क्रमांक 24/15, धारा 302, 201 थाना रेहटी जि. सीहोर में सीहोर पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न दिनाँक तक की है? क्या समुचित कार्यवाही समय से की गई? नहीं, तो क्यों? कौन-कौन

उत्तरदायी है? (घ) प्रेरणा झा के हत्या के प्रकरण में भोपाल व सीहोर पुलिस द्वारा उदासीनता व लापरवाही किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए कार्यवाही में विलम्ब करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। दिनाँक 01.02.2015 को गुम इंसान क्र0 4/15 एवं अप.क्र. 35/15 धारा 363 भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विधि अनुरूप विवेचना करते हुए परिजनों द्वारा बताये गये संदेहियों तथा साक्षियों से पूछताछ की गई। दिनाँक 10.02.2015 को थाना रेहटी से प्राप्त सूचना के आधार पर परिजनों द्वारा अपहृर्ता प्रेरणा झा के शव की पहचान की गई। अपहृर्ता प्रेरणा झा की मृत्यु के संबंध में थाना रेहटी जिला सीहोर में अप.क्र. 24/15 धारा 302, 201, भा.द.वि. एवं धारा 376, 120बी, 34 भा.द.वि. तथा 4/6 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचनाधीन होने से अपहरण संबंधी थाना मिसरोद के अप.क्र. 35/15 धारा 363 भा.द.वि. की केस डायरी आगामी वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना रेहटी जिला सीहोर के अप.क्र. 24/15 में सम्मिलित की गई है। प्रकरण में विवेचना के दौरान घटना में शामिल सभी 03 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। (ख) नियमानुसार समुचित व वैधानिक कार्यवाही समय से की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अप.क्र. 24/15 धारा 302, 201 भादवि में थाना रेहटी जिला सीहोर की विवेचना में विवेचक द्वारा अज्ञात मृतिका के शव की शिनाख्त कराई जाकर प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा साक्ष्य के आधार पर धारा 376, 120बी, 34 भा.द.वि. एवं 4/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर प्रकरण में विधि अनुरूप समुचित कार्यवाही उचित समय संपन्न की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रेरणा झा अपहरण से संबंधित प्रकरण में शिकायत के आधार पर निरीक्षक अनिल कुमार शुक्ला, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना मिसरोद व सउनि दलवीर सिंह जादौन एवं सउनि सत्येन्द्र सिंह परमार थाना मिसरोद को तत्काल प्रभाव से रक्षित केन्द्र भोपाल में संबद्ध किया गया है, इस संबंध में जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भोपाल के द्वारा की जा रही है।

शासकीय आवास पर अनाधिकृत कब्जा

50. (क्र. 4316) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के शिवाजी नगर शासकीय आवास क्रमांक H- 114/25 किस कर्मचारी के नाम आवंटित है? किस विभाग में उक्त कर्मचारी पदस्थ है? (ख) उक्त आवास क्रमांक H- 114/25 पर वर्तमान में कितना किराया बकाया है? (ग) क्या उक्त आवास पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है अथवा आवंटन अवधि में विस्तार किया गया है? (घ) उक्त आवास को कब तक रिक्त कराया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) श्री दिनेश शर्मा, वाहन चालक, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल के नाम आवंटित है। (ख) आवंटिती की मृत्यु उपरांत बकाया लायसेंस शुल्क के निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) एवं (घ) उक्त आवास की परिवार द्वारा आवास धारण अनुमति नहीं लिये जाने के फलस्वरूप अनाधिकृत आधिपत्य के लिये म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मन्दसौर जिले में घरेलू हिंसा के प्रकरण

51. (क्र. 4355) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले के विभिन्न थानों में यौन एवं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के कितने प्रकरण किस-किस थानों में दर्ज हैं? उनकी अद्यतन स्थिति क्या हैं, अवगत करावें? (ख) क्या भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में निर्भया केन्द्र प्रारंभ किया जाना हैं? क्या मन्दसौर जिले का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है? (ग) मन्दसौर जिले में निर्भया केन्द्र कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? मंदसौर जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मबल एवं महिला संरक्षण कानून के लिये कब-कब कहाँ-कहाँ शिविर लगाकर जानकारी दी गई? (घ) क्या गृह मंत्रालय ने जिला स्तर पर महिला संरक्षण एवं जागरूकता हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किया है? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2012 के पश्चात् दिये गये पत्रों का विवरण उपलब्ध कराये?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मत्स्य बीजों में अनियमितता</u>

52. (क्र. 4356) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर, नीमच जिले में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? मछुआ बस्ती निर्माण में विगत् दो वर्ष में कितने-कितने कार्य किस-किस दिनाँक को किस-किस आदेश के तहत स्वीकृत हुए कितने कार्य पूर्ण हुए कितने शेष हैं? (ख) 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन एजेन्सियों से किन-किन योजनाओं के तहत कितना-कितना मत्स्य बीज क्रय कर गांधी सागर या उक्त जिलों के अन्य जलाशय में संचय किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत मत्स्य बीज संचय करने में 1 जनवरी 2010 के पश्चात् अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा किस-किस अधिकारी के खिलाफ की गई? उस पर क्या-क्या कार्यवाही किस-किस दिनाँक को की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मंदसौर, नीमच जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में मछुआ बस्ती निर्माण के तहत कार्य स्वीकृत नहीं हुये है। (ख) प्रश्नांश अनुसार मत्स्य बीज क्रय कर जलाशयों में संचयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश अनुसार मत्स्य बीज संचय करने में 1 जनवरी 2010 के पश्चात अनियमितता की शिकायतें एवं उस पर की गई कार्यवाही के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है।

<u>पट्टे पर अवंटित भूमि का कब्जा</u>

53. (क्र. 4379) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता को मुख्य सचिव द्वारा दिनाँक 22 अगस्त 2014 को लिखे गए पत्र के बाद भी ग्राम सलाई, तहसील गंजबसौदा जिला विदिशा के काशीराम पुत्र मेहताबसिंह को पट्टे पर आवंटित भूमि पर कब्जा किन-किन कारणों से प्रश्नांकित दिनाँक तक भी नहीं दिलवाया जा सका हैं? इस बाबत् प्रमुख सचिव राजस्व ने कलेक्टर विदिशा को किस दिनाँक को क्या-क्या आदेश या निर्देश दिए? (ख) विदिशा जिले के कितने राजस्व ग्रामों की खसरा पंजी में कितने शासकीय पट्टेदार वर्तमान में दर्ज हैं? इनमें से कितने पट्टेदारों का पट्टें की भूमि पर कब्जा हैं? कितने पट्टेदरों का पट्टे की भूमि

पर कब्जा नहीं हैं? (ग) जिन पट्टेदारों का पट्टें की भूमि पर कब्जा नहीं हैं? उन्हें भूमि का कब्जा दिलवाए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा हैं, कब तक पट्टेदारों को पट्टें की भूमि का कब्जा दिलवा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों का गठन

54. (क्र. 4391) श्री निशंक कुमार जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों का गठन किन प्रावधानों के तहत किया गया? इन समितियों के सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएँ शासन प्रदान करता हैं? इन समितियों के क्या-क्या अधिकार निर्धारित किए गए हैं? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के संबंध में गत पाँच वर्षों में क्या-क्या घोषणाएं की गई उनके क्रियान्वयन हेतु विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की हैं? (ग) पुलिस मुख्यालय भोपाल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस जिले के कितने नगरों एवं कितने ग्रामों में रक्षा समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं? इनमें कितने सदस्य हैं? (घ) रक्षा समिति के सदस्यों को मानदेय दिए जाने के संबंध में शासन की क्या योजना हैं, इन्हें कब से मानदेय के रूप में कितनी राशि प्रदाय की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल परिवहन

55. (क्र. 4426) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल परिवहन कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये गये है? (ख) यदि हाँ, तो छिन्दवाड़ा जिले में वर्ष 2011-12 में वर्तमान तक कितने ग्रामों में पेयजल परिवहन कराया गया है? क्या पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में उनकी मांग के अनुरूप पेयजल परिवहन कराया जाता है? इस पर होने वाला व्यय किस मद से किया जाता है? (ग) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी इन समस्याग्रस्त ग्रामों में कोई कार्ययोजना तैयार कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की गयी है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2011-12 में 59, वर्ष 2012-13 में 46, वर्ष 2013-14 में 58 एवं वर्ष 2014-15 में 14 ग्रामीण बसाहटों में। जी नहीं, निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पेयजल परिवहन कराया जाता है। ''राहत मद'' से। (ग) जी हाँ, नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना द्वारा एवं नल जल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की गई है।

उद्यान विभाग द्वारा कृषकों के खेतो में वृक्षारोपण

56. (क्र. 4430) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा संतरा रोपन, आम, केले, रोपन तथा संतरा जीर्णोद्धार किये जाने की योजना बनाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर, पांढुर्णा क्षेत्र के वर्तमान तक

कितने हेक्टेयर में रोपन की कार्यवाही की गई है तथा कितना अनुदान कृषकों को दिया जा चुका है? (ग) कृषकों को कितने वर्षों तक सामग्री प्रदाय की जाती है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। एकीकृत बागवानी मिशन के अन्तर्गत जीर्ण बागानों को पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन की योजना प्रचलन में है। (ख) वर्ष 1982-83 से वर्तमान तक 9000 हैक्टर में फलोद्यान लगाये गये हैं कृषकों को रूपये 486 लाख अनुदान दिया गया है। (ग) संतरा एवं आम के नये फलोद्यानों में 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर तीन वर्ष तक, केला रोपण में दो वर्ष तक तथा संतरा जीर्णोद्धार योजना में एक वर्ष तक।

<u>गृह निर्माण समिति को भूमि का आवंटन</u>

57. (क्र. 4440) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिला स्थित ग्राम शाहपुरा के खसरा नं. 266-277 रकबा 9.22 एकड़, खसरा नं. 272 रकवा 14.98 एकड़, खसरा नं. 278 रकवा 0.42 एकड़, खसरा नं. 279 रकवा 14.98 एकड़ खसरा नं. 270 रकवा 3.51 एकड़ खसरा नं. 267-271 रकवा 33.62 एकड़ में से चार एकड़ की जमीन किस गृह निर्माण समिति द्वारा मांग की गई है? वर्तमान में क्या उक्त भूमि का आवंटन हो गया है? (ख) उक्त प्रकरण कितने वर्षों से शासन के अधीन लंबित है? यदि भूमि का आवंटन नहीं हुआ है तो कब तक आवंटित कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शासन द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाना</u>

58. (क्र. 4464) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के क्या निर्देश व मापदण्ड है? निर्देश मापदण्डों सहित सम्पूर्ण विवरण दें? (ख) राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सशुल्क कहाँ-कहाँ सुरक्षा मुहैया कराई गई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन राज्य शासन द्वारा दि. 04.10.2013 को किया गया है। संस्थाओं द्वारा मांग किये जाने पर भुगतान के आधार पर बल उपलब्ध कराया जाता है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल लगाये जाने के पूर्व संबंधित संस्थान एवं राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण किया जाकर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के बाद प्रदाय किये जा रहे बल के लिये भुगतान एक माह के अग्रिम एवं तीन माह की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्राप्त कर बल तैनात किया जाता है। निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम 2005 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन हेतु लायसेंस जारी किये जाते है। संबंधित संस्थान/व्यक्ति पंजीकृत एजेंसी से सीधे सुरक्षा गार्ड ले सकते है। (ख) जी हाँ। राज्य औद्योगिकी सुरक्षा बल द्वारा सशुल्क सुरक्षा बल निम्नलिखित स्थानों पर मुहैया कराई गई है :- 1. डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। 2. एम.बी. पॉवर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, जैतहरी जिला अनूपपुर। 3. भारत ओमार रिफाईनरीज लिमिटेड बीना, जिला सागर। 4. म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल। 5. रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड बुढ़ार, जिला शहडोल एवं रीवा। 6. म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी जिला बैतूल। 7. म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड गांधी सागर जिला मंदसौर।

पंजीबद्ध प्रकरणों की पंजीबद्ध धारा में संशोधन

59. (क्र. 4470) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक हरदा को लिखे गये पत्र क्रमांक 662 दिनाँक 31.10.2014 पत्र क्रमांक 798 दिनाँक 26.12.2014 एवं पत्र क्रमांक 899 दिनाँक 02.02.2015 द्वारा जाँच के उपरांत हटाई गई धाराओं संबंधी प्रकरणों की जानकारी चाही गई थी, जिसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक भोपाल आई.जी.एवं डी.आई.जी. को भी प्रेषित की गई थी, पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त पत्रानुसार चाही गई जानकारी से अब तक अवगत न कराये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त पत्रानुसार चाही गई जानकारी से कब तक समय-सीमा बताएँ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। (ख) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

दतिया जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

60. (क्र. 4496) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दतिया जिले में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं इनमें से कितने शासकीय भवनों में एवं कितने निजी भवनों से संचालित हो रहे हैं ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें कार्यकर्ता अथवा सहायिका नहीं है? विकासखण्डवार ग्रामवार, वार्डवार, कार्यकर्ता एवं सहायिका के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) जिले में वर्ष 2014-15 में कुल कितने पोषण आहार का शासन से मासिक आवंटन के रूप में प्राप्त हुआ है एवं आवंटन के विरूद्ध कितना-कितना वितरण किन-किन केन्द्रों पर प्रश्न दिनाँक तक किया गया है वितरण एजेन्सी किसे नियुक्त किया गया है। क्या प्राइवेट एजेंसी द्वारा वितरण किया जाता है? यदि हाँ, तो इन्हें वितरण के भाड़े के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है, विकासखण्डवार/केन्द्रवार/दिनाँकवार/वितरण एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) केन्द्रों पर पोषण आहार पहुंचने पर किन-किन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है यदि पोषण आहार किसी केन्द्र पर नहीं पहुंचा तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) दतिया जिले में विभाग के अतंर्गत कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं इनमें से कितने अपने मूल पद व स्थान पर कार्यरत हैं एवं कितने अपने मूल स्थान से अन्यत्र अटैचमेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं? क्या शासन द्वारा अटैचमेंट के संबंध में कोई निर्देश हैं कि नहीं? यदि हाँ, तो आदेश की कापी उपलब्ध कराई जावे। नहीं तो किसकी ओर से इनको मूल स्थान से अन्यत्र अटैच किया गया है? विकासखण्डवार, नामवार, पदवार, जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) दतिया जिले में कुल 784 आंगनवाड़ी केन्द्र है जिनमें से 364 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में तथा 325 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में तथा 95 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य भवनो में संचालित है। जिले में 12 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 12 आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त है। विकासखण्ड, ग्रामवार/वार्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) जिले में वर्ष 2014-15 में टी.एच.आर. के रूप में वितरण हेतु एमपीएग्रो के माध्यम से कुल 73315 बैग (1451.25) मै.टन) पोषण आहार जिले की छः परियोजनाओं में परियोजना मुख्यालय पर प्राप्त हुआ। टी.एच.आर. के परियोजना मुख्यालय से

आंगनवाड़ी तक परिवहन हेतु सेवढ़ा परियोजना को छोड़कर शेष 5 परियोजनाओं में श्री सुरेन्द्र कुमार दांगी दतिया को निविदा के माध्यम से दिनाँक 26.07.2014 के पश्चात परिवहन कार्य हेतु अधिकृत किया गया। श्री दांगी को 05 परियोजनाओं में परिवहन हेतु वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर 2014 तक रू.70701/आरती स्व-सहायता समूह दतिया को रू.178513/रोहित इंटरप्राईजेज दतिया को निविदा से पूर्व अवधि का रू. 93800/एवं सेवंढ़ा में परिवहनकर्ता खुदाबक्श, सेंवढ़ा को माह अक्टूबर 2014 तक रू. 85545/-काभुगतान किया गया है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। (ग) पोषण आहार का भौतिक सत्यापन जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक, परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षक द्वारा आकस्मिक मासिक भ्रमण के दौरान किया जाता है। इस तरीके की कोई अनियमितता प्रश्नाधीन अवधि में जिले में नही हुई है। (घ) दतिया जिले में 8 अधिकारी एवं 53 कर्मचारी पदस्थ है। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अटैच नही किया गया है। अटैचमेंट के संबंध में कोई निर्देश जारी नही है। पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

सहायता राशि प्रदाय की जाना

61. (क्र. 4498) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले के सेवढ़ा विकास खण्ड में दिनाँक 27.04.2014 को सिंध नदी सनकुवा में नहाते समय फिसल जाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी यदि हाँ, तो उसका नाम, पिता का नाम/पते की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या मृत व्यक्ति के वारिश को शासन से कोई सहायता राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो किस दिनाँक को कितनी राशि स्वीकृति की गई? (ग) क्या कंडिका (ख) में वर्णित सहायता राशि पीड़ित पक्ष को उपलब्ध करा दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं तो इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी भुगतान क्यों नहीं किया गया कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खरीफ एवं रबी फसल का सर्वे कम्प्यूटर रिकार्ड में इन्द्राज करना

62. (क्र. 4500) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितने कितने रकबे में खरीब एवं रबी की फसल की बुवाई की गई? क्या राजस्व रिकार्ड में खरीफ एवं रबी की फसल बुवाई का इन्द्राज कृषकों के खसरा बी-1 के कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है। यदि हाँ, तो बोयी गई फसल की तहसीलवार, ग्रामवार, रकबे की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि जानकारी नहीं तो शासन द्वारा बोई गई खरीफ फसल एवं रबी फसल का रकबा किस किस माह तक राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया गया है? शासन नियमानुसार निर्धारित अवधि में फसलों में रकबा का इन्द्राज न किये जाने के लिये संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>तकनीकी पदों की भर्ती में अनियमितता</u>

63. (क्र. 4507) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक पशुपालन विभाग एवं राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम में तकनीकी पदों पर विभाग द्वारा भर्ती की है यदि हाँ, तो कौन से नियम से किसकी अनुमति से की है विवरण दे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अतंर्गत तकनीकी पदों पर भर्ती विभाग द्वारा व्यापम एवं पी.एस.सी. द्वारा क्यों नहीं करायी? क्या मंत्रिमण्डल से अनुमति ली थी यदि नहीं तो कारण बतायें? (ग) यदि विभाग द्वारा तकनीकी पदों पर भर्ती की गई है या संविदा पर भर्ती की गई है तो बतायें कि कौन की नियुक्ति किस नियम से की है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) (ग) में उल्लेखित तकनीकी भर्ती नियम विरूद्ध की है या नहीं तो क्या विभाग अन्य तकनीकी विभाग से नियम विरूद्ध भर्ती की जाँच करायेगा क्या आवेदनकर्ताओं की परीक्षा हेतु बिना बुलाये भर्ती की है कब तक जाँच और कार्यवाही करेंगे विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1966, विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं शिक्षक संवर्ग के भर्ती, चयन, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों के नियम तथा म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के भर्ती वर्गीकरण एवं सेवा शर्तों के अनुसार भर्ती की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) केवल पशु चिकित्सा चयन लोक सेवा आयोग से किया गया है व शेष हेतु लोक सेवा आयोग एवं व्यापम से भर्ती का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की नियुक्ति म.प्र. पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भरती नियम 1966, म.प्र. पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में तकनीकि सहायक की नियुक्ति म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के भर्ती वर्गीकरण एवं सेवा शर्तों तथा विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं शिक्षक संवर्ग के भर्ती, चयन, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवाशर्तों के नियम के आधार पर की गई। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन</u>

64. (क्र. 4520) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना अशोकनगर जिले में उद्यानिकी मिशन योजनाओं के अतंर्गत संचालित कोल्ड स्टोरेज, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, प्याज भण्डारण केन्द्र यंत्रीकरण, थर्मीकम्पोस्ट पिट, पैक हाउस निर्माण आदि का वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक स्वीकृत की गई यदि हाँ, तो हितग्राहियों की संख्या देवें? (ख) क्या गुना अशोकनगर जिले में संस्टेनेवल एग्रीकल्चर मिशन समिति (मारको) योजना के अतंर्गत कार्यों का वितरण कितने कृषकों को, कौन-कौन से ठेकेदारों द्वारा किया है वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक की सूची दें? (ग) क्या वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक गुना अशोकनगर जिलों में विभाग द्वारा संचालित योजना फल पौध रोपण, मसाला बीज, सागभाजी, मिनिकिट वितरण, मेला प्रदर्शन आदि अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया है? यदि हाँ, तो उन कृषकों की संख्या बताएं? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के अतंर्गत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों एवं ठेकेदारों द्वारा अनियमितता की गई है या क्रियान्वयन में भौतिक सत्यापन में नियम विरूद्ध संचालित हुई है तो क्या विभाग जाँच कर कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। वर्ष 2012-13 में 10, वर्ष 2013-14 में 66 तथा वर्ष 2014-15 में 06 हितग्राही। अशोकनगर जिले में कमशः 20, 14 तथा 13 हितग्राही। (ख) **जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। गुना जिले मे वर्ष 2012-13 में 10766 वर्ष 2013-14 में 29095 तथा वर्ष 2014-15 में 43084 हितग्राही। अशोकनगर जिले में कमशः 11132, 12020 तथा 22862 हितग्राही। (घ) जी नहीं, जाँच की आवश्यकता नहीं है।

<u>शासकीय बहुमूल्य भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना</u>

65. (क्र. 4536) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक 951) दिनाँक 02 जुलाई 2014 के प्रश्नांश (ग) भाग के उत्तर में जी हाँ, प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध न्या. अपील प्र. विभिन्न न्यायालायों में विगत 11 वर्षो तक प्रचलित रहा है। वर्तमान में राजस्व मंडल, ग्वालियर के आदेश दिनाँक 07.05.2013 द्वारा अतिक्रामक की निगरानी निरस्त करते हुए प्रकरण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्र.क्र. 401/अ-68/200910 दिनाँक 01.05.2014 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें कार्यवाही प्रचलित है लेख किया गया है? तो उक्त प्रकरण प्रश्न दिनाँक को किस न्यायालय में प्रचलित/लंबित है, न्यायालय का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम/पदनाम उल्लेखित करें। (ख) क्या विभिन्न न्यायालयों में विगत 11 वर्षों के उपरांत निराकृत उक्त प्रकरण पर प्रश्न दिनाँक तक उक्त न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर अतिक्रामक का अतिक्रमण हटाया जा चुका है? हाँ तो आदेश/कार्यवाही की प्रति प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो उक्त न्यायालय द्वारा भी अतिक्रामक को अतंराल का लाभ देते हुए प्रकरण में विलंब किया जा रहा है सुस्पष्ट करें? (ग) शासन, लोकहित/शासन हित में उक्त लंबित प्रकरण को त्वरित निराकरण कराने के निर्देश जारी करेगा? हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बहुमूल्य शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना</u>

66. (क्र. 4537) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतारांकित प्रश्न संख्या-72 (क्रमांक 2384) दिनाँक 09 जुलाई 2014 के प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर में ग्राम दौरिया के खसरा नं. 839 रकबा 0.539 हे. आबादी (गोठान) में से 0.040 हे. भूमि उप स्वा. केन्द्र, दौरिया के नाम से कॉलम नं. 12 में अंकित है। 65 x 20 वर्गफिट पर निर्मित एरिया है तथा शेष भूमि खाली है लेख किया गया है? (ख) क्या उक्त भवन की 0.040 हेक्टर भूमि का सीमांकन कराकर चिहिन्त कर सुरक्षित कर लिया गया है? हाँ तो किए एक सीमांकन की फील्ड बुक आदि की प्रति प्रस्तुत करें यदि सीमांकन नहीं किया गया है तो सीमांकन न किए जाने का कारण बताएं? (ग) शासन आबादी भूमि में बने उक्त भवन की शेष भूमि का सीमांकन कराकर चिहिन्त कर बहुमूल्य शासकीय भूमि की सुरक्षा करने के निर्देश जारी करेगा? हाँ तो कब तक समय-सीमा बताए?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जाति प्रमाण पत्रों में विसंगतियाँ</u>

67. (क्र. 4572) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व रिकार्ड के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति चमार एवं जाति मेघवाल तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति-पाटीदार एवं जाति गुजराती किन सरल क्रमांकों पर है व इन्हें

सूची में कब-कब स्थापित किया गया, कृपया विवरण देवें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अन्तर्गत विगत 10 वर्षों में कितने चमार जाति के एवं कितने मेघवाल जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए? शासन मापदण्ड अनुसार जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में जाति निर्धारण हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं? (ग) क्या जिला-सिहोर में पाटीदार समाज के लोगों को गुजराती जाति उल्लेखित कर जाति प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं? इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में मेघवाल जाति के लोगों को चमार जाति उल्लेखित कर जाति प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या जाँच कर उचित कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक व क्या?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>विभाग अन्तर्गत कार्यरत एन.जी.ओ.</u>

68. (क्र. 4584) डॉ. मोहन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत उज्जैन संभाग में कौन-कौन से एन.जी.ओ. कार्यरत् हैं? वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से एन.जी.ओ. को कौन-कौन से कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी के अनुसार जिन एन.जी.ओ. को राशि आवंटित की गई उनके द्वारा नियत समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये अथवा नहीं? यदि हाँ, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या एन.जी.ओ. को जिस कार्य के लिए राशि आवंटित की जाती हैं उनके द्वारा उक्त राशि का निर्धारित कार्यों में उपयोग नहीं करते हुए राशि का दुरूपयोग किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? इस संबंध में किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब शिकायत की गई? शिकायत की प्रति उपलब्ध कराते हुए उस पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं ''ब' अनुसार है**। (ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले एन.जी.ओ. की जानकारी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स'** पर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले एन.जी.ओ. की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। (ग) आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित कार्यों में किया गया है। राशि दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

<u>अजाक्स थानों में दर्ज प्रकरणों</u>

69. (क्र. 4637) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के आजक्स थाने में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के कितने अजा/अजजा वर्ग के फरियादीयों द्वारा अपने साथ हुई घटनाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन दिये गये है? उनमें से कितने प्रकरणों की जाँच का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने आवेदन पत्रों की जाचं शेष है, वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के प्राप्त कितने प्रकरणों में शिकायत सही पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनाँक 01.03.2013 से दिनाँक 31.03.2014 अनुसूचित जाति की कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई। 01 में पूर्व से ही थाना धामनोद में प्रकरण पंजीबद्ध व 01 शिकायत में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अनावेदकों के विरूद्ध की गई है। अन्य शिकायतों पर संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। अनुसूचित जनजाति की कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 03 शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध हैं एवं 04 आवेदन पत्रों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है तथा 03 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। शेष आवेदन पत्रों पर संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। (ख) जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार।

विभागीय योजनाओं की जानकारी

70. (क्र. 4654) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजनायें कब से संचालित है। योजनावार, दिनाँकवार जानकारी दे? उक्त योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का बजट 01 अप्रैल 2011 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुआ। योजनावार जानकारी दें? (ख) सिवनी जिले में किस-किस अनुविभाग में किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किस नाम/पदनाम की कब से स्थाई/अस्थाई रूप से नियुक्ति है। उक्त आगंनवाडी केन्द्रों पर क्या-क्या सामग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। आगनवाड़ी केन्द्रों में दरी, टेबिल, कुर्सी, प्री-स्कूल किट, मेडिसिन किट, वेइंग स्केल, बर्तन, रिकार्ड भरने हेतु रजिस्टर आदि आवश्यक रुप से होना चाहिए।

सिवनी जिले में नवीन हैण्डपम्प की स्वीकृति

71. (क्र. 4655) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक शासन द्वारा कितनी नवीन हैण्डपंप स्वीकृत किये गये हैं इनमें विकास खण्डवार कितने कितने हैण्डपंप स्वीकृत किये जाकर खनन कर दिये गये हैं एवं उनमें कितने वर्तमान में चालू एवं कितने बंद हैं बंद पडे हैण्ड पंपों को चालू रखने की क्या कार्य योजना है? (ख) शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैण्डपंप/नल जल योजना के स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यों की निविदा हेतु स्थानीय/ संभागीय/ राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में किस प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति जारी की जाती है? (ग) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हैण्डपंप खनन के पश्चात् किस मानक स्तर का तथा किस मानक कंपनी का पाईप प्रयोग में लाया जाता है क्या शासन द्वारा निर्धारित मानक स्तर के पाइप एवं कंपनी का प्रयोग जिले में किया जा रहा है? यदि हाँ, तो मानक स्तर का नाम एवं कंपनी का नाम बतायें और यदि नहीं तो दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 978 नवीन हैंडपंप स्वीकृत। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। बंद हैंडपंप असुधारयोग्य है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) आंशिकपूर्ण श्रेणी के ग्रामों/बसाहटों में निर्धारित मापदण्ड 55 लीटर प्रति

व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन एवं हैंडपंप स्थापना का कार्य किया जाता है, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** शर्तों की पूर्ति होने पर नलजल योजना स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** कार्यों की निविदा की कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ। निर्धारित मानक स्तर के ही पाईप का प्रयोग नलकूप खनन में व इसके पश्चात हैंडपंप स्थापना हेतु किया जाता है। इस हेतु कोई कम्पनी निर्धारित नहीं रहती है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**पोषण आहार की आपूर्ति**</u>

72. (क्र. 4676) श्री निशंक कुमार जैन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा एवं बैतूल जिले में गत पाँच वर्षों में कितने पोषण आहार की सप्लाई के बदले किस-किस सप्लायर को कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितना भुगतान वर्तमान में लम्बित है? ब्लॉकवार या परियोजनावार बतावें? (ख) सप्लायर द्वारा बताई गई मात्रा में कितनी मात्रा में पोषण आहार किस केन्द्र पर उतारा गया? पोषण आहार के सप्लाई की गई मात्रा की पुष्टि विभाग के किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा की गई? (ग) उपरोक्त अवधि में किस केन्द्र से कितने पोषण आहार की मांग की गई उसे कितने पोषण आहार की सप्लाई की गई उसके बदले कितने पोषण का सप्लायर को भुगतान किया गया? (घ) पोषण आहार की मांग, सप्लाई एवं भुगतान में की गई गड़बडियों की जाँच हेतु कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की हो तो कारण बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) 1 नवम्बर 2009 से सांझा चूल्हा व्यवस्था के तहत् विदिशा जिले की ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल 1543 स्थानीय स्व सहायता समूह एवं शहरी क्षेत्र में कुल 08 स्थानीय समूह/महिला मंडल तथा बैतूल जिले की ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1484 स्थानीय स्व सहायता समूह एवं शहरी क्षेत्र में कुल 17 स्थानीय समूह/महिला मंडल के माध्यम से पोषण आहार व्यवस्था संचालित है। विदिशा एवं बैतूल जिले में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं को गत पाच वर्षों में एमपीएग्रो के माध्यम से प्रदाय टेकहोम राशन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। चूंकि पोषण आहार की सप्लाई किसी भी सप्लायर (ठेकेदार) से नही हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) उतरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

<u>**पावर पम्पों की स्थापना**</u>

73. (क्र. 4701) श्रीमती रेखा यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर संभाग के कितने पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में विभाग के द्वारा हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पम्प लगाए गए? यह पावर पम्प किससे कितनी लागत में क्रय किए गए, गत तीन वर्षों में लगाए गए पावर पम्पों के ग्रामों की सूची सहित दें। (ख) पावर पम्पों की स्थापना के समय नलकूप या हैण्डपम्प से छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में कितनी और कौन-कौन सी सामग्री निकाली गई? इस सामग्री में से कितनी सामग्री की लेखा पंजी या स्टॉक पंजी में दर्ज कर कहाँ रखा गया? इस सामग्री में से कितनी सामग्री का विभाग ने अन्यत्र गत तीन वर्षों में उपयोग किया? कितनी सामग्री विभाग के पास वर्तमान में कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं? (ग) वर्तमान में किस ग्राम में स्थापित पावर पम्प वर्तमान में चालू है? किस ग्राम का पावर पम्प किन कारणों से कब से बन्द हैं? उसे प्रारम्भ किए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक पावर पम्प प्रारम्भ कर दिए जावेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 80 ग्रामों में। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नाकित अवधि में हैण्डपंपों के स्थान पर कोई भी पावरपंप स्थापित नहीं किया गया शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

ग्राम पंचायतों को सौंपी गई नल जल योजना

74. (क्र. 4702) श्रीमती रेखा यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में गत तीन वर्षों में किस-किस नलजल योजना को पूरा किया जाकर किस दिनाँक को किस ग्राम पंचायत या नगर पंचायत को सौंपा गया? उस योजना पर किस-किस मद में किन-किन कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई? (ख) सौंपी गई किस-किस योजना में हुई किन-किन गड़बड़ियों के कारण जल की आपूर्ति नहीं की जा सकी? गड़बड़ियों को ठीक किए जाने के लिए विभाग के द्वारा कितनी राशि खर्च की गई? (ग) गत तीन वर्षों में ग्राम पंचायतों को सौंपी गई नलजल योजनाओं में बार-बार गड़बड़ियां होने, योजना के बन्द होने के मुख्य कारण क्या-क्या है? इसके लिए विभाग किसे जिम्मेदार मानता है? योजनाओं में लगाई गई सामग्री की घटिया गुणवत्ता की जाँच विभाग ने कब-कब की है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार।**

सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह

75. (क्र. 4723) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 जनवरी 2015 की स्थिति में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों में कौन-कौन में स्व सहायता समूह कार्यरत है? स्व सहायता समूहों के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम, बैंक एवं शाखा का नाम, समूह का खाता नम्बर सहित समूहों के पंजीयन अनुबंध एवं आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्व सहायता समूहों को कितने दर्ज हितग्राहियों की एवज में कितने लाभांवित हितग्राहियों का माहवार कुल कितना भुगतान वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक किस-किस समूह को, किस-किस बैंक एवं शाखा के माध्यम से कब-कब किया गया? (ग) क्या बदरवास क्षेत्र के कुछ समूहों के बैंक खाते बदरवास क्षेत्र से 30 कि.मी. दूर ग्राम खरैह में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में फर्जीवाड़ा करने के लिए खोले गए हैं? यदि नहीं तो तहसील मुख्यालय बदरवास के आस-पास के ग्रामों के स्व सहायता समूहों के खाते 30 कि.मी. दूर क्यों खोले गए? (घ) क्या बदरवास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र बारई क्र. 1, 2, 3 सेमरीबुजुर्ग, खेराई, खिरिया, झूलना, बारईखेड़ा, सेमरीखुर्द, गुढाल जागीर में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत बेबी स्व सहायता समूह संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त 10 आ.बा. केन्द्रों के उक्त समूह के पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुबंध एवं आदेश की छायाप्रति संलग्न कर समूह को प्रश्नाधीन वर्णित अवधि में कितना भुगतान कब किया गया?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 31 जनवरी 2015 की स्थिति में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास मे ग्रामीणों क्षेत्रों के 221 आगनवाड़ी केन्द्रों पर कुल 145 स्व-सहायता समूह कार्यरत है एवं

एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलारस में ग्रामीण क्षेत्रों के 242 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर कुल 192 स्व- सहायता समूह कार्यरत है। आँगनवाड़ी केन्द्रवार स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता नंबर एवं आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) उत्तरांश (क) में वर्णित बदरवास/कोलारस परियोजना अन्तर्गत स्व-सहायता समूहों को कितने दर्ज हितग्राहियों की एवज में कितने लाभान्वित हितग्राहियों का माहवार कुल कितना भुगतान वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-2015 तक किस-किस समूह को, किस-किस बैंक एवं शाखा के माध्यम से कब-कब किया गया कि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। उक्त 10 आंबा. केन्द्रो के उक्त समूह के पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुबंध एवं आदेश की छाया प्रति एवं वर्णित अवधि में भुगतान की **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

खनन कराए गए हैण्डपम्प/नलकूपों की जानकारी

76. (क्र. 4727) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक किन-किन मदों/योजनाओं के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कब-कब नवीन हैण्डपम्प/नलकूप खनन कराए गए? (ख) उक्त खनन कराए गए किस-किस हैण्डपम्पों/नलकूपों की कितनी-कितनी गहरायी थी तथा कितने-कितने नग कितनी लंबाई के पाईप किन-किन हैण्डपम्पों/नलकूपों में डाले गए? नलकूप/हैण्डपम्प की गहरायी एवं डाले गए पाईपों आदि का सत्यापन किसके द्वारा किया गया? (ग) क्या जितने पाईप हैण्डपम्प/नलकूपों में लगना बताए गए हैं उतने पाईप वास्तविक रूप में नहीं लगे हैं? इनका भौतिक सत्यापन कब तक कराकर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी? (घ) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में समस्त मदों में कराए गए नवीन नलकूप/हैण्डपम्पों में पाईप कम मात्रा में डाले जाने के कारण हैण्डपम्प/नलकूप पानी नहीं दे रहे है। क्या इनमें पाईप बढ़ाए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। सत्यापन उपयंत्री तथा सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। (ग) जी नहीं। जानकारी भौतिक सत्यापन के अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

छोटे झाड़ के जंगल पर अतिक्रमण

77. (क्र. 4751) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नं.11 के खसरा क्रं. 399/1 की भूमि कितने एकड़ व किस मद में दर्ज है? (ख) क्या उक्त खसरे की भूमि छोटे झाड़ के जंगल एवं घास मद के रूप में मध्यप्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज है? यदि हाँ, तो उक्त खसरे की भूमि पर किस-किस के द्वारा कब से कितने-कितने भू-भाग पर अतिक्रमण कर किस कार्य हेतु कब्जा किया हुआ है? अतिक्रमणकर्ताओं के नाम सहित पूर्ण जानकारी दें। (ग) उपरोक्त खसरे के समीप किस-किस कृषक की भूमि लगी हुई है? कितना-कितना भू-भाग नाले के रूप में समाहित है तथा उक्त खसरे में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन के नियमानुसार छोटे झाड़ के जंगल पर अतिक्रमण करना अपराध की श्रेणी

में है? यदि हाँ, तो उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किये गये? और उक्त खसरे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं कराया गया? कब तक उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नगरीय क्षेत्र लैण्ड बैंक की जानकारी</u>

78. (क्र. 4763) श्री अनिल जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी स्थित नगरीय निकायों की सीमाओं पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक को राजस्व रिकार्ड में व नगरीय क्षेत्र लैण्ड बैंक अन्तर्गत कितना-कितना रकवा प्रतिवेदित है, नगरीय निकायवार, राजस्व ग्रामवार, खसरा नम्बर वार नोइयत सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उपलब्ध शासकीय भूमि में से खसरा नम्बरवार कितनी-कितनी भूमि किन-किन शासकीय प्रयोजनों के लिए आवंटित की जाकर रिकार्ड में इन्द्राज है और कितनी इन्द्राज होना शेष है तथा कितनी भूमि शासकीय प्रयोजन के लिये आवंटित किया जाना प्रस्तावित है? प्रयोजन व रकवा सहित जानकारी दी जावे और कितनी शासकीय भूमि वास्तव में अब बची है जिसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रस्तावित किया जा सकता है? नगरीय निकायवार, राजस्व ग्रामवार, खसरा नम्बरवार रकवा बताया जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बची शासकीय भूमि के रकवा में से कितने खसरा नं. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क तथा अन्य सड़क के किनारे स्थित है? उनकी जानकारी रकवा सहित व सड़क के नाम सहित पृथक-पृथक उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भूमि की बिक्री से प्रतिबंध हटाया जाना</u>

79. (क्र. 4772) श्री अनिल जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासन द्वारा कितने प्रकार के किसानों की कृषि भूमियों को विक्रय से प्रतिबंधित किया जाता है? किसानों व कृषि भूमि के प्रकारों सहित कारण बताया जाये? यह प्रतिबंध कब तक लागू रहता है और किस प्रकार से इसको हटाया जाता है? विवरण सहित प्रतिबंध हटाने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी व इसकी समयावधि बताई जावे? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र निमाड़ी की तहसील निवाडी व तहसील ओरछा में भी कई किसानों की भूमि बिक्री से प्रतिबंधित की गई हैं किन्तु उसकी बिक्री निरंतर हो रही है? क्या प्रतिबंध हटाये जाने के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो दिनाँक 01 जनवरी 2012 की स्थिति में किन-किन ग्रामों में कितने खसरा नं. विक्रय से प्रतिबंधित थे? तहसीलवार ग्रामवार खसरा नम्बरवार रकवा सहित जानकारी दी जावे साथ ही बतावें कि यह प्रतिबंध किस आदेश के तहत किसके द्वारा कब कब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में से अब तक किन-किन खसरा नम्बरों को विक्रय से प्रतिबंध हटाते हुए विक्रय की अनुमति किन-किन अधिकारियों द्वारा कब कब दी गई है? आदेश के विवरण सहित बताया जावे और प्रश्न दिनाँक को कितने कितने आवेदन कब से लंबित है उन पर अनुमति क्यों जारी नहीं की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) के जिन ग्रामों में अब तक यह विक्रय प्रतिबंध हटाये हैं उन ग्रामों में उस दौरान कौन-कौन पटवारी, राजस्व निरीक्षक कार्यरत थे, विगत 5 वर्ष की अवधि में वे किन-किन तहसील में व आर.आई.सर्किल, पटवारी हल्का में पदस्थ रहे पृथक-पृथक जानकारी दी जावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला सलाहकारों की ई.पी.एफ/ पी.पी.एफ कटौती हेतु प्रावधान

80. (क्र. 4796) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत नियुक्त जिला सलाहकारों की ई.पी.एफ./ पी.पी.एफ. आदि की कटौती की जा रही है? (ख) यदि नहीं तो क्यों? जबकि अन्य विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी के वेतन से ई.पी.एफ. /पी.पी.एफ. की कटौती की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) से संबंधित क्या जिला सलाहकार के वेतन से ई.पी.एफ./ पी.पी.एफ. कटौती का कोई प्रावधान किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (घ) जिला स्तर में विभागों में पदस्थ जिला सलाहकारों को कार्यालय में बैठने भ्रमण हेतु वाहन की सुविधा तथा संबंधित प्रभार के संबंध में अधिकार संपन्न बनाने के लिये विभाग की क्या योजना है? क्या अलग से बजट प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो भविष्य में कोई कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) ई.पी.एफ. / पी.पी.एफ. के प्रावधान के अनुसार। (ग) उतरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं। (घ) बैठने की व्यवस्था की गई है। कोई योजना नहीं है। जी नहीं।

राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति

81. (क्र. 4797) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख पद हेतु वर्ष 2010 के बाद कब-कब डीपीसी हुई तथा डीपीसी के कितने दिन के बाद पदोन्नति आदेश जारी हुये? (ख) पृथक-पृथक पदोन्नत आदेशों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को पदोन्नत किया गया? (ग) वर्तमान में नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक के पदोन्नति के कितने पद हैं और उनमें कितने भरे हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति

82. (क्र. 4822) श्रीमती इमरती देवी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में धारा 165 (6) के तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति के पिछले 5 वर्ष के प्रकरणों की क्रेता, विक्रेता जमीन के विवरण सहित सूची प्रस्तुत करें, तथा बतायें कि इस अवधि में कितने प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया। (ख) क्या में इन प्रकरणों की जाँच का आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो बतायें कि किस-किस वर्ष में प्रकरणों की जाँच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई तथा उस जाचं रिपोर्ट में कौन जिम्मेदार पाया गया क्या कार्यवाही हुई? (ग) पिछले 5 साल में संभाग आयुक्त उज्जैन द्वारा धारा 165 (6) के तहत कितने उन प्रकरणों को स्वीकृत किया गया जिनको कलेक्टर रतलाम द्वारा लिखकर दिया गया कि इन सारे प्रकरणों की क्रेता विक्रेता जमीन के विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें तथा बतायें कि किस धारा के तहत कलेक्टर द्वारा निरस्त प्रकरण को संभाग आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की गई, जबकि राजस्व संहिता के अनुसार शासन द्वारा यह अधिकार सिर्फ कलेक्टर को ही दिया गया है? (घ) क्या

धारा 165 (6) में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुमति में आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम में खरीदे जाने की जाँच किसी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा कराई जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधिक सहायता प्राप्त प्रकरणों की संख्या

83. (क्र. 4897) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले में विधिक सहायता हेतु कितने प्रकरण वर्ष 2013, 2014 में प्राप्त हुए? उनकी संख्या तहसीलवार बताई जावे? (ख) उक्त प्रकरणों में कितनों को सहायता राशि दी गई, तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित है? लम्बित प्रकरणों का क्या कारण रहा पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या शासन लम्बित प्रकरणों का निराकरण कर विधिक सहायता प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मकान क्षति में राहत राशि का भुगतान

84. (क्र. 4913) श्री वीरसिंह पंवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक प्रकोप से मकान क्षति, अग्नि दुर्घटना से मकान क्षति, अति वृष्टि/ओला वृष्टि से मकान क्षति से रायसेन एवं विदिशा जिले में जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? (ख) उक्त पीड़ित व्यक्तियों को कितनी राशि का भुगतान किस माध्यम से हुआ? (ग) कितने पीड़ित व्यक्तियों को राशि का भुगतान क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जबावदार है? शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की? (घ) पीड़ित व्यक्ति को कब तक राशि का भुगतान करवा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति

85. (क्र. 4914) श्री वीरसिंह पंवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पटवारी की नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है? पटवारी चयन परीक्षा, प्रशिक्षण, पदस्थापना के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें? (ख) फरवरी 2015 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में पटवारी के कितने पद रिक्त हैं? आगामी 4 वर्षों में कितने पटवारी सेवा निवृत होगें? जिलेवार संख्या बतायें? (ग) पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति किस आधार पर की जाती है? भोपाल संभाग के जिलों में पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी, समयावधि बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भ्रष्ट आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही

86. (क्र. 4929) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.पी.एड. महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजों की जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच की प्रश्न दिनाँक तक क्या स्थिति है? (ख) क्या बी.पी.एड.

महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को दिये गये प्रवेश में गलत एवं फर्जी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे जो जाँच में उजागर हुए हैं? यदि हाँ, तो एस.टी.एफ. द्वारा किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संभागायुक्त के आदेश के बावजूद दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाना

87. (क्र. 4930) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त जबलपुर संभाग के प्र.क. 83/अ-82/13-14 में पारित आदेश दिनाँक 03/06/2014 में भू-अर्जन अधिकारी, अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा को यह आदेशित किया था कि शिवानन्द श्रीवास्तव ड्रायवर एसडीएम. अमरवाड़ा द्वारा ग्राम कुपडाली, तह. हरई जिला छिंदवाड़ा की क्रय की भूमि ख.नं. 112/2 में से रकबा 0.260 हे. से संबंधित पंजीयत विक्रय पत्र दिनाँक 11/7/12 को शून्यवत घोषित करने तत्काल सिविल न्यायलय में दावा दायर करें एवं शिवानन्द से भूमि मुआवजा में प्राप्त राशि 28,33,848/- रूपये तत्काल वापिस प्राप्त कर शासकीय कोष में जमा कराई जावे? (ख) यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी श्रीमती श्वेता पवार ने 05 माह तक एवं वर्तमान द्वारा निज स्वार्थ की पूर्ति हेतु उक्त आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त जबलपुर संभाग के आदेश का पालन नहीं करने के कारण वर्तमान एवं तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी अमरवाड़ा जिला, छिदंवाड़ा के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आगर जिले में प्राप्त आवंटन एवं व्यय

88. (क्र. 4938) श्री गोपाल परमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभाग द्वारा आगर जिले को कितना आवंटन किस-किस मद में जारी किया गया है? मदवार जानकारी देवे एवं उक्त मद से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है एवं कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ख) क्रय सामग्री हेतु बनाई गई क्रय समिति की जानकारी देवे क्रय समिति के द्वारा खरीदी की गई सामग्री पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या क्रय सामग्री से पूर्व सामग्री के नमूने क्रय समिति के समक्ष रखे गये है? यदि हाँ, तो क्या-क्या सामग्री के नमूने क्रय समिति के समक्ष रखे गये हैं? (ग) क्या विभाग खरीदी गई सामग्री की जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आगर जिले में देय आवंटन की मदवार वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 पर** एवं सामग्री क्रय एवं किये गये भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 पर** है। (ख) जिला क्रय समिति में निर्धारित कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के रूप में जिला सयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग आगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस/महिला सशक्तिकाण अधिकारी जिला आगर मालवा (सचिव), उद्योग विभाग के महाप्रबंधक आगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी आगर को रखा गया था। क्रय समिति द्वारा क्रय एजेन्सी का निर्धारण अर्थात कौन सी सामग्री लघुउद्योग निगम, डी.जी.एस.डी. से क्रय की

जाना है का निर्णय किया गया। तत्पश्चात सामग्री निर्धारित मात्रा में एवं उत्तम गुणवत्ता की पाये जाने पर सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाकर देयको की राशि का भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है। (ग) क्रय की गई सामग्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त न होने से जाँच करवाने की आवश्यकता नहीं है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही नहीं है।

<u>हैण्डपंप उत्खनन एवं सुधार</u>

89. (क्र. 4942) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. के कटनी जिले के रीठी विकासखण्ड में 01 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने हैण्डपंपों का खनन किस एजेंसी द्वारा किस जगह पर कराया गया? ग्रामवार विवरण दें? उक्त समयावधि तक कितने हैण्डपंपों में सुधार कार्य कराया गया और कितनी सामग्री का उपयोग किया गया? डाली गयी सामग्री कहाँ से क्रय की गई? (ख) उक्त समयावधि में सुधार के दौरान खराब सामग्री जो निकाली गई क्या उसकी नीलामी की गई? यदि हाँ, तो किस दिनाँक को? यदि नहीं, तो सामग्री किस स्थान पर सुरक्षित है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार**। (ख) सामग्री की निलामी नहीं की गई है। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। सामग्री विभागीय भंडारों में सुरक्षित रखी गई है।

<u>रीठी जिला कटनी के पटवारी हल्का नंबर 23 के नामान्तरण पर रोक</u>

90. (क्र. 4945) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पटवारी हल्का नंबर 23 खसरा नंबर 600 रीठी की भूमि के संबंध में कोई प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी के न्यायालय में विचाराधीन था उस पर कोई निर्णय दिया गया हैं? यदि हाँ, तो कब दिया गया है, फैसले की कॉपी उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त फैसले में नामांतरण पर रोक जारी है? यदि हाँ, तो अब तक तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा? यदि हाँ, तो उस भूमि पर बने भवनों व दुकानों को गिराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>आलोट विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थानों में पर्याप्त पुलिस बल की पदस्थापना</u>

91. (क्र. 4951) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आलोट जिला रतलाम पुलिस थाने में पदस्थापना के विरूद्ध पुलिस संख्या आधे के बराबर भी नहीं है? यदि हाँ, तो किस कारण से? (ख) क्या आलोट क्षेत्र कंजर पीड़ित क्षेत्र होने के उपरांत भी वहाँ पुलिस सुविधाओं की कमी को शासन नजर अंदाज कर रहा है? (ग) यदि नहीं तो आलोट विधानसभा क्षेत्र के समस्त पुलिस थानों में पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त वाहन, आधुनिक हथियार शासन कब तक प्रदाय कर देगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। आलोट क्षेत्र के पुलिस थाने में सभी आवश्यक पुलिस सुविधाएं प्रदान की गई है। (ग) आलोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानो में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। **विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार**

है। विभिन्न योजनाओं में प्राप्त बजट के अनुसार वाहन एवं आधुनिक हथियार क्रय कर जिला रतलाम को उपलब्ध कराएं गए है। जिल स्तर से थानें की आवश्यकताओ का आंकलन एवं परीक्षण कर संसाधन थानों को आवंटित किए जाते है। कमी पूर्ति यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

<u>परिशिष्ट – "छब्बीस"</u>

<u>शिवपुरी जिले में सड़क दुर्घटना में मृत्कों की संख्या</u>

92. (क्र. 4965) श्री के.पी. सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक वर्षवार कितने लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है? (ख) वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गृह विभाग क्या योजनाएं बना रहा है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :- 1-वर्ष 2010 - 232, 2-वर्ष 2011 - 218, 3-वर्ष 2012 - 256, 4-वर्ष 2013-204, 5-वर्ष 2014-232, 6 - 01.01.15 से 28.02.15 तक 24, कुल योग 1166 (ख) निम्नानुसार योजनाएं बनाई गई हैं - 1- जिन स्थानों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती है उन स्थानों को चिन्हित कर दुर्घटना संचेतक चिन्ह, बोर्ड, किनारों पर रेलिंग एवं ड्रम लगवाये जा रहे है। 2- सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने के लिये वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3- दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिये हेलमेट लगाने की अनिवार्यता की गई है। 4- हाईवे में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिये हाईवे सुरक्षा चौकियों की स्थापना की जा रही है। 5- यातायात नियंत्रण के आधुनिक उपकरणों एवं यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है।

<u>मण्डला जिलान्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनायें</u>

93. (क्र. 4993) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी नल जल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना स्वीकृत है? वर्षवार, विकासखण्डवार स्वीकृत ग्राम का नाम सहित बतायें? (ख) उक्त योजनाओं में से कितनी पूर्ण कितनी अपूर्ण है? अपूर्णता का कारण स्थान का नाम सहित बतायें तथा कितनी को ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया बतायें? (ग) मण्डला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से संचालित नल जल योजनाओं में से कितनी संचालन में है कितनी बन्द है बन्द होने का कारण सहित बतायें? (घ) उक्त बन्द योजनाओं को प्रारंभ कराने के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? उनको कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 7 नलजल योजना, 6 मुख्यमंत्री पेयजल योजना। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) 7 योजनाएं पूर्ण एवं 6 प्रगतिरत। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) 130 संचालित (चालू), 03 योजनाएं बंद, 01 स्त्रोत सूखने, 01 ग्राम पंचायत द्वारा न चलाने एवं 01 अन्य कारणों से बंद है। (घ) स्त्रोत से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व विभाग का है, अन्य कारणों से बंद योजनाएं पंचायत द्वारा चालू की जाना है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

<u>परिशिष्ट – "सत्ताईस"</u>

<u>मण्डला जिले में रेशम उत्पादन संबंधी</u>

94. (क्र. 4994) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले के रेशम विभाग को केन्द्र शासन, विशेष केन्द्रीय सहायता 275 (1) राज्य शासन

एवं कलेक्टर सेक्टर से वर्ष 2012-13 से 2014-15 में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई? (ख) उक्त प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये वर्षवार, मदवार एवं हितग्राही मूलक की स्थिति में जानकारी दे? प्रश्नांश (क) की अवधि में मण्डला जिले में कितना रेशम का उत्पादन हुआ रेशम का प्रकार, मात्रा एवं प्राप्त आय? (ग) रेशम उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम से हितग्राही एवं जन सामान्य को क्या फायदा हुआ? क्या विभाग द्वारा किये गये व्यय की तुलना में आय नगण्य है यदि हाँ, तो जिम्मेदार अधिकारी पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या रेशम उत्पादन प्राकृतिक संशाधन पर आधारित है प्रश्नांश (क) की अवधि में कितनी बार प्राकृतिक आपदा से उत्पादन का नुकसान हुआ ऐसी स्थिति में सजगता बरतते हुये विभागीय अधिकारियों द्वारा बीमा क्यों नहीं कराया गया? यदि नहीं तो इस घोर लापरवाही के लिये एवं शासन की राशि का अपव्यय करने के लिये अधि./कर्मचारियों पर कब तक और क्या कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) रेशम उत्पादन बढ़ने से हितग्राहियों को लाभ हुआ है तथा उनकी आय मे वृद्धि हुई है। शहतूत पौधरोपण एवं रेशम उत्पादन हेतु लगातार जिले के विभिन्न ग्रामो से मांग आ रही है। मांग के आधार पर राशि एवं तकनीकी सुविधा का इन्तजाम किया जा रहा है। विभाग द्वारा स्वयं उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है। हिग्राहियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हितग्राहियों द्वारा कृमि पालन एवं ककून उत्पादन कर आय अर्जित की जाती है। (घ) जी हाँ। टसर कृमि पालन प्रकृति पर आधारित है, जो पूर्णत: खुले वातावरण में होता है। वर्ष 2013-14 में अत्यधिक वर्षा तथा 2014-15 में देरी से व कम वर्षा होने के कारण टसर ककून उत्पादन प्रभावित हुआ है। विभाग में टसर कृमि पालन का बीमा कराने का प्रावधान नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

लूट चोरी के पंजीबद्ध प्रकरण

95. (क्र. 5046) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कन्नौद खातेगांव एवं नेमावर पुलिस थाने में वर्ष 2013 से 2015 (प्रश्नांश दिनाँक) तक चोरी लूट एवं वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये है कृपया थानेवार जानकारी देवें? (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में से कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर माल की जब्ती की गई? (ग) जिन मामलों में अपराधी गिरफ्तार नहीं किये जा सके ऐसे कितने मामलों की जाँच बन्द कर दी गई है? (घ) क्या चोरी की घटनाओं की विवेचना के लिए जिले में विशेष पुलिस टीम गठित करने की विभाग की कोई योजना है तो खातेगांव, कन्नौद, नेमावर थाने हेतु गठित दल के कर्म. के नाम बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट – "उनतीस"

विधान सभा प्रश्न क्र. 1066 उत्तर दिनाँक 10.07.2013 के संबंध में

96. (क्र. 5053) श्री गिरीश भंडारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि अतां. प्रश्न क्र. 1066 उत्तर दिनाँक 10.07.2013 की प्रश्नांश (क) के उत्तर में शासन ने बताया कि समस्त बौलीदारों के साथ स्थितियां समान होने पर शासन को एक जैसा निर्णय करना चाहिये व

शेष के उत्तर में परिक्षणाधीन है?जानकारी दे परिस्थितियां समान होने के बाद क्या समस्त सफल बौलीदारों के साथ शासन ने समान निर्णय कर समस्त सफल बौलीदारों के पट्टे निस्पादित किये? हाँ ता किस-किस दिनाँक को जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या समस्त बौलीदारों के साथ परिस्थितियां समान होने पर एक जैसा निर्णय हुआ है? हाँ तो किस-किस बौलीदार के पटटे किस-किस दिनाँक को निस्पादित हुए? राशि जमा करने व पट्टे निष्पादित करने का दिनाँक सहित सूची उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के आधार पर यदि समस्त सफल बौलीदारों के साथ एक जैसा निर्णय नहीं हुआ? तो क्या इसमें कोई अनियमितता हुई? यदि हाँ, तो क्या? शासन समस्त सफल बौलीदारों के साथ एक समान निर्णय कर शेष सफल बौलीदारों के पट्टे निस्पादित करवा देगा? हाँ तो कब? समय-सीमा बतायें? नहीं तो कारण बताये?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नगर नरसिंहगढ़ में शासकीय दर्ज आबादी नजूल भूमि</u>

97. (क्र. 5055) श्री गिरीश भंडारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर नरसिंहगढ़ मं आबादी नजूल भूमि शासकीय दर्ज है? जिसका प्रश्न दिनाँक तक नजूलशीट/नजूल खसरा तैयार कराया गया है? (ख) यदि नहीं तो कब तक कराया जावेगा? समय-सीमा बताये?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भोपाल शहर के थानों में पदस्थ निरिक्षक उपनिरिक्षकों के संबंध में</u>

98. (क्र. 5065) श्री प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के पुलिस थानों में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन थाना प्रभारी, निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक किस-किस अवधि में पदस्थ रहे है? (ख) इनमें से किस-किस के विरूद्ध लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं पंजीकृत की गई? नाम व पदनाम सहित दिनाँकवार जानकारी दी जाये? (ग) प्राप्त एवं पंजीकृत शिकायतों की जाँच पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक की जावेगी? विलंब का कारण स्पष्ट करें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>लंबित प्रकरणों का निराकरण</u>

99. (क्र. 5097) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारे के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं? पृथक-पृथक बतावें? पटवारी हल्कावार जानकारी पानसेमल व निवाली तहसीलों की पृथक-पृथक बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने प्रकरण है जो 3 माह से अधिक समय से लंबित है प्रश्नांश (क) अनुसार पूर्ण जानकारी देवे? (ग) उपरोक्त लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा? (घ) इसके लिए दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेंगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बड़वानी जिले में अनुदान संबंधी</u>

100. (क्र. 5098) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में 01/01/12 से 31/12/14 तक विभाग की अनुदान योजनाओं में कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान कब-कब स्वीकृत किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार, माहवार जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त में से कितने हितग्राहियों का कितना अनुदान लंबित है? पृथक-पृथक, प्रकरण अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार बतायें? (ग) उपरोक्त लंबित अनुदान कब तक प्रदान कर दिया जावेगा? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी माहवार संकलित नहीं की जाती है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) से (घ) अनुदान का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

विभागीय योजनाओं क्रियान्वयन

101. (क्र. 5181) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न विकासखण्डों में वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितना बजट प्राप्त होकर क्या-क्या कार्य किये गये? (ख) उपरोक्त वर्षों में योजना अंतर्गत प्राप्त बजट के द्वारा किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया जाकर कितने हितग्राही लाभान्वित होकर किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया? (ग) क्या क्रियान्वित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों के द्वारा किया जाकर इसकी समीक्षा की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक की जिले में क्रियान्वित समस्त कार्यों की गतिविधियों, मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन की स्थिति से अवगत कराएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा विकासखण्डवार बजट नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक जिले को उपलब्ध कराये गये आवंटन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक जिले में क्रियान्वित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन संबंधित विकासखण्ड के उद्यान अधीक्षक द्वारा करने के पश्चात ही अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट – "तीस"

पोषाहार को आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाने हेतु परिवहन

102. (क्र. 5182) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत एम.पी. एग्रो म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदायित पोषाहार को आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाने हेतु परिवहन के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में विज्ञप्ति किन-किन समाचार पत्रों में किस-किस दिनाँक को जारी की गई? (ख) साथ ही, निविदा स्वीकृति हेतु क्या समिति का गठन किया गया? एवं भण्डार क्रय नियम, वित्तीय नियम एवं परिवहन विभाग के नियमों का पालन किया गया है? (ग) क्या परिवहन विभाग के नियमों के तहत वाहन स्वामी एवं वाहन के अन्य दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन भी किया गया है? यदि हाँ,

तो किस सक्षम अधिकारी के द्वारा कब-कब किया गया? (घ) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान किये गये समस्त कार्यों की वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपनाई प्रक्रिया से अवगत कराएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रतलाम जिला अंतर्गत एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदायित पूरक पोषण आहार को आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाने हेतु परिवहन के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। वर्ष 2013-14 में जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक/एबाविसे /एमपीएग्रो परि.निविदा/ 2013/778,दिनाँक 6.4.13 से अपर संचालक, जनसंपर्क भोपाल को परिवहन निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई थी किंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होने से समस्त परियोजना अधिकारियों को जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 836/परिवहन /2013, दिनाँक 18.4.13 से अपने स्तर से सीमित निविदा आमंत्रित कर परिवहन कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह राशि रू.25000/- से कम व्यय होने से स्थानीय स्तर पर कोटेशन आमंत्रित कर परिवहन कार्य करवाया गया। (ख) जी हाँ नियमानुसार खण्ड स्तर पर समिति गठित है। भण्डार क्रय नियम, वित्तीय नियम एवं परिवहन विभाग के नियमों का पालन किया गया है। (ग) जी हाँ। परिवहन विभाग के नियमों के तहत् वाहन स्वामी एवं वाहन के अन्य दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया। खण्ड स्तर पर गठित समिति एवं परियोजना अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में सत्यापन किया गया तथा समय-समय पर परियोजना अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार** है।

व्यापम फर्जी वाडे की गई शिकायतों पर कार्यवाही

103. (क्र. 5189) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के व्यापम फर्जीकांड के मुख्य शिकायतकर्ता श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा व्यापम फर्जीवाड़े के संबंध में एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. को अभी तक कितनी-कितनी शिकायतें कब-कब की गई हैं? इन शिकायतों में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा व्यापम फर्जीवाड़े के संबंध में दिनाँक 24 जुलाई 2013 को मान. मुख्यमंत्री जी के आवास पर फैक्स के माध्यम से म.प्र. पी.एम.टी. एवं म.प्र. प्री-पी.जी. फर्जीकांड के सबंध में भेजी गई विस्तृत तथ्यात्मक शिकायत जो कि म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र क्र. 012-63/2013/बी-1/दो भोपाल दिनाँक 04.09.13 से पुलिस महानिदेशक म.प्र. पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत की जाँच रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या व्यापम फर्जीकांड के मुख्य शिकायतकर्ता श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी द्वारा व्यापम फर्जीकांड के आरोपियों से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? श्री चतुर्वेदी को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) 02 शिकायतें। प्रथम दिनाँक 07.09.2013 व द्वितीय दिनाँक 30.10.2013 को प्राप्त हुई थी। प्रथम शिकायत थाना झांसी रोड ग्वालियर से संबंधित है एवं द्वितीय शिकायत पी.एम.टी. व प्री.पी.जी. परीक्षा के संबंध में है जिस पर एस.टी.एफ. व जिला एस.आई.टी. द्वारा जाँच की जा रही है। जिला पुलिस ग्वालियर को व्यापम घोटाला के शिकायतकर्ता श्री आशीष

कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रेषित एस.टी.एफ. एवं एस.आई.टी. को 09 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से अभी 04 शिकायतें जाँच में लंबित हैं तथा अन्य 05 शिकायतों पर थाना झांसी रोड ग्वालियर में पी.एम.टी. परीक्षा के संबंध में अपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 138/13, 183/14, 271/14, 285/14 व 314/14 धारा 419, 420, 467, 468, 120 बी भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। (ख) जी हाँ। एस.टी.एफ. द्वारा शिकायत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष 2012 व 2013 एवं प्री.पी.जी. परीक्षा वर्ष 2012 के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। दिनाँक 04.08.2014 से एक गन मेन प्रदाय किया गया था। वर्तमान में दिनाँक 08.12.2014 से आवेदक को 02 सशस्त्र गन मेन प्रदाय किये गये हैं। श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर (दक्षिण) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं सुरक्षा हेतु राउण्ड द क्लाक सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किये गये हैं।

<u>जिला श्योपुर में आबादी भूमि घोषित किया जाना</u>

104. (क्र. 5190) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कितने ग्रामों में कुल कितने हेक्टेयर रकबा चरनोई भूमि दर्ज है? उक्त भूमि में से कितने ग्रामों की कितनी भूमि पर आबादी/ बसाहट हो गई है? इसमें से कहाँ-कहाँ पर कितनी भूमि को आबादी भूमि घोषित कर दिया है एवं कितनी की कार्यवाही प्रचलन में हैं? विचाराधीन प्रकरणों में कब तक आबादी भूमि घोषित कर दिया जावेगा? प्रश्नकर्ता द्वारा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बसाहटों को आबादी भूमि घोषित किए जाने हेतु कलेक्टर श्योपुर को भेजे गए पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार बसाहट भूमि पर आबाद लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यदि नहीं तो क्या शासन व्यापक स्तर से जिला श्योपुर की समस्त आबादी/बसाहटों का सर्वेक्षण कराकर आबादी क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कैदियों को रखने की क्षमता</u>

105. (क्र. 5223) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितनी केन्द्रीय जेल/जिला जेल/उपजेल हैं? (ख) इन जेलो में कितने कैदियों को रखने की क्षमता है? वर्तमान में इन जेलो में कितने कैदी रखे गये है? (ग) इन जेलो में ऐसे कितने विचाराधीन कैदी है जिन्हें विगत 5 वर्षों से जेल में रखा हुआ है? (घ) शासन द्वारा प्रश्न दिनाँक तक इन जेलों के रख रखाव, भोजन इत्यादि पर कितनी राशि व्यय की गई है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रदेश में दिनाँक 01 फरवरी, 2015 की स्थिति में कुल 123 जेलें कार्यरत् हैं, जिसमें 11 केन्द्रीय जेलें, 33 जिला जेलें एवं 78 उप जेलें हैं। (ख) प्रदेश की जेलों में 01 फरवरी, 2015 की स्थिति में 27,247 बंदियों को रखने की क्षमता है, जिसके विरूद्ध आलोच्य तिथि में 34,736 (दण्डित एवं विचाराधीन) बंदी परिरूद्ध थे। (ग) प्रदेश की जेलों में दिनाँक 01 फरवरी, 2015 की स्थिति में 32 विचाराधीन कैदी है जो विगत 5 वर्षों से जेल में परिरूद्ध हैं। (घ) प्रदेश की जेलों

में दिनाँक 01 फरवरी, 2015 की स्थिति में जेलों के रख-रखाव पर रूपये 2,82,24,608.00 तथा भोजन रूपये 50,31,26,436.00 राशि का व्यय हुआ है।

यातायात नियमों का उल्लघंन

106. (क्र. 5224) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यातायात नियामों का उल्लघंन करने वालों के लिये इन्दौर यातायात पुलिस को आधुनिक दृष्टि से क्या-क्या साधन उपलब्ध करावाये गये हैं? (ख) क्या यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा चौराहों पर आधुनिक तकनीक वाले कैमरे लगाये गये है यदि हाँ, तो किन-किन चौराहों पर लगाये हैं इन कैमरों की विशेषता, इनकी रेन्ज बताते हुये ई-चालान बनाने की कार्यप्रणाली स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रत्येक चौराह पर कितने-कितने कैमरे लगाये गये है इस कार्य हेतु शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है तथा यह कार्य कौन सी कंपनी को किन शर्तो पर दिया गया है? (घ) क्या इन्दौर में जिन चौराहों पर कैमरे लगाये गये है उन चौराहों पर यातायात आरक्षकों की आवश्यकता नहीं रहती हैं? यदि आवश्यकता रहती है तो कैमरे लगाने का क्या उद्देश्य है? (ड.) क्या लगाये गये कैमरों में अधिकांशत: वाहनो के नंबर डिटेक्ट नहीं होते है ऐसी स्थिति में यातायात उल्लंघन करने वालो के ई-चालान किस प्रकार बनाये जाते हैं? (च) इन्दौर में चौराहो पर कैमरे लगाये जाने के बाद कितने ई-चालान बनाये गये है एवं शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) यातायात संचालन हेतु सोनी डिजिटल कैमरे (डीएसएलआर कैमरा) -70 ब्रीथ एनेलाईजर (अल्कोमीटर) -10, स्पीड राडर-01, क्रेन-01, सैमसंग मोबाईल-07, पीए सिस्टम (आहूॅजा एम्लीफायर) -05 उपलब्ध कराये गये हैं। (ख) जी हाँ। इन्दौर के लेर्न्टन चैराहा एवं पीपिलिहाना चैराहा पर आर.एल.बी.डी सिस्टम के तहत कैमरे लगाये जा चुके है एवं ई-चालानी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हैं। सभी कैमरे 1.3 MP,IP BOX Camera with 1/3 inch CCD/CMOS Sensor 5 MM to 50 MM Varifocal Lens के है। ई-चालान बनाने की प्रक्रिया में जब कोई वाहन चैराहे पर रेड लाईट होने पर जेब्रा क्रासिंग से पूर्व स्टाप लाईन पर गाड़ी नहीं रोकता है, व रेड लाईट पर स्टाप लाईन क्रास कर जाता है तब चैराहे पर लगे आर.एल.बी.डी कैमरे द्वारा वाहन का फोटो मय नम्बर प्लेट के साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। कैमरे द्वारा लिया गया फोटो LAN के माध्यम से टी.एम.सी के सरवर स्टोरेज में SAVE हो जाता है। आपरेटर द्वारा फोटो एवं साक्ष्य की जाँच कर साफ्टवेयर द्वारा बनाये गये चालानों को सत्यापित किया जाता है। सत्यापित चालान का फोटो एवं आर.टी.ओ के बेवसाईट से वाहन स्वामी का नाम पता सहित प्रिन्ट निकालकर संबंधित थानो को तामीली हेतु टी.एम.सी के माध्यम से भेज दिया जाता है। (ग) प्रत्येक चैराहे पर 12 स्टेटिक कैमरे एवं 01 डोम कैमरा लगाया गया है। अभी परियोजना का कार्य प्रगति पर है अतः व्यय की राशि बताया जाना संभव नहीं है। टेक्नोसिस सिक्युरिटी सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड करोल बाग नई दिल्ली को यह कार्य दिया गया है। शर्ते **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (घ) यातायात आरक्षकों की आवश्यकता कैमरों के बावजूद रहती है ताकि वे वाहन चालकों को जागरूक तथा सावधान कर सकें। कैमरे लगाने का उद्देश्य वर्तमान में उपलब्ध अमले के आधार पर ही बढ़ते हुए यातायात पर बेहतर नियंत्रण करना है। (ड.) ऐसे वाहन जिनकी नम्बर प्लेट कैमरों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, केवल उन्हीं के ई-चालान बनाये जाते है। (च) उत्तरांश ख अनुसार 2 स्थानों पर

दिनाँक 02.03.2015 तक 4080 ई-चालान बनाये गये है, जिससे 3,02,500/- की राजस्व वसूली की जा चुकी हैं।

नगर सैनिको को आरक्षक के समान वेतनमान

107. (क्र. 5233) श्री अमर सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में नगर सैनिकों के कुल कितने पद स्वीकृत है? उसमें कितने पद कितने समय से रिक्त है? (ख) राजगढ़ जिले में 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कार्यरत नगर सैनिकों की जानकारी उनकी पदस्थापना दिनाँक उनके पदस्थापना स्थल एवं वर्तमान में जहाँ पर कार्यरत है सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रदेश में कार्यरत नगर सैनिकों को वर्तमान में क्या सुविधाये उपलब्ध कराई जा रही है? (घ) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर सैनिकों को आरक्षक के समान वेतनमान दिये जाने का निर्णय पारित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय के पालन में उक्त नगर सैनिकों को कब तक आरक्षक के समान वेतनमान दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) राजगढ़ जिले मे नगर सैनिकों के कुल 325 पद स्वीकृत हैं। उसमें से 50 पद रिक्त हैं, जो वर्ष 2008 से अभी तक, सैनिकों की अन्य विभाग में नियुक्त होने, सेवामुक्त होने तथा मृत्यु होने से रिक्त हुए है। (ख) राजगढ़ जिले में 01 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कार्यरत नगर सैनिकों की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। (ग) प्रदेश में कार्यरत नगर सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार** है। (घ) प्रकरण परीक्षणाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जल आवद्र्धन योजना से पानी की टंकी एवं लाईन की व्यवस्था

108. (क्र. 5234) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक जल आवद्र्धन_योजना में कौन-कौन से ग्रामों में पानी की टंकी एवं पाईप लाईन की व्यवस्था की गई है? वर्षवार बतावें? (ख) क्या ग्राम ओड़पुर, बादलखेड़ी, गोपालपुरा, बांकना, बखेड़, चाटूखेड़ा, कालीपीठ में उक्त योजना में निर्माण कार्य किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो निर्माण एजेन्सी का नाम/स्वीकृत राशि/स्वीकृत दिनाँक सहित बतावें? (घ) क्या उक्त ग्रामों में स्वीकृत कार्य पूर्ण किये गये है? यदि हाँ, तो क्या उनका सत्यापन किया गया है? यदि हाँ, तो किनके द्वारा? नाम सहित बतावें एवं भुगतान पूर्ण किया गया है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) ग्राम ओडपुर एवं बखेड़ में निर्माण कार्य किया गया, शेष ग्रामों में नहीं। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। (घ) जी हाँ। जी हाँ। उत्तरांश (ख) अनुसार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

परिशिष्ट – "इकतीस"

संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करना

109. (क्र. 5249) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत तहसील न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में

जबाव प्रस्तुत होने के उपरांत दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर प्रकरणों के निराकरण करने का प्रावधान है तथा संहिता की धारा 109-110 व 178 के तहत प्रचलित नामान्तरण व बटवारा प्रकरणों के निराकरण हेतु सिटिजन चार्टर में समय-सीमा निर्धारित है? (ख) यदि हाँ, तो अगस्त 2012 से अक्टूबर 2014 के मध्य अलग-अलग अवधि में बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर, कटंगी, एवं बिरसा में श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के पदस्थ रहने के दौरान संहिता के उक्त धाराओं के अधीन कुल कितने प्रकरकण लंबित थे, कितने कब-कब दर्ज हुए, कितने कब-कब निराकृत हुए? (ग) क्या बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर, कटंगी, एवं बिरसा में श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के द्वारा उनके पदस्थ रहने के दौरान म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 250 के तहत प्रचलित प्रकरणों में संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए जबाव प्रस्तुत होने के पश्चात् दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर प्रकरणों तथा क्या सिटिजन चार्टर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके न्यायालय में दर्ज नामान्तरण व बटवारा प्रकरणों का निराकरण किया गया है? (घ) यदि नहीं तो क्या शासन उसके लिए श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार को दोषी मानता है? यदि हाँ, तो क्या शासन श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के बालाघाट जिले के उक्त तहसीलों में उनके पदस्थापना के दौरान बरती गयी लापरवाही व की गयी मनमानी की प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाकर कार्यवाही का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>समयावधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराना</u>

110. (क्र. 5250) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 : 4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने एवं पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रावधान है, तथा क्या शासनादेशों/निर्देशों में इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर, कटंगी, एवं बिरसा में अगस्त 2012 से अक्टूबर 2014 के मध्य श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के पदस्थ रहने के दौरान प्राकृतिक आपदा के कुल कितने प्रकरण प्रकाश में आये? प्राकृतिक आपदा का स्वरूप, आपदा घटित होने का दिनाँक, प्रभावित व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता, आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का दिनाँक व पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने का दिनाँक व राशि की जानकारी दें? (ग) क्या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय-सीमा में प्रभावित परिवारों को श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह संबंधित तहसीलदार की अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, मनमानी, अकर्मण्यता नहीं है? क्या शासन शासनादेशों/निर्देशों का पालन नहीं करने वाले श्री आशाराम मेश्राम तहसीलदार को दोषी मानता है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त पूरे मामले की जाँच कराकर उनके विरूद्ध कार्यावही का आदेश देगा? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हल्कावार पटवारियों के पदों की पूर्ति</u>

111. (क्र. 5280) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विकासखण्ड ब्यावरा के अंतर्गत पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद कब से रिक्त है तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या विकासखण्ड ब्यावरा में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने से कार्यरत पटवारियों को एक से अधिक हल्कों का प्रभार दिया गया है जिससें कृषकों के नामांतरण, बॅटवारे एवं सीमाकंन के सैंकड़ों प्रकरण प्रत्येक पटवारी हल्कों में लंबित रहते है, जो किसानों के लिये परेशानी का सबब है? ऐसे में क्या शासन यथाशीघ्र रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? (घ) क्या शासन द्वारा पूर्व घोषित नीति के अनुसार पटवारियों को मुख्यालय पर आवास सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>रिक्त पदों की पूर्ति</u>

112. (क्र. 5281) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना ब्यावरा एवं सुठालिया में कौन-कौन से पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से अधिक पद रिक्त होने से आगनवाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन, निरीक्षण, कुपोषण के प्रति जनचेतना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना ब्यावरा एवं सुठालिया में स्वीकृत पद एवं भरे पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' पर** है। (ख) कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर आंगनवाड़ी केन्द्रो के सुचारू संचालन, निरीक्षण, कुपोषण के प्रति जन चेतना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है। (ग) सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। पदों की रिक्ति एवं पूर्ति सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं हैं।

<u>परिशिष्ट - "बत्तीस"</u>

<u>नल-जल योजनाओं की जानकारी</u>

113. (क्र. 5299) श्री विश्वास सारंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल जिले में कितनी नल जल योजनाएं प्रश्न दिनाँक तक संचालित की जा रही हैं? जिलावार, स्थानवार, लागतवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में किन-किन स्थानों पर प्रश्न दिनाँक तक नवीन नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? जिलावार, स्थानवार, लागतवार जानकारी दें? किन-किन स्थानों पर कार्य शुरू हो गया है? कहाँ-कहाँ नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? कारण सहित जिलावार, स्थानवार लागतवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में ऐसे कितने स्थान हैं

जहाँ पर पूर्व से नल जल योजनाएं संचालित थी और उसी स्थान पर नवीन योजना भी स्वीकृत की गई है? कारण सहित जिलावार स्थानवार, लागतवार जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 115 संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार**। (ग) किसी भी ऐसे ग्राम में नवीन योजना स्वीकृत नहीं की गई जहाँ पूर्व से नलजल योजना स्वीकृत हो, 23 ऐसे ग्रामों में जहाँ पूर्व से नलजल योजनाएं है, उनमें जल आवर्धन योजनाएं स्वीकृत की गई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार**।

हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी

114. (क्र. 5300) श्री विश्वास सारंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक भोपाल जिला में समग्र स्वच्छता अभियान/जल आवर्धन/नल जल स्थल जल सहित हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी-कितनी राशि विकासखण्डवार किस-किस योजना के मद में आवंटित करते हुये व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार उक्त योजनाओं में हुये व्यय को किस-किस को चेक/नगद/व्हाउचर से कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई? योजनावार, राशिवार, वर्षवार, मदवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं में हुये कार्यों की गुणवत्ता/उपयोगिता प्रमाण पत्र किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारियों ने जारी किये? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से किस-किस कार्यों की क्या-क्या शिकायतें राज्य शासन/जिला प्रशासन के समक्ष आई? उन पर कब व क्या कार्यवाही प्रश्नतिथि तक की गई? प्रकरणवार जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) समग्र स्वच्छ्ता अभियान का कार्य विभाग द्वारा सम्पन्न नहीं किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में जल आवर्धन / नलजल /स्थलजल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं विकासखंडवार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "अ" अनुसार** है। विकासखंडवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है। विभाग में कोई हितग्राही मूलक योजना नहीं है। (ख) उत्तरांश "ख" के सन्दर्भ में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार**। (ग) कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कार्य विभाग नियमावली के प्रावधान के अनुसार उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा की गई है। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

शाजापुर जिले में पदोन्नति के संबंध में

115. (क्र. 5308) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2003 में जारी आदेशानुसार रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने में संशोधन किया जाकर वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जाने के निर्देश है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्देशों के पालन में शाजापुर जिले में पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई? यदि हाँ, तो भृत्य से सहायक ग्रेड-तीन, सहायक ग्रेड तीन से स.ग्रेड 2, स.ग्रेड.2 से स.गे.1 के लिये बैठके कब-कब हुई तथा इस बैठक में किन पदों के लिये किन-किन नामों को शामिल किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बैठक नहीं हुई तो क्यों, जिम्मेदारी किसकी है, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) शाजापुर जिले में पदोन्नति समिति की बैठक कब तक कर ली जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंहस्थ मेले हेतु भूमि अधिग्रहण

116. (क्र. 5309) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 1992 एवं 2004 में सिंहस्थ आयोजन हेतु कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया था तथा मुआवजा कितना-कितना दिया था? (ख) क्या सिंहस्थ 1992 एवं 2004 में अधिग्रहित संपूर्ण भूमि सिंहस्थ मेले में उपयोग की गई थी, यदि नहीं तो 1992 व 2004 में किस-किस सर्वे नंबर की भूमि खाली रही थी? (ग) सिंहस्थ 1992 एवं 2004 में खाली भूमि पर कितना मुआवजा दिया था? दोनों सिंहस्थ मेले का अलग-अलग बतायें। (घ) सिंहस्थ 2016 के आयोजन हेतु कितनी भूमि अधिग्रहण की जावेगी? ब्यौरा देवें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिवक्ता नियुक्ति के नियम

117. (क्र. 5324) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश के प्रकरणों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्ति के नियम क्या हैं? (ख) सर्वोच्च न्यायालय के कितने वकीलों को कितने प्रकरणों में वर्ष 2012 से 2014 तक कितनी फीस का भुगतान किया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में किराये का वाहन

118. (क्र. 5338) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के, खिलचीपुर विकासखण्ड में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हैंडपंप संधारण हेतु लोडिंग वाहन चलाने हेतु वर्ष 2014-2015 के लिये क्या टेण्डर लगाये गये है? यदि हाँ, तो टेण्डर प्रक्रिया में कितने वाहन मालिकों ने टेण्डर डाले हैं? उनकी सूची उपलब्ध करावे एवं किस वाहन मालिक का टेण्डर स्वीकृत हुआ है? आवेदन का नाम एवं पिता का नाम व दर सहित स्पष्ट करें? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खिलचीपुर में शासकीय कार्य अथवा अनुविभागीय अधिकारी के

उपयोग हेतु वाहन किराये पर लगा रखे है, या अन्य किसी मद से व्यवस्था कर रखी हैं? यदि हाँ, तो किस काय हेतु वाहन का उपयोग किया जा रहा है, एवं वाहन मालिक का नाम स्पष्ट करें? (ग) क्या टेण्डर हेतु किराये पर लगाने वाले वाहनों की पात्रता की गई थी? चयनित वाहनों की मेनुफेक्चरिंग डेट एवं प्रति किलोमीटर डीजल एवरेज स्पष्ट करे? क्या जो वाहन विभाग के कार्य हेतु लगाया गया है उनके परिवार के व्यक्ति इसी विभाग के कर्मचारी है? कर्मचारी का नाम बतावें? (घ) विभाग ने वाहन अधिकृत करने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किये हैं? यदि हाँ, तो मापदंड विरूद्ध वाहन लगाने हेतु कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। मात्र एक वाहन मालिक। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। (ख) जी हाँ। निर्माण कार्यों का निरीक्षण, हैण्डपंप संधारण कार्य एवं अन्य विभागीय कार्य हेतु। श्री सुरेश साहू। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। जी हाँ, श्री रमेश साहू। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**। वाहन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही लगाया गया है। अतः कोई भी दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "तैंतीस"</u>

कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन/इनाम

119. (क्र. 5339) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग ने आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन की नीति को बंद कर दिया है? यदि नहीं तो भोपाल संभाग में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए? अधिकारी कर्मचारियों की सूची दे? (ख) क्या अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियो को जिला स्तर पर ईनाम देने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है? यदि नहीं तो भोपाल संभाग में कितने पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को आर्थिक एवं अन्य इनाम दिया गया? थानेवार जानकारी दे? (ग) क्या विभाग के थाने में पदस्थ कर्मचारियों को अवकाश देने की कोई नीति हैं? महिने में कितने अवकाश दिय जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्र कोइड़ार का संचालन

120. (क्र. 5345) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना अन्तर्गत कोइड़ार में आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित रूप से संचालित किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा इस संबंध में पत्र दिनाँक 14.02.15 द्वारा कलेक्टर जिला-रीवा को भी लेख किया गया है? यदि उत्तर जी हाँ तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? एवं कब तक आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित रूप से संचालित कराया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्र कोइडार में वर्ष अक्टूबर 2007 में श्रीमती प्रतिभा दुबे की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की गई थी। श्रीमती प्रतिभा दुबे द्वारा अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2014 तक आंगनवाड़ी केन्द्र का नियमित संचालन किया गया। माह मई 2014 से निरन्तर अनुपस्थित है, जिसके संबंध में परियोजना अधिकारी एकीकृत

बाल विकास परियोजना हनुमना द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 158 दिनाँक 07.08.14, 271 दिनाँक 27.10.2014 एवं पत्र क्र.315 दिनाँक 31.12.2014 के द्वारा सेवा से पृथक करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्रतिभा दुबे के अनुपस्थित रहने के कारण माह मई 2014 से निरन्तर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। परियोजना अधिकारी हनुमना द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन सहायिका द्वारा किया जा रहा है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा किये गये पौध रोपण

121. (क्र. 5360) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि उद्यानिकी विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में जबलपुर जिले में वि.खण्ड वार ग्राम वार कितने-कितने रकवे में पौधा रोपण किया गया? उक्त पौधारोपण पर मद वार उक्त अवधि में वर्षवार कितना-कितना व्यय किया गया? रोपे गये पौधों में से ग्रामवार वि.खण्ड वार कितने पौधे सुरक्षित हैं? कितने नष्ट हो गये हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालित योजनाएं

122. (क्र. 5365) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कुपोषण, सुपोषण एवं अन्य कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किन-किन योजना मद से राशि जारी की जाती है? कितनी-कितनी राशि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को दी जाती है तथा यह राशि किसके खाते में जमा कराई जाती है? इसका आहरण किसके द्वारा किया जाता है? (ग) क्या राशि खर्च करने के पश्चात उसका लेखा जोखा किसके द्वारा रखा जाता है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना/राजीव गाधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला', इंदिरा गाधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) मंगल दिवस कार्यक्रम, अटल बाल मिशन आदि योजनाओ का संचालन किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे राशि नहीं दी जाती है बजट परियोजना अधिकारियों/जिला कार्यक्रम अधिकारियो को उपलब्ध कराया जाता है एवं संबधित अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण कर योजना क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार व्यय किया जाता है। (ग) राशि खर्च करने के बाद लेखा जोखा संबधित आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा रखा जाता है।

हैंडपंपों का सुधार कार्य

123. (क्र. 5426) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड कटनी के अन्तर्गत विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पूर्व में किये गये नलकूप/हैंडपंप विभागीय मापदण्डों के अनुसार खनित न कराये जाकर अत्यधिक कम गहराई में किये जाने से प्रत्येक ग्राम के आधे से अधिक नलकूप/हैंण्डपंप या तो बंद हो चुके हैं या तो बिगडे हुये हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा इन हैण्डपंपों के सुधार कार्य हेतु विभागीय राशि/सामग्री जिले से उपखण्डों को दिये जाने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो

कटनी जिले में किन-किन उपखण्डों को कितनी-कितनी राशि /सामग्री विगत 3 वर्षों में प्रदाय की गई? (ग) क्या प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्थित उपखण्ड को जिले के अन्य उपखण्डों की तुलना में कम राशि/सामग्री दिये जाने से सुधार कार्य पूर्ण न होने के कारण ग्रामीण पेयजल से वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्या तत्काल राशि/सामग्री आवंटित कर सुधार कार्य कराया जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा? नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>गौ सेवकों को नि:शुल्क मोबाईल सिम का प्रदाय</u>

124. (क्र. 5428) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के गौसेवक संघ की मांगों को पूरा करते हुये म.प्र. शासन पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव की टीप क्रमांक -80 भोपाल दिनाँक 08.08.2013 को जारी संचालक पशुपालन के पत्र क्रमांक 11306/मु.ग्रा.यो/35/वे.प्र./2013 जारी कर समस्त उप संचालकों को सात बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) गौ सेवकों को म.प्र. राजपत्र 15 मई 2012 के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसाय के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन लघु पशु चिकित्सा देने की अनुज्ञा दी गई है? गौ सेवक पशु चिकित्सकों से परामर्श कर पशु चिकित्सा कार्य मौके पर कर सके इसलिए नि:शुल्क मोबाईल सिम गौ सेवकों को कब तक वितरित की जावेगी? (ग) विभाग की ई-वेस्ट योजना का पायलट प्रोजेक्ट बैतूल एवं सीहोर जिले में क्रियान्वयन किया गया था? यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे? (घ) उक्त योजना वर्तमान समय में कहाँ-कहाँ पर किस कारण से चालाई जा रही हैं? ई-वेस्ट योजना के परिणाम सही नहीं आने के बावजूद भी उक्त योजना को लागू किये जाने का औचित्य क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। उप संचालकों द्वारा वर्णित पत्र के सभी बिन्दुओं का पालन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। गौ सेवक योजना अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा गौसेवकों को निशुल्क मोबाईल सिम वितरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। ई-वेस्ट योजनांतर्गत सीहोर जिले की 37 ग्राम पंचायतों में 1414 पशु उपचार बैतूल जिले की 28 ग्राम पंचायतों में 2756 पशु उपचार किए गए है। (घ) ई-वेट योजना पहुंच विहीन ग्रामों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विदिशा एवं रायसेन जिले में मध्यप्रदेश वॉटर रिस्टक्चरिंग प्रोजेक्ट अंतर्गत सम्राट अशोक सागर जलाशय क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासकीय भूमि पर अतिक्रमण</u>

125. (क्र. 5433) कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटवारी हल्कावार किस-किस खसरा क्रमांकों में कितना-कितना रकबा शासकीय मद में दर्ज है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में किस मद में दर्ज है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित भूमि के खसरे पर कितने-कितने भू-भाग में किस-किस के द्वारा कब से अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमण भूमि के खसरा व रकबा एवं अतिक्रमणाधारियों के नाम, पते सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) क्या उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा क्या-क्या

कार्यवाही की गई है? विवरण दें? (घ) क्या उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों/आम नागरिकों द्वारा कब-कब शिकायतें की गई शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मजरे टोले को राजस्व ग्राम का दर्जा</u>

126. (क्र. 5449) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री के जुलाई 2014 के बजट भाषण के बिंदु क्रमांक 124 में प्रदेश से मजरे टोले जिनकी निकटवर्ती राजस्व ग्राम से दो कि.मी. या अधिक दूरी हो एवं जिनकी जनसंख्या 200 या अधिक हो, उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है? वर्ष 2014-15 में लगभग 550 मजरें टोलों को ग्रामों का दर्जा दिया जाएगा? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु क्या-क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रक्रिया के तहत विधान सभा क्षेत्र दिमनी अथवा तहसील अम्बाह व तहसील मुरैना जिला मुरैना में किन-किन मजरे टोलों आदि को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक इस कार्यवाही को मूल रूप दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ। (ख) निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है। (ग) मुरैना जिले में विधान सभा क्षेत्र दिमनी की तहसील अम्वाह के अन्तर्गत ऐसहा ग्राम के मजरा शिकारी का पुरा थरा ग्राम का मजरा जालोनी जौहाग्राम का मजरा पीपरीपुरा को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है। तहसील मुरैना के अंतर्गत नावलीवडागांव के मजरा महेवाकापुरा को राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>परिशिष्ट – "चौंतीस"</u>

<u>आंगनवाड़ी केन्द्रों में अव्यवस्था</u>

127. (क्र. 5452) श्री मधु भगत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले में आंगनवाड़ी केन्द्र कहाँ-कहाँ कब से संचालित हैं और कौन-कौन प्रभारी हैं केन्द्रवार नाम तिथि बतावें? (ख) क्या-क्या गतिविधि करने के निर्देश हैं? निर्देशों की प्रतिलिपि बतायें कौन-कौन सी गतिविधि की गई? कौन सी नहीं केन्द्रवार बतायें? (ग) केन्द्र में पदस्थ कर्मचारी के विरूद्ध पिछले 3 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी शिकायतें जिला स्तर, विकास स्तर पर की गई? प्राप्त होने की तिथि शिकायत का विषय एवं कार्यवाही बतावें? (घ) क्या शिकायतें सही पाई गई तो कौन-कौन सी एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही हुई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) आई.सी.डी.एस. की 06 सेवाओं का पुनर्गठन कर 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास, देखभाल एवं पोषण परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सामुदायिक गतिशीलता सेवाये प्रदान की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का नियमित वज़न लिया जा कर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। मंगल दिवस, सबला योजना, पोषण आहार सप्ताह तथा विश्वस्तनपान, सप्ताह, आंगनवाड़ी चलो अभियान, एवं बाल चौपाल, अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। निर्देशों की प्रति तथा केन्द्रवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-**

ब अनुसार है (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

अवैध कब्जे एवं निर्माण

128. (क्र. 5453) श्री मधु भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के संज्ञान में जानकारी/अभिलेख और मौके के मौलिक स्थिति के आधार पर बालाघाट जिले में कहाँ-कहाँ अवैध कब्जे एवं निर्माण है? सभी बिन्दुओं पर स्थान/रकबा, खसरा नं., कब्जे कि स्थिति और कब्जाधारी एवं निर्माणकर्ता का नाम बतायें। (ख) जिले में कहाँ-कहाँ पर कितने रकबे में किस-किस के द्वारा कृषि भूमि पर 1 जनवरी 2010 से भवन निर्माण इत्यादि हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्टेनो टायपिस्टों की पदोन्नति

129. (क्र. 5461) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-सी-3-12/97/3/1 दिनाँक 14.05.1997 एवं आदेश क्रमांक-सी-3-3/98/3/1 दिनाँक 24.02.1998 एवं आदेश क्रमांक-सी-3-3/98/3/1 दिनाँक 17.06.1998 के द्वारा स्टेनों टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति से भरे जाने के अदेश प्रसारित किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्या राजस्व विभाग में उक्त आदेशों का पालन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? अब तक उक्त आदेशों का पालन नहीं करने के लिये कौन दोषी है? और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा दें? (ग) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-डी-34/1750/49/3/87 दिनाँक 18.01.88 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य करने के आदेश दिये गये थे। (घ) यदि हाँ, तो स्टेनो टायपिस्टों की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन प्रश्न (क) के आदेशों के क्रम में कितनी बार की गई? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।